सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

स्वावलम्बन Swavlamban

Accessible India Campaign
Accessible India - Empowered India

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

विषय सूची

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1–5
2.	सिंहावलोकन	6–9
3.	सांविधिक संरचना	10–15
4.	राष्ट्रीय नीति, 2006, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2006 और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए "अधिकारों को साकार करने के लिए" इंचियोन कार्यनीति	16–20
5.	सांविधिक निकाय एवं उनकी गतिविधियां 5.1 भारतीय पुनर्वास परिषद 5.2 मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन 5.3 राष्ट्रीय न्यास	21–32
6.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम 6.1 भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम 6.2 राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम	33–44
7.	राष्ट्रीय संस्थान और समेकित क्षेत्रीय केन्द्र	45–70
8.	विभाग की योजनाएं	71–108
9.	दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधियां	109–110
10.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	111–113
11.	विभाग की नयी पहलें और विशेष उपलब्धियां	114–132

***

अनुबंध

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ
1.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित कार्य	133–135
2.	जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगजनों की राज्यवार जनसंख्या	136–137
3.	अपैल, 2018 से राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजना के ढांचे के ब्यौरें	138–139
4.	एलिम्को के नए उत्पाद	140–141
5.	सफलता की कहानियां	142–150
6.	राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केंद्रो द्वारा चलाए जा रहे दीर्घावधि पाठ्यक्रमों का विवरण (एक या एक वर्ष से अधिक अवधि)	151–158
7.	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयोजित शिविरों, उपयोग की गयी निधियों और शामिल लाभार्थियों की संख्या का राज्य–वार विवरण	159–160
8.	2018–19 के दौरान राष्ट्रीय संस्थानों/एलिम्को/समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों और गैर–सरकारी संगठनों को जारी सहायता अनुदान	161–162
9.	वर्ष 2018–19 के दौरान (31–12–2018 तक) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में मांग पर आयोजित किए गए विशेष शिविरों के ब्यौरे	163–169
10.	पिछले 4 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एडिप के अंतर्गत एनजीओ/वीओ/राज्य निगम/डीडीआरसी इत्यादि को जारी की गई सहायता अनुदान	170–179
11.	वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सिपडा योजना के अंतर्गत बाधामुक्त वातावरण हेतु जारी किया गया सहायता अनुदान	180–181
12.	योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न संस्थानों/संगठनों को जारी किया गया सहायता अनुदान (बाधामुक्त् वातावरण, सुगम्य भारत अभियान, समेकित पुनर्वास केन्द्रों के लिए सहायता, जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों, दिव्यांगजनों के लिए	182–193

	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और दिव्यांगजनों की पहचान तथा सर्वेक्षण / सर्वसुलभ पहचान पत्र)	
13(क).	दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष (31.12.2018) प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या ।	194–195
13(ख).	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2018–19 (31.12.2018) के दौरान डीडीआरसी को जारी की गई राज्य–वार निधियां	196–197
13(ग).	विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष 2018–19 के दौरान डीडीआरएस के अन्तर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या	198–199
14.	जागरूकता सृजन और प्रचार योजना क. 31.12.2018 की स्थिति अनुसार विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए वित्तीय उपलब्धियां ख. 31.12.2018 तक विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनजीओ सहित संगठनों को जारी की गई निधियां	200–202
15.	पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीआरसी को जारी की गई राज्य–वार निधियां	203–205
16.	वर्ष 2018 के राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची	206–211
17.	2016–17 से 2018–19 तक (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार) आर एंड डी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी की गई निधियों के ब्यौरे	212–214
18.	ब्रेल प्रेस की स्थापना / आधुनिकीकरण / क्षमता संबर्धन की सहायता की योजना के अन्तर्गत 2018–19 के दौरान (31.12.2018 तक) जारी की गई निधियों के ब्यौरे	215–216
19.	दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने की तुलनात्मक राज्य–वार स्थिति	217–218
20.	शब्दावली	219–223
21.	दिव्यांगजनों के साथ बेहतर संवाद हेतु मार्गदर्शिका	224

***

प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण पर लक्षित विभिन्न नीतिगत मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने और संबंधित गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके एक पृथक डिसैबिलिटी कार्य विभाग बनाया गया था। दिनांक 08.12.2014 को इस विभाग का नाम बदलकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। विभाग नीति और कार्यक्रम तैयार करता है तथा उनका कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करता है। इस विभाग की स्थापना से योजनाओं/कार्यक्रमों की व्यापक एवं गहन उपलब्धियां हासिल जा सकी हैं। विभाग विभिन्न पणधारियों जैसे कि स्टेकहोल्डरों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, गैर सरकारी संगठनों इत्याादि के बीच नजदीकी समन्वय से दिव्यांगजनों एवं दिव्यांगता से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

1.2. विभाग को आबंटित कार्य

1.2.1 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार विभाग को आबंटित कार्य **अनुबंध–1 (पृष्ठ सं. 133)** पर दिया गया है।

1.2.2 **विजन** : एक ऐसा समावेशी समाज बनाना जिसमें दिव्यांगजनों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

1.2.3 **मिशनः** अपने विभिन्न अधिनियमों /संस्थाओं /संगठनों तथा पुनर्वास की योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त करना और एक ऐसा समर्थकारी वातावरण स्थापित करना जो ऐसे व्यक्तियों को समाज में समान अवसर और उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे ताकि वे उपयोगी सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन गुजार सकें।

1.2.4 उद्देश्यः अपने उद्देश्य (विजन) को पूरा करने एवं मिशन को सफल बनाने के लिए, विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयास करता है–

(i) शारीरिक पुनर्वास, जिसमें शीघ्र निदान तथा उपाय, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास तथा दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त सहायक यंत्रों और उपकरणों के अधिप्रापण में सहायता शामिल है;

(ii) व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षणिक पुनर्वास;

(iii) आर्थिक पुनर्वास और सामाजिक सशक्तिकरण;

(iv) पुनर्वास व्यावसायिकों / कर्मियों को तैयार करना।

(v) आंतरिक कार्य–दक्षता / संवेदनात्मकता / सेवा प्रदायगी में सुधार; और

(vi) समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता पैदा करने के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का समर्थन।

1.3 विभाग की मुख्य प्रतिबद्धताएं

(i) **सतत विकास लक्ष्य** : भारत का राष्ट्रीय विकास एजेंडा सतत विकास लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करता है जो दिव्यांगता–समावेशी दृष्टिकोण पर जोर देता है। भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) में निर्धारित सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग ने अपने नवीनतम कानून, अर्थात् दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को यूएनसीआरपीडी के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप अपने राष्ट्रीय कानून को संरेखित किया है।

(ii) **समावेशन एवं बाधामुक्त वातावरण** : विभाग ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान, विभिन्न स्तरों पर दिव्यांगजन से संबंधित मुद्दों का समाधान किया, जिसमें दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं समावेशन की दिशा में अवधारणा से लेकर समर्थन तक शामिल हैं। सबसे पहले, दिव्यांगजन के – चाहे यह शारीरिक, विकासात्मक या मनोवैज्ञानिक हो – दिव्यांगता को परिभाषित करने का निर्धारक कारक वातावरण है। यदि वातावरण बेहतर और अनुकूल है, तो दिव्यांगता को निष्प्रभावी किया जा सकता है। इस सोच ने

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही के वर्षों में गति प्राप्त की है।

तद्नुसार, एक बाधा मुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से, विभाग ने एक तरफ दिव्यांगजनों को सहायता और उपकरण प्रदान करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा, और दूसरी ओर सार्वजनिक भवनों, परिवहन और आईसीटी को सुगम्य बनाया।

(iii) **सामाजिक मॉडल** : दिव्यांगता संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए चिकित्सा मॉडल से एक सामाजिक मॉडल तक प्रतिमान परिवर्तन की स्वीकृति बढ़ रही है। चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिव्यांगता के प्रारंभिक निदान और मूल्यांकन के अलावा, पुनर्वास सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला अब उपलब्ध है जिसके परिणामस्वरूप दिव्यांगजन के लिए जीवनयापन में आसानी हो सकती है। विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान, विभाग के तहत कार्य करने वाले समेकित क्षेत्रीय केंद्र विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(iv) **एनजीओ और सीएसओ को सहायता** : समुदाय–आधारित पुनर्वास के संस्थागत मोड पर आधारिक पुनर्वास हो रहा है। डीडीआरएस योजना के माध्यम से, कई सिविल सोसाइटी संगठन और एनजीओ विभाग से सहायता अनुदान के माध्यम से प्रारंभिक उपाय, विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास सेवाओं जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(v) **दिव्यांगता केन्द्रित दृष्टिकोण में परिवर्तन** : वर्षों सें, अधिकांश पुनर्वास सेवाएं शारीरिक दिव्यांगता केंद्रित थीं। अब फोकस शारीरिक से मनोवैज्ञानिक–सामाजिक, बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताओं में बदल रहा है। इस दिशा में, विभाग ने सीहोर, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है जो समुदाय आधारित दृष्टिकोण, माता–पिता परामर्श, देखभालकर्ता सहायता आदि के माध्यम से मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास प्रोटोकॉल विकसित करने की दिशा में कार्य कर सकता है।

(vi) **शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण** : दिव्यांगजन के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना उनके आर्थिक सशक्तिकरण की कुंजी है, जिससे उन्हें एक सम्मानजनक और

स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम बनाया जा सके। इसलिए, विभाग विभिन्न स्तरों पर उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करके और उनके रोजगार के दायरे को बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी प्रदान करती है।

(vii) **संस्कृति, मनोरंजन, अवकाश और खेल गतिविधियां** : दिव्यांगजन जीवन के हर क्षेत्र में दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों के हकदार हैं – चाहे वह कला, संस्कृति, खेल या मनोरंजन हो। सरकार ने पहले ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। विभाग दिव्यांगजन के मध्य प्रदर्शन कला को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास कर रहा है।

1.4 प्रगति मार्ग

इसके अलावा, विभाग दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गंभीरता से प्रयास कर रहा है :

(i) **दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना** –मुख्य रूप से एक समावेशी और सुगम्य वातावरण में दिव्यांगजन के लिए एक उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में सेवा प्रदान करना; दिव्यांगजनों की विषेश आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्यक्रम डिजाईन करना / मानकीकरण करना; संबंधित क्षेत्र में व्यवसायिक प्रशिक्षन और अनुसंधान को बढावा देना।

(ii) **दिव्यांग बच्चों के लिए एक प्रारंभिक जांच और पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करना** – बच्चे के जीवन के प्रारंभिक चरण में दिव्यांगता की गंभीरता को कम करने के लिए और परिवार एवं समाज पर बोझ को कम करने के लिए शीघ्र पता लगाने और पुनर्वास में सहक्रिया करने की दृष्टि से।

1.5 चुनौतियां

चुनौतियां कई हैं जिनमें अपने अधिकारों और हकदारियों के बारे में मुख्य रूप से आम जनता और स्वयं दिव्यांगजनों के बीच भी जागरूकता पैदा करना शामिल है; और राज्य सरकारों, नगर पालिकाओं और पंचायत निकायों को उनके समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए उनके अधिदेश को जानने की आवश्यकता है।

1.6 लक्ष्य समूहः दिव्यांगजन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2006 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) के अनुसार, ''दिव्यांगजन से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो दीर्घावधि ऐसी तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा संवेदी संबंधी बाधिता से ग्रस्त रहा है जो बाधाओं के साथ इंटरऐक्शन करके समाज में अन्य व्यक्तियों के समान पूर्ण और प्रभावी सहभागिता में रूकावत डालती है। (दिव्यांगजन अधिकार, अधिनियम 2016, अध्याय–1, खंड–2, उप खंड (ग) के साथ उप खंड (खंडों)।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, ''बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्ति'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसमें विनिर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य संदर्भ में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें ऐसा दिव्यांगजन शामिल है जिसमें प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित अनुसार निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य संदर्भ में परिभाषित किया गया हैं (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, अध्याय–1, खंड–2, उप खंड (आर) ।

1.7 अभिकथन

वर्ष 2018–19 के लिए विभाग की रिपोर्ट में कानून, नियमावली और विनियमन, संस्थागत और कार्यक्रम आधारित सहायता के माध्यम से दिव्यांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में प्रगति शामिल है। राज्य सरकारें, नागरिक समाज संगठन, दिव्यांगजन और अन्य हितधारक इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार हैं।

***

"दिव्यांगता समस्या नहीं है.....
सुगम्यता न होना समस्या है"

Source: https://ecisveep.nic.in/pwd/guiding-principles/safeguards-provided-in-the-constitution-of-india-r37/

सिंहावलोकन

2.1 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं (जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है)। कुल दिव्यांगजनों में से 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1. 18 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें दृष्टि, श्रवण, वाक और गतिविषयक दिव्यांगताओं, गतिविषयक, मानसिक रूग्णता, मानसिक मंदता, बहु–दिव्यांगताओं तथा अन्य दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं।

2.1.1 दिव्यांगता के प्रकार

जबकि जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार, दिव्यांगजनों की राज्यवार संख्या का विवरण **अनुबंध–2 (पृष्ठ सं. 136)** पर दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार, उनकी संख्या का विवरण निचे दिया गया है–

दिव्यांगजनों की श्रेणी–वार संख्याः जनगणनाः 2011 के अनुसार			
दिव्यांगता का प्रकार	व्यक्ति	पुरुष	महिला
देखने में	50,33,431	26,39,028	23,94,403
सुनने में	50,72,914	26,78,584	23,94,330
बोलने में	19,98,692	11,22,987	8,75,705
चलने में	54,36,826	33,70,501	20,66,325
मानसिक मंदता	15,05,964	8,70,898	6,35,066
मानसिक रूग्णता	7,22,880	4,15,758	3,07,122
कोई अन्य	49,27,589	27,28,125	21,99,464
बहु दिव्यांगता	21,16,698	11,62,712	9,53,986
कुल	2,68,14,994	1,49,885,93(55.89 %)	11,8264,01(44.11%)

2.1.2 आवासीय क्षेत्र से दिव्यांगजनों का वर्गीकरण नीचे दिये अनुसार है:–

आवासीय क्षेत्र से दिव्यांगजनों की जनसंख्या भारत, 2011*			
निवास	व्यक्ति	पुरूश	महिला
ग्रामीण	18,631,921 (69.49%)	10,408,168	8,223,753
शहरी	8,178,636 (30.51%)	4,578,034	3,600,602
कुल	26,810,557	14,986,202	11,824,355

*स्रोत : भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय

2.1.3 दिव्यांगजनों का शैक्षणिक स्तर नीचे दिए अनुसार है :–

शैक्षणिक स्तर	व्यक्ति	पुरूष	महिला
साक्षर	14618353	934835	5270000
निरक्षर	12196641	5640240	6556401
प्राथमिक से नीचे साक्षर	2840345	1706441	1133904
मिडिल से नीचे साक्षर	3554858	2195933	1358925
मैट्रिक / माध्यमिक से नीचे साक्षर	2448070	1616539	831531
मैट्रिक/माध्यमिक से नीचे	3448650	2330080	1118570
स्नातक और ऊपर	1246857	839702	407155
कुल	26,814,994	14,988,593	11,826,401

*स्रोत : भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय

2.2 सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक चलने वाले अपने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में (76वें एनएमएस चक्र राउंड) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में यथा उल्लिखित दिव्यांगजनों की श्रेणियों पर डाटा एकत्र करने के लिए नमूना सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है।

2.3 भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना, 2021 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और वे जनगणना, 2021 में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में शामिल दिव्यांगजनों की सभी 21 श्रेणियों के आंकड़ें प्राप्त करने के मानदंडों को संशोधित कर रहे हैं। विभाग ने इस संबंध में अपने विचार पहले ही भारत के रजिस्ट्रार जनरल को दे दिए हैं।

2.4 वर्ष 2018–19 के दौरान विभाग की मुख्य गतिविधियां :

(i) 6 प्रकार की छात्रवृत्तियों के माध्यम से दिव्यांगजनों का शैक्षणिक सशक्तिकरण।

(ii) निम्नलिखित के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरणः

(क) दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, और

(ख) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम

(iii) निम्नलिखित के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण एवं पुनर्वास :

(क) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजना

(ख) दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)

(ग) दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

(घ) सुगम्य भारत अभियान, और

(ड.) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र के कार्यान्वयन में प्रगति

(iv) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, खेल केन्द्र और नौ राष्ट्रीय संस्थानों के लिए पहल

(v) जनशक्ति विकास और सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

(vi) अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर सकारात्मक अभिकथन कार्रवाईयां जैसे कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) और

एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक और सामाजिक आयोग की इंचियोन कार्यनीति (यूएनईएससीएपी) ।

2.5 बजट आवंटन और व्यय

वर्ष 2018–19 के लिए विभाग का बीई 1070.00 करोड़ रू., आरई 1070.00 करोड़ रू. और वास्तविक व्यय 1017.00 करोड़ रू. था, जो वर्ष 2017–18 के दौरान किए गए वास्तविक व्यय की अपेक्षा 9.61 प्रतिशत अधिक है।

(आंकड़े करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित बजट	संशोधित अनुमानित	वास्तविक व्यय
2017–18	855.00	955.00	928.32
2018–19	1070.00	1070.00	1017.56

***

माननीय केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गेहलोत और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली में ''युवा दिव्यांगजनों के लिए वैश्विक आईटी चुनौती, 2018'' के अवसर पर एक प्रतिभागी को प्रमाण–पत्र प्रदान करते हुए।

सांविधिक ढांचा

3.1 संबद्ध संवैधानिक प्रावधान

3.1.1 भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना के माध्यम से अन्य बातों के साथ साथ अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता को सुनिश्चित करता है।

3.1.2 संविधान का भाग–III सभी नागरिकों (और कुछ मामलों में गैर नागरिकों के लिए भी) के लिए छः मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इनमें शामिल हैं: समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी अधिकार दिव्यांगजनों के लिए भी उपलब्ध हैं, तथापि संविधान के इस भाग में ऐसे व्यक्तियों का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

3.1.3 संविधान के भाग–IV में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं। यद्यपि ये लागू नहीं कराए जा सकते हैं, तथापि इन्हें देश के प्रशासन में मौलिक घोषित किया गया है। इन सिद्धांतों से राज्य की नीति का अनिवार्य आधार होना अपेक्षित है। ये वास्तव में भविष्य की विधायिकाओं और कार्यपालिकाओं के मार्गदर्शन के लिए उन्हें दिए गए अनुदेशों के स्वरूप हैं। दिव्यांगता के मामलों से संदर्भित 41 नीचे दिये अनुसार है:–

"अनुच्छेद 41: कुछ मामलों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

"राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की परिसीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और दिव्यांगता तथा अन्य अपात्र आवश्यकता के मामलों में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।"

3.1.4 इसके अलावा, अनुच्छेद 243–छ की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243–ब की 12वीं अनुसूची, जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों के कार्यान्वयन से

संबंधित क्रमशः पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की शक्तियों एवं जिम्मेदारियों से संबंधित हैं, में समाज के अन्य कमजोर वर्गों में दिव्यांगजनों का कल्याण और उनके हितों का संरक्षण शामिल है। उक्त अनुसूचियों के संबंधित उद्धरण नीचे प्रस्तुत हैं :

अनुच्छेद 243 छ की 11वीं अनुसूची: ''दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण''' **(प्रविष्टि सं 26)।**

अनुच्छेद–243 ब की 12वीं अनुसूची:' ''दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण'' ' **(प्रविष्टि सं 09)।**

3.2 विभाग द्वारा अभिशासित विधान

विभाग दिव्यांगता के विभिन्न पहलुओं और दिव्यांगजनों के कल्याण एवं सशक्तिकरण को शासित करने वाले निम्नलिखित विधायनों को कार्यान्वित करता है :–

1. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

2. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999.

3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

3.2.1 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

भारतीय पुनर्वास परिषद को आर सी आई अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित किया गया था। परिषद पुनर्वास व्यावसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित और इसको मॉनीटर करती है और पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है।

उक्त अधिनियम के अनुसार, इस परिषद को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(i) शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।

(ii) भारत में पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों हेतु विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा प्रदत्त अर्हताओं की मान्यता के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना।

(iii) भारत के बाहर के संस्थानों की अर्हताओं के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना

(iv) परीक्षाओं में निरीक्षण करना।

(v) पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों का पंजीकरण।

(vi) पंजीकृत व्यक्तियों के विशेषाधिकारों और व्यावसायिक आचारसंहिता को निर्धारित करना।

3.2.2 राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999, संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रत रूप से और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवारों में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ करना।

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(iv) ऐसे दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।

(v) दिव्यांगजनों के अभिभावकों अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया तैयार करना।

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना।

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्य जो पूर्वोक्त उद्देश्यों का आनुषंगिक हो।

3.2.3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी, 2016)

सरकार ने संसद द्वारा दिसंबर, 2016 में यथा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया।

3.2.3.1 अधिनियम में 5 श्रेणियों में व्यापक रूप से वर्गीकृत 21 विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं अभिज्ञात की गई हैं:

1. शारीरिक दिव्यांगता :

(क) गतिवियक दिव्यांगता सहितः

- कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
- प्रमस्तिष्क घात
- बौनापन
- पेशीयदुष्पोषण
- तेजाबी आक्रमण पीड़ित

(ख) दृष्टि दिव्यांगताः

- अंधता
- निम्न दृष्टि

(ग) श्रवण दिव्यांगताः

- बधिर
- ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति
- वाक और भाषा दिव्यांगता

(ii) बौद्धिक दिव्यांगता :

(क) विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता

(ख) स्वापरायण सपैक्ट्रम विकार

(iii) मानसिक मंदता (मानसिक रूग्णता) :

(iv) निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता :

(क) गंभीर तंत्रिका संबंधी दशाएं :

- पार्किसन रोग
- बहु–स्केलेरोसिक

(ख) रक्त विकार जैसे कि :

- हेमोफीलिया
- थेलेसीमिया
- सिक्कल कोशिका रोग

(v) बहु–दिव्यांगता :

3.2.3.2 यह अधिनियम 19.04.2017 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के विचार से सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(i) इसने दिनांक 15.06.2017 को दिव्यांगजन अधिकार नियमावली अधिसूचित की। इन नियमों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने एवं इसे प्रदान करने की प्रविधि, समान अवसर नीति के प्रकाशन की रीति, राष्ट्रीय निधि के उपयोग एवं प्रबंधन के तरीके आदि को निर्दिष्ट करने के साथ–साथ निर्मित वातावरण, यात्री बस परिवहन और वेबसाइटों के लिए सुगम्यता मानकों का प्रावधान किया गया है।

(ii) इसने दिनांक 04.01.2018 को किसी व्यक्ति में विशिष्ट दिव्यांगता की सीमा के मूल्यांकन के लिए दिशा–निदेश अधिसूचित किए। इन दिशा–निदेशों में मूल्यांकन की विस्तृत प्रक्रिया के साथ–साथ दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है।

(iii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधानों के संदर्भ में सरकारी नौकरियों में बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को निर्दिष्ट करते हुए सभी मंत्रालयों एवं विभागों को 15.01.2018 को परिपत्र जारी किया।

(iv) विभाग ने आकलन बोर्ड द्वारा उच्च सहायता आवश्यकताओं की मांग करने वाले बैंचमार्क दिव्यांगजनों के आकलन के लिए नियमों को निर्दिष्ट करने के लिए ओर साथ ही ऐसे बोर्ड की संरचना के लिए दिनांक 22.10.2018 को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली के मसौदे को अधिसूचित किया है।

(v) समय–समय पर राज्यों को अधिनियम की धारा 101 के संदर्भ में नियम तैयार करने के लिए सलाह दी जाती है। समीक्षा अवधि के दौरान, 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उक्त अधिनियम के तहत नियमावली अधिसूचित की।

(vi) विभाग ने दिनांक 08.11.2017 की अधिसूचना द्वारा दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का दो बार अधिवेशन हुआ ; एक बार 13.02.2018 को तथा दूसरी बार 05.10.2018 को। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विविध मामलों जैसे कि समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक उपाय, सुगम्यता (उच्चतम न्यायालय के राजीव रतूडी मामले से संबंधित मामले के कारण सामने आए) पर विचार विमर्श किया तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इसके प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया। सलाहकार बोर्ड ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर सटीक रूप यथावत् विचार किया।

(vii) विभाग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए लिखित परीक्षाएं कराने के लिए दिनांक 29.08.2018 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए है।

***

राष्ट्रीय नीति, 2006, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए "अधिकार को वास्तविक रूप प्रदान करना" की इंचियोन कार्यनीति

4.1 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006

दिव्यांगजन देश के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन हैं और यदि उन्हें समान अवसर और प्रभावी पुनर्वास उपाय उपलब्ध हों तो उनमें से अधिकांश व्यक्ति बेहतर गुणवत्ता वाली जिंदगी जी सकते हैं। इस बारे में सरकार ने, उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से, जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और समाज में उनकी पूरी भागीदारी प्रदान कर सके, दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार और प्रकाशित की है।

4.1.1 दिव्यांगता रोकथाम और पुनर्वास उपायों पर केन्द्रित इस नीति में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(i) दिव्यांगता रोकथाम

(ii) पुनर्वास उपाय

(क) शीघ्र निदान और उपाय

- काउंसलिंग (परामर्श) एवं चिकित्सा पुनर्वास
- सहायक यंत्र
- पुनर्वास व्यावसायिकों का विकास
- पुनर्वास व्यावसायिकों का विकास

ख. दिव्यांगजनों की शिक्षा

ग. दिव्यांगजनों का आर्थिक पुनर्वास

- सरकारी प्रतिष्ठानों में नियोजन
- निजी क्षेत्र में पारिश्रमिक आधारित रोजगार
- स्व–रोजगार

(iii) दिव्यांग महिलाओं के लिए प्रावधान

(iv) दिव्यांग बच्चों के लिए प्रावधान

(v) बाधामुक्त वातावरण

(vi) दिव्यांगता प्रमाणपत्र का निर्गमन

(vii) सामाजिक सुरक्षा

(viii) गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रोत्साहन

(ix) दिव्यांगजनों से संबंधित नियमित सूचनाओं का संकलन

(x) अनुसंधान

(xi) खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन

(xii) दिव्यांगजनों से संबंधित विद्यमान अधिनियमों में संशोधन

तदनुसार, इस नीति के अंतर्गत प्रमुख उपाय क्षेत्र हैं: रोकथाम, शीघ्र निदान, और उपाय, पुनर्वास कार्यक्रम; मानव संसाधन विकास; दिव्यांगजनों की शिक्षा; नियोजन; बाधारहित वातावरण; सामाजिक संरक्षण ; अनुसंधान; खेल; मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां।

4.1.2 राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया हैं :

(i) नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नोडल विभाग है।

(ii) स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधित्व वाली दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का समन्वय करती है। राज्य स्तर पर भी इसी तरह की समिति होती है।

(iii) नीति के कार्यान्वयन के लिए गृह; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास; शहरी विकास; युवा कार्य एवं खेलकूद; रेलवे; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन; श्रम; पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों और प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता; माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग; सार्वजनिक उपक्रम; राजस्व; सूचना प्रौद्योगिकी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागों की भी पहचान की गई है।

(iv) पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकाय जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों के कार्यकरण से संबद्ध हैं। स्थानीय स्तर के मामलों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में इनसे अहम भूमिका निभाया जाना अपेक्षित है।

(v) दिव्यांगजनों के लिए, केन्द्र स्तर पर मुख्य आयुक्त एवं राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त, अपनी संबंधित सांविधिक जिम्मेवारियों के अलावा राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वायन में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

विभाग ने उक्त नीति की समीक्षा करने और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016, यूएनसीआरपीडी के प्रावधानों और दिव्यांगता प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए एक नई नीति दस्तावेज का सुझाव देने के लिए के लिए सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है ।

4.2 दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन, 2006 (यूएनसीआरपीडी)

4.2.1 यह संधिपत्र 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और 30 मार्च 2007 को राष्ट्र पक्षों द्वारा हस्ताक्षर हेतु रखा गया। इस संधिपत्र के अंगीकरण ने पूरे विश्व में अपने अधिकारों की मांग करने और अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए राज्य, निजी और सिविल सोसाइटियों की एजेंसियों को जवाबदेह बनाने में वास्तव में दिव्यांगजनों को सशक्त किया है।

4.2.2 भारत कुछ चुनिंदा राष्ट्रों में से एक है, जिसने इस संधिपत्र की अभिपुष्टि की है। 30 मार्च, 2007 को भारत द्वारा संधिपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने और बाद में इसकी अभिपुष्टि किए जाने के परिणामस्वरूप देश में यह कानून 3 मई, 2008 से प्रभावी हो गया। यह संधिपत्र प्रत्येक राष्ट्र पक्ष पर निम्नलिखित तीन दायित्व नियत करता है:

(i) संधिपत्र के प्रावधानों का कार्यान्वयन;

(ii) देश के कानूनों को संधिपत्र के अनुकूल बनाना और

(iii) राष्ट्र रिपोर्ट तैयार करना

4.2.3 सरकार ने नवम्बर 2015 में अपनी प्रथम देशीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो दिव्यांगजन अधिकार पर सम्मेलन हेतु संयुक्त राष्ट्र समिति की जाँच के अधीन है।

4.2.4 सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण ने न्यूयार्क में जून, 2017 को आयोजित दिव्यांगजन अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक बैठक में भाग लिया। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में की गई प्रगति से संयुक्त राष्ट्र संस्था को सूचित कर दिया गया था।

4.3 इंचियोन कार्यनीति

दिव्यांगजन एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2022 की मध्यावधि समीक्षा पर चीन सरकार के सहयोग से, उच्च स्तरीय अंतर सरकारी बैठक यूएनईएससीएपी सचिवालय द्वारा 27 नवंबर–01 दिसम्बर, 2017 तक बीजिंग में आयोजित की गई।

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक भारतीय शिष्टमंडल ने भी उक्त बैठक में भाग लिया। बैठक में विभिन्न सदस्यों और विश्व भर से यूएनईएससीएपी के उन सहयोगी सदस्य देशों ने भाग लिया जिन्होंने इंचियोन कार्यनीति कार्यान्वयन में एशिया और प्रशांत दशक (2013–17) के प्रथम अर्ध अवधि में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा प्रगति की गई है। मध्यावधि समीक्षा में शेष 5 वर्ष के लिए भावी रूपरेखा के भी सुझाव दिए जिससे कि राष्ट्रीय दिव्यांगता–समावेशी विकास कार्यसूची पर फोकस करने और कार्य करते समय इंचियोन कार्यनीति "अधिकार को वास्तविक रूप प्रदान करना" का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में आविरभावित चुनौतियों का सामना किया जा सके।

मध्यावधि समीक्षा पर उच्चस्तरीय अंतर सरकारी बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद, ईएससीएपी सचिवालय ने 2018–2022 दशक के शेष पांच वर्ष की अवधि के लिए इंचियोन कार्यनीति के कार्यान्वयन की मानीटर के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। भारत को उक्त कार्यदल में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कार्यदल की प्रथम बैठक फरवरी, 2019 में बैंकाक में आयोजित की गई थी।

***

सांविधिक निकाय एवं उनकी गतिविधियां

5.1 भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)

प्रारंभ में भारतीय पुनर्वास परिषद को 31 जनवरी, 1986 के संकल्प संख्या 22–17/83–एच डब्ल्यू–III के तहत 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, XXI के अंतर्गत स्थापित किया गया था। संसद में पारित एक अधिनियम नामतः भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 34) द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में (2000 का सं. 38) इस अधिनियम को अधिक व्यापक आधार वाला बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। परिषद पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिकों व कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित और मॉनीटर करने एवं पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर के रखखाव के लिए जिम्मेवार है।

5.1.1 परिषद की मुख्य गतिविधियां (2018–2019)

(i) वर्तमान में आरसीआई को आवंटित व्यावसायिकों/कार्मिकों की सभी 16 श्रेणियों को कवर करते हुए नियमित रूप से 60 पाठ्यक्रम चल रहे हैं।

(ii) परिषद ने दो नये पाठ्यक्रम नामतः भारतीय संकेत भाषा शिक्षण में डिप्लोमा (डीटीआईएसएल) तथा केयर गिविंग में एडवांस डिप्लोमा तैयार किये। इन पाठ्यक्रमों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2019–20 से किया जाएगा। परिषद वर्ष 2019–20 के सत्र से एकल विशेषज्ञता (अर्थात) एम.एस.सी (वाक् भाषा पैथोलॉजी) तथा एम.एस.सी (आडियोलॉजी) में आरंभ नवीन कार्यक्रम भी लागू करेगा। भारतीय संकेत भाषा कार्यक्रम डिप्लोमा की अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गयी है तथा तद्नुसार पाठ्यक्रम के विषयों में संशोधन किया गया। संशोधित नवीन कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2019–20 से लागू होगा। परिषद ने दिव्यांगता पुनर्वास के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले पुनर्वास व्यावसायिकों/कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा एवं विकास की समीक्षा के लिए 12 विशेषज्ञ समितियों को पुनर्गठित किया है। परिषद ने मैलबर्न विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया के सहयोग से समुदाय आधारित पुनर्वासव में नवीन कार्यक्रम तैयार करने की पहल की है।

(iii) परिषद ने दिव्यांगता पुनर्वास के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत पुनर्वास व्यावसायिकों/कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण के समीक्षा करने एवं तैयार करने के लिए इसकी 12 विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं।

10 अप्रैल, 2018 को आरसीआई की अखिल भारत जोनल समन्वय समिति बैठक के दौरान माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता डॉ. थावरचंद गेहलोत

(iv) आरसीआई भारत सरकार और आस्ट्रेलिया सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत नोजल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हैल्थ और मेलबर्न विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया के सहयोग से समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। सामुदायिक आधारित पुनर्वास में व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 12.11.2018 को आरसीआई, नई दिल्ली में आयोजित की गयी। श्री साइमन, द्वितीय सचिव,

दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन के बारे में 04 फरवरी, 2019 को माननीय केन्द्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता डॉ. थावरचंद गेहलोत ने एक आस्ट्रेलियाई शिष्टमंडल को बुलाया।

आस्ट्रेलिया उच्च आयोग, डॉ. नाथन ग्रिल, मैलबर्न विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि तथा सुश्री जूबिन डिसेबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर, ई एच ए द्वारा मैलबर्न विश्वविद्यालय तथा भारतीय पुनर्वास परिषद् के परस्पर सहयोग की शर्तों पर विचार विमर्श के लिए परिषद् का दौरा किया गया।

(v) समावेशी शिक्षा में कार्यक्रमों के विकास हेतु सलाहकार समिति का गठन : परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास हेतु प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक सलाहकार समिति तैयार करने की प्रक्रिया में है। इस संबंध में परिषद् ने उपरोक्त मंत्रालय विभागों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति को नामित करने की मांग की है।

(vi) केयर गिविंग (1 वर्ष), भारतीय संकेत भाषा द्विभाषी रूपांतरण में डिप्लोमा (2 वर्ष) तथा भारतीय संकेत भाषा में प्रशिक्षक में डिप्लोमा (2 वर्ष) में अग्रिम प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए एसएलएम को तैयार किया।

(vii) परिषद् को उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए एसएलएम तैयार करने के लिए संबंधित विशेषज्ञों से लेखकों एवं सम्पादकों की सूची प्राप्त हुई है। तद्नुसार इन कार्यक्रमों कार्यान्वयन के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2019–20 से एसएलएम तैयार किया जायेगा।

(viii) प्रमाण–पत्र, डिप्लोमा, पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल और पी.एच.डी स्तर के आरसीआई अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाने के लिए 799 संस्थानों और 14 राज्य–स्तरीय मुक्त विश्वविद्यालयों को स्वीकृति दी गयी है। वर्ष के दौरान 98 नए संस्थान अनुमोदित किए गए थे।

(ix) केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) में 3354 व्यावसायिकों तथा 6458 कार्मिकों को पंजीकृत किया गया है तथा सीआरआर का संचयी योग दिनांक 31.12.2018 तक 1,36,074 पर पहुंच गया है।

(x) वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, परिषद् ने 3–5 दिवसीय अवधि के 681 सीआरई कार्यक्रमों का अनुमोदन किया है और लाभार्थियों की कुल संख्या 20430 है। वर्ष के दौरान 189 कार्यशालाओं/सम्मेलनों/सेमिनारों को भी अनुमोदित किया गया है तथा लाभार्थियों की संख्या 16460 है।

1 जनवरी 2018 से 30 नवम्बर, 2018 के दौरान सतत पुनर्वास शिक्षा (सीसीआर) कार्यक्रमों, कार्यशाला, सेमीनारा / सम्मेलन को प्रदान की गयी स्वीकृति की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार हैः–

	2018		2018	
माह	सीआरई कार्यक्रम	लाभार्थियो की संख्या	कार्यशाला / सम्मेलन / सेमिनार	लाभार्थियों की संख्या
जनवरी, 2018	76	2280	17	1260
फरवरी, 2018	62	1860	36	2600
मार्च, 2018	117	3510	25	2300
अप्रैल, 2018	14	420	13	1050
मई, 2018	226	6780	80	7750
जून, 2018	18	540	-	-
जुलाई, 2018	29	870	05	400
अगस्त, 2018	87	2610	-	-
सितंबर, 2018	30	900	04	400
अक्टूबर, 2018	16	480	05	400
नवंबर, 2018	6	180	04	300
दिसंबर, 2018	10	300	20	1590
कुल	**691**	**20730**	**209**	**18050**

5.1.2 जिला शिक्षा प्रकोष्ठ (सैल)

परिषद् द्वारा जिला शिक्षा की स्थापना मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए की गयी। तद्नुसार, मुक्त एवं दूरस्थ पठन प्रणाली के माध्यम से बी.एड. विशेष शिक्षा (एच आई, वीआई एवं एमआर) के आयोजन के लिए वर्ष 2000 में आरसीआई एवं मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। अभी तक परिषद् ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के साथ उनके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में बी.एड. विशेष शिक्षा इडी–ओडी एल पाठ्यक्रम के आयोजन के लिए 14 राज्यों/केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया :

क्र.सं.	यूनिवर्सिटी
1.	मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, भोपाल, मध्य प्रदेश
2.	उत्तर प्रदेश राजऋषि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, इलाहबाद, उत्तर प्रदेश
3.	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकाता, पश्चित बंगाल
4.	डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, गुजरात
5.	नार्थ–ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलौंग, मेघालय
6.	तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, चैन्नई, तमिलनाडु
7.	डॉ. बी.आर. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, तेलंगाना
8.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक
9.	वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान
10.	उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखंड
11.	डॉ. शंकुन्ताला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
12.	अरूणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडिस, एनएच–52, जिला नामोसाई, अरूणाचल प्रदेश–792103
13.	दी आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी, कमलघाट, त्रिपुरा
14.	कृष्ण कांत हैंडकी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, गुवाहटी, असम

5.2 दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी)

5.2.1 सिंहावलोकन

दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त की स्थापना पूर्ववर्ती निःशक्त (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 57 (1) के अंतर्गत की गयी है। मुख्य आयुक्त को दिव्यांगों के लिए राज्य आयुक्तों के कार्य का समन्वय, केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग की मानीटरिंग और दिव्यांगों के अधिकारों तथा उन्हें प्रदान की गयी सुविधाओं के संरक्षण के लिए उपाय करने के कार्य सौंपे गए हैं।

मुख्य आयुक्त अपनी स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर अथवा अन्यथा दिव्यांगजनों के अधिकारों का वंचन अथवा दिव्यांगजनों के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए या जारी किए गए नियमों, उप नियमों, विनियमों, कार्यकारी आदेशों, दिशा–निर्देशों या अनुदेशों इत्यादि के कार्यान्वयन नहीं करने से संबंधी शिकायतों की जांच करते हैं और संबंधित प्राधिकारियों से मामले को उठाते हैं। दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त इस तरह की किसी भी गैर अनुपालन की अपनी ओर से भी नोटिस ले सकते हैं और संबंधित प्राधिकारी के साथ मामले को उठा सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त को अपना कार्य प्रभावी ढ़ंग से करने में सक्षम बनाने के लिए एक सिविल कोर्ट की कतिपय शक्तियां दी गयी है।

5.2.2 स्वतः संज्ञान में लिए गए मामले:

सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय अधिनियम के विविध प्रावधानों जैसे रोजगार प्रवेश, प्रेस, मीडिया में रिपोर्ट की गयी दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव की घटनाओं का स्वतः संज्ञान ले सकता है तथा संबंधित प्राधिकरण के समक्ष मामले को प्रस्तुत कर सकता है। यह सक्रिय पहल से न केवल दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा हुई है अपितु इसके विभिन्न स्टेकहोल्डरों को संवेदी बनाया है और उनमें जागरूकता का सृजन भी किया गया है। इस वर्ष के दौरान सीसीपीडी कार्यालय द्वारा स्वतः संज्ञान के तीन मामले उठाए गए।

5.2.3 राष्ट्रीय समीक्षा बैठक:

आयुक्तों के कार्य के समन्वय तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 के कार्यान्वयन की

वस्तुस्थिति की समीक्षा के लिए सीसीपीडी कार्यालय द्वारा वार्षिक रूप से राज्य आयुक्तों की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता है। राज्य आयुक्तों ने अपने कार्य तथा उनके द्वारा की गयी पहल एवं वर्ष के दौरान दिव्यांगता क्षेत्र में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों का विवरण प्रदान किया। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन की 16वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन 28 – 29 मई, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक में 18 राज्य आयुक्तों तथा राज्य आयुक्तों/राज्य सरकारों के 27 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

माननीय केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. थावर चन्द गेहलोत राज्य मंत्रीगण एवं दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली में 28–29 मई, 2018 को 16वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के अवसर पर ''दिव्यांगजन सशक्तिकरण बढते कदम'' पुस्तक का लोकार्पण करते हुए

5.3 स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास

5.3.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय न्यास, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास, अधिनियम, 1999 के एक अधिनियम द्वारा गठित, एक सांविधिक निकाय है।

5.3.1.1 राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

(I) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ करना।

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(iv) दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।

(v) दिव्यांगजनों के माता–पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना।

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना।

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्यकरण जो पूर्वोक्त उद्देश्यों का आनुषंगिक हो।

5.3.1.2 राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो बुनियादी कर्तव्यों–कानूनी और कल्याण के निर्वहन के लिए की गई है। स्थानीय स्तर की समितियों के माध्यम से कानूनी संरक्षकता प्रदान करने के लिए कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। योजनाओं के माध्यम से

कल्याण कर्त्तव्य का निर्वहन किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ–साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम और आश्रय, देखभाल और सशक्तिकरण शामिल हैं। अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए दिव्यांगजनों के समान अवसरों, अधिकारों की सुरक्षा और पूरी भागीदारी के लिए राष्ट्रीय न्यास प्रतिबद्ध है।

5.3.2 नई/संशोधित योजनाओं के अंतर्गत योजनाओं की विशेषताएं और मंजूर परियोजनाएं, जो नवंबर, 2015 सें शुरू की गई थी, निम्नलिखित हैं:–

i. दिशा (प्रारंभिक उपाय एवं 0–10 वर्षीय के लिए विद्यालय तैयारी योजना)

यह राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत शामिल की गई चार दिव्यांगताओं वाले 0–10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक प्रारंभिक उपाय और विद्यालय तैयारी योजना है और इसका उद्देश्य उपचारों, प्रशिक्षणों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए प्रारंभिक उपाय करने हेतु दिशा केन्द्रों की स्थापना करना और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत, 23 परियोजनाओं को मंजूर किया गया है जिसमें कुल 184 लाभार्थियों को लाभांवित किया गया और अब तक 120.26 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।

ii. विकास (10 + वर्षीय के लिए दिवस देखभाल योजना)

यह 10 वर्ष और उससे ऊपर की के दिव्यांगजनों के लिए दिवस देखभाल योजना है, मुख्य रूप से अन्तर्वैयक्तिक और व्यावसायिक कौशलों को बढाने हेतु यह दिवस देखभाल योजना है क्योंकि वे उच्चतर आय वर्गों के संक्रमण काल के स्थिति में होते हैं। जिस समय के दौरान दिव्यांगजन विकास केन्द्र में होंगे, केन्द्र उन्हें दिवस–देखभाल सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के परिवार के सदस्यों को उनकी अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दिन के दौरान कुछ समय प्रदान करने के लिए सहायता करता है। योजना के अंतर्गत, 32 परियोजनाओं को मंजूर किया गया जिसमें कुल 767 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया और अब तक 198.58 लाख रूपए की राशि जारी की गयी है।

iii. दिशा–सह विकास योजना (डे केयर)

पंजीकृत संगठनों के लिए, जो कई योजनाओं को लागू कर रहे थे, विलय योजना को लागू करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। योजना के अंतर्गत, 35 परियोजनाओं

को मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल 766 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और अब तक 130.31 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

iv. समर्थ (राहत देखभाल योजना)

समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथों या परित्यक्तों, संकट में फँसे परिवारों तथा साथ ही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत शामिल की गई चार दिव्यांगताओं में से कम से कम एक दिव्यांगता वाले निराश्रितों समेत गरीबी रेखा से नीचे के एंव निम्न आय वर्ग के परिवारों से संबंधित दिव्यांगों को राहत (रेस्पाईट) गृह प्रदान करना है। यह परिवार के सदस्यों के लिए भी अवसरों के सृजन का उद्देश्य रखती है ताकि उन्हें अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राहत समय मिल सके। इस योजना का उद्देश्य सभी आयु वर्गों के लिए, व्यावसायिक चिकित्सकों द्वारा मूलभूत चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवा वाली सामूहिक गृह सुविधा प्रदान करने हेतु समर्थ केन्द्रों की स्थापना करना है। योजना के अंतर्गत, 8 परियोजनाओं को मंजूर किया गया है जिसमें कुल 111 लाभार्थियों को लाभांवित किया गया और अब तक 101.73 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।

v. घरौंदा (वयस्कों के लिए सामुहिक गृह)

घरौंदा योजना का उद्देश्य स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों को एक सुनिश्चित गृह और जीवनभर न्यूनतम देखभाल सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करना है। योजना देशभर में सुनिश्चित गृह व्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना की स्थापना करने के लिए भी सुविधाएं प्रदान करती है, स्वतंत्र और गौरवपूर्ण सहायता प्राप्त रहन–सहन को प्रोत्साहित करती है तथा चिरस्थायी आधार पर देख–भाल सेवाएं उपलब्ध कराती है। योजना के अंतर्गत, 17 परियोजनाओं को मंजूर किया गया जिसमें कुल 236 लाभार्थियों को लाभांवित किया गया और अब तक 138.85 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।

vi. समर्थ सह घरौंदा योजना (आवासीय)

पंजीकृत संगठनों के लिए, जो कई योजनाओं को लागू कर रहे थे, विलय योजना को लागू करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल 200 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और अब तक 24.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

vii. सहयोगी (देखभाल सहयोगी प्रशिक्षण योजना)

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को, जिन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है, पर्याप्त और पोषणपूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए देखभाल सहयोगियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और इनका एक कुशल कार्यबल बनाने हेतु देखभाल सहयोगी (देखभालकर्ता) प्रकोष्ठों (सीएसी) की स्थापना करना है। यह अभिभावकों को, यदि वे चाहें, देखभाल करने के कार्य में प्रशिक्षित होने का अवसर प्रदान करने का भी प्रयास करती है। यह योजना ऐसे देखभालकर्ताओं को बनाने के लिए, जो दिव्यांगजनों के परिवारों तथा दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने वाली अन्य संस्थाओं (गैर–सरकारी संगठनों, कार्य केन्द्रों इत्यादि) दोनों के साथ कार्य कर सकने लायक हों, प्राथमिक और उच्च दो स्तर के पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण का विकल्प प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत 56 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल 183 देखभालकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है और अब तक 11.88 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

viii. बढ़ते कदम (जागरूकता, सामुदायिक इंटरऐक्शन (अंतःक्रिया) और अभिनव परियोजना योजना)

यह स्कीम राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों को ऐसी गतिविधियां शुरू करने में मदद करेगी जो राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगताओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने पर केन्द्रित हों। योजना का उद्देश्य सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना, संवेदीकरण, दिव्यांगजनों का सामाजिक एकीकरण और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। योजना के अंतर्गत 126 पंजीकृत संगठनों को मंजूरी दी है और अब तक 3.51 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।

ix. "निरामया" स्वास्थ्य बीमा योजना

यह योजना स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों को वहनीय स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए है। वर्ष 2018–19 (12.12. 2018 तक) के दौरान 82004 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है और कुल 5785 दावे निपटाए गए हैं। योजना के अंतर्गत कुल व्यय 392.91 लाख रूपए है। वर्तमान में, योजना अप्रैल, 2015 से एम/एस ओरिएंटल इंश्योरेंस को.लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

5.3.3 01 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजना की संरचना का विवरण अनुबंध–3 (पृष्ठ संख्या 138) पर है।

5.3.4. राष्ट्रीय न्यास की कार्यशालाएं:

(i) स्वलीनता की पहचान, प्रबंधन तथा प्रमाणीकरण पर प्रशिक्षण के लिए अप्रैल, 2018 में आयोजित राष्ट्रीय स्वलीनता उपकरण कार्यशाला

(ii) राष्ट्रीय न्यास ने बाल स्नायु तंत्र प्रभाग, वर्तमान में सेंटर ऑफ एक्सिलैंस एंड एडवांसड रिसर्च फॉर चाइल्डहुड न्यूरो–डिवेलमेंट डिसआडरस, डिपार्टमेंट ऑफ पेडिएट्रिक्स, एम्स, दिल्ली के सहयोग से 6 से 8 अप्रैल, 2018 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में बालरोग विशेषज्ञों, मनोचिकित्साकों और क्लिनिकाल मनोवैज्ञानिकों को स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) की पहचान, प्रबंधन तथा प्रमाणीकरण के लिए स्वलीनता यंत्रों पर प्रशिक्षण हेतु चौथी राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमती शकुन्तला डौले गामलिन, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉ. कमलेश कुमार पांडे, अध्यक्ष राष्ट्रीय न्यास, प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, दिल्ली आदि भी उपस्थित थे। तीन दिवसीय कार्यशाला में देश के विभिन्न भागों से 80 चिकित्सकों/व्यावसायिकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। ये मास्टर ट्रेनर अपने क्षेत्र में अन्य डॉक्टरों/व्यावसायिकों को स्वलीनता यंत्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण देंगे। इससे पूर्व अन्य 3 कार्यशालाओं में, देश के विभिन्न भागों से 200 से अधिक डॉक्टर/व्यावसायिकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

5.3.5 राष्ट्रीय न्यास वार्षिक आम बैठक 2018

राष्ट्रीय न्यास की 18वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन 10 सितंबर, 2018 को विश्व युवक केन्द्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में किया गया। इसकी अध्यक्षता डॉ. कमलेश कुमार पांडे, अध्यक्ष राष्ट्रीय न्यास बोर्ड ने की। डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव एवं सीईओ, राष्ट्रीय न्यास ने सभी विशिष्ट अतिथियों एवं प्रतिभागियों का अभिनंदन किया। उन्होंने योजना के अंतर्गत दिशा–निदेशों में संशोधन के कारण होने वाली प्रगति पर प्रकाश डाला। इसमें 130 पंजीकृत संगठनों (आरओ) से 200 प्रतिभागियों एवं राष्ट्रीय न्यास के अन्य स्टेकहोल्डरों ने भाग लिया। इसके पश्चात राष्ट्रीय न्यास की विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श (ओपन हाउस) हुआ। पंजीकृत संगठनों (आरओ) तथा अन्य प्रतिभागियों ने विचार–विमर्श, उत्तर, स्पष्टीकरण की मांग की तथा राष्ट्रीय न्यास के विविध मुद्दों/योजनाओं पर सुझाव दिए।

***

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)

6.1 भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)

6.1.1 निगमित रूपरेखा

एलिम्को एक अनुसूची ''ग'' लघुरत्न श्रेणी–II केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (लाभ के उद्देश्य के लिए नही) (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुरूप), के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह भारत सरकार का 100 प्रतिशत स्वामित्व वाला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

6.1.2 उद्देश्य

देश के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास उपकरणों के संवर्धन, प्रोत्साहन तथा उपलब्धता बढाने, प्रयोग, आपूर्ति तथा वितरण द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास उपकरणों के निर्माण द्वारा उन्हें अधिकतम लाभान्वित करना है।

निगम का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है और इसका मुख्य जोर उचित मूल्य पर बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को बेहतर गुणवत्ता वाले सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराना है। इस निगम ने वर्ष 1976 में कृत्रिम सहायक यंत्रों का निर्माण शुरू किया था। वर्तमान में, इसके भुवनेश्वर (ओडिशा), जबलपुर (मध्य प्रदेश), बैंगलुरू (कर्नाटक), चानालोन (पंजाब) एवं उज्जैन (मध्य प्रदेश) में पाँच सहायक उत्पादन केन्द्र हैं। निमग के नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एवं हैदराबाद में चार विपणन केन्द्र तथा गुवाहटी में एक आउटरीच केन्द्र हैं।

निगम एकमात्र विनिर्माण कंपनी है जो पूरे देश में सभी प्रकार की दिव्यांगताओं की सेवा के लिए एक छत के नीचे विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों का उत्पादन करती है।

6.1.3 वित्तीय विशिष्टताएं

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, 31.12.2018 तक निगम ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के 228.50 करोड़ रूपए की तुलना में 224.00 करोड़ रूपए (बिक्री के आंकड़े अनंतिम) का कारोबार हासिल किया है।

6.1.4 निगम की वास्तविक कार्यक्षमता दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े

क्र. सं.	वास्तविक प्रदर्शन (महत्वपूर्ण उत्पाद का वास्तविक प्रदर्शन)	उत्पादन (संख्या में)		बिक्री	
		2017-18	2018.19 (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार अनंतिम आंकड़े)	**2017-18**	2018.19 (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार अनंतिम आंकड़े)
1.	ट्राईसाइकिल	91,938	40,910	75,055	62,514
2.	व्हील चेयर	46,044	54,991	52,332	53,217
3.	बैसाखियां	72,259	58,678	69,853	61,681
4.	श्रवण यंत्र	1,08,710	1,16,912	99,045	1,00,524

विवरण	2018.19 के बिक्री आंकड़े (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार अनंतिम)	2017.18 के बिक्री आंकड़े (लेखा परीक्षित आंकड़े)
जीआईए से जुटाए गए संसाधन	123	112.10
जीआईए के अलावा जुटाए गए संसाधन	101	116.40
कुल	**224.00**	**228.50**

6.1.5 एडिप शिविर

निगम ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में 167 शिविरों के माध्यम से एडिप योजना के अंतर्गत 1,13,685 लाभार्थियों (उपकरण–वार) की तुलना में वित्त वर्ष 2018–19 में 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार एडिप योजना के अंतर्गत 147 शिविरों (अनंतिम) के माध्यम से 83013 लाभार्थियों (अनंतिम) को सेवाएं प्रदान की गई है।

6.1.6 एडिप–सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शिविर

एडिप–एसएसए योजना के अंतर्गत, निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 (30.11.2018 की स्थिति के अनुसार) में 06–14 वर्षों के आयु वर्ग में विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए आयोजित 556 शिविरों (अनंतिम) में 35918 लाभार्थियों (अनंतिम) को सेवा प्रदान की गई।

6.1.7 नए उत्पादों का विवरण अनुबंध–4 (पृष्ठ संख्या 140) पर है।

6.1.8 शिविर फोटोग्राफ की एक झलक

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद और अन्य गणमान्य व्यक्ति 11.02.2018 को ग्वालियर में आयोजित वितरण शिविर के दौरान एडिप–आरवीवाई योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को एलिम्को द्वारा निर्मित मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरित करते हुए।

दिनांक 07.06.2018 को ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश) में एडिप–आरवीवाई योजना के तहत आयोजित एक मेगा वितरण शिविर में अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री व्हील चेयर का वितरण करते हुए

30.08.2018 को चुरू राजस्थान में एडिप योजना के अंतर्गत आयोजित एक मेगा वितरण शिविर में माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. थावरचंद गेहलोत मोटरयुक्त ट्राईसाईकल वितरित करते हुए।

6.2 राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी)

राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी, 1997 में की गई थी। यह कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा के अधीन एक लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह पूर्णतया भारत सरकार स्वामित्व अधीन है तथा इसकी 400 करोड़ रूपए की अधिकृत शेयर पूंजी है। कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

6.2.1 मुख्य उद्देश्य

(i) दिव्यांगजनों के लाभार्थ आर्थिक विकास गतिविधियों तथा स्व–रोजगार उद्यमों को प्रोत्साहन देना।

(ii) स्व–रोजगार उद्यमों के समुचित एवं कुशल प्रबंधन के लिए दिव्यांगजनों के उद्यम–कौशल के उन्नयन हेतु ऋण प्रदान करना।

(iii) दिव्यांगजनों को व्यवसायिक/ तकनीकी शिक्षा हेतु ऋण प्रदान करना ताकि वे व्यवसायिक पुनर्वास /स्व–रोजगार हासिल कर सकें।

(iv) स्व–रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों को उनके उत्पादों और समान के विपणन हेतु सहायता प्रदान करना।

6.2.2. कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया :

एनएचएफडीसी, राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) और अन्य एजेन्सियों के माध्यम से दिव्यांगजनों हेतु निधियों के प्रवाह हेतु, एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, अपने आउटरीच को दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के लिए कुछ लोक क्षेत्रक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ कारपोरेशन ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर (एमओए) किया है।

(i) क्रेडिट आधारित गतिविधियां:

एनएचएफडीसी 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांगता वाले और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र भारतीय नागरिकों को आय बढ़ाने इकाई स्थापित करने के लिए सुविधाजनक शर्तों पर रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(क) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण सहायता, ब्याज–दर और पुनर्भुगतान अवधि विस्तार विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	योजना	अधिकतम ऋण (रू. लाख में)	लाभार्थियों द्वारा देय ब्याज दर	ऋण चुकाने हेतु अधिकतम अवधि
1.	छोटे व्यवसाय में विक्रय/व्यापार गतिविधि	5.00	5-6%	10 वर्ष
2.	सेवा क्षेत्र में छोटे व्यवसाय	7.50	5-7%	
3.	वाणिज्यिक वाहनों की खरीद	10.00	5-7%	
4.	लघु औद्योगिक इकाई	25.00	5-8%	
5.	कृषि गतिविधियां	10.00	5-7%	
6.	मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्क घात तथा स्वलीनता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्व–रोजगार	10.00	5-7%	
7.	दिव्यांग युवा पेशेवरों के लिए ऋण	25.00	5-8%	
8.	स्वयं की भूमि पर व्यवसाय परिसर विकसित करने हेतु योजना	3.00	5-6%	
9.	सहायक उपकरणों के क्रय हेतु योजना	5.00	5-6%	
10.	दिव्यांगजनो के लिए योजना	25.00	4-7%	
11.	मानसिक मंदता व्यक्तियों के लिए अभिभावक एसोसिएशन ऋण	5.00	5-6%	
12.	विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण	20.00	4% (पुरूष) 3.5% (महिला)	7 वर्ष
13.	भारत में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण	10.00	4% (पुरूष) 3.5% (महिला)	
14.	व्यावसायिक अध्ययन के लिए ऋण	2.00	4% (पुरूष) 3.5% (महिला)	
15.	सूक्ष्म क्रेडिट योजना (एससीए के माध्यम से)	10.00 प्रति एनजीओ (रू. 0.50 लाख/लाभार्थी)	5%	3 वर्ष
16.	दिव्यांग क्षेत्र में उनकी क्षमता विस्तार के लिए कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों हेतु योजना	5.00	5-6%	5 वर्ष

(ख) दिव्यांग महिलाओं को स्व–रोजगार योजनाओं में ब्याज पर 1 प्रतिशत छूट की अनुमति है।

(ग) वीएच/एचएच एवं एमआर श्रेणी के दिव्यांगजनों को स्व–रोजगार योजनाओं में ऋण के संबंध में ब्याज पर 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट की अनुमति है।

(घ) दिव्यांग सैनिकों के लिए योजना के अंतर्गत ब्याज दर पर किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं है।

(ii) गैर–क्रेडिट आधारित गतिविधियां:

एनएचएफडीसी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिव्यांगजनों को निधियां भी उपलब्ध कराता है तथा उनकी रूचि की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी करता है। ये गतिविधियां हैं:– :

(क) ईडीपी/कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम : कौशल एवं उद्यमिता विकास की स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण संचालन/प्रायोजन के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) प्रचार एवं जागरूकता : एनएचएफडीसी क्रियान्वन एजेन्सियों को एनएचएफडीसी स्कीमों के विज्ञापन एवं प्रचार के लिए निधियां भी उपलब्ध कराता है।

6.2.3 प्रदर्शन और उपलब्धियां

वर्ष 2016–17 से 2018–19 (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार) तक ऋण योजनाओं के अंतर्गत एनएचएफडीसी की वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	वित्त वर्ष	जारी की गयी राशि (रू. करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या (*)
i)	2016-17	107.51	16,101
ii)	2017-18	90.14	11,767
iii)	2018.19 (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)	77.24	9,656

*निर्मुक्त अग्रिम निधि की तुलना में औसत ऋण आधार पर लाभार्थियों की अनुमानित संख्या सहित

फरीदाबाद, हरियाणा में एनएचएफडीसी के कौशल प्रशिक्षण केन्द्र में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए दिव्यांगजन।

6.2.4 पहलें

निगम ने आउटरीच का विस्तार करने के लिए हाल ही में कुछेक पहलें की हैं, जो निम्नलिखित हैं:–

(i) निगम ने निम्नलिखित पहलों के माध्यम से ऋण–नीति की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए और इसके आउचरीच के विस्तार के लिए ऋण–नीति का उदारीकरण किया है

(क) राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियाँ (एससीए) को प्राधिकार का प्रत्यायोजन एससीए द्वारा लाभार्थी को ऋण मंजूर करने के प्राधिकार को बढाकर 5.00 लाख से 10.00 लाख प्रति परियोजना कर दिया गया है।

(ख) कुछेक गतिविधियों के संबंध में उच्च ऋण सीमा को निम्नानुसार बढ़ाया गया है:

क्र.सं.	उपलब्धियां	पहल	संशोधित
1.	बिक्री एवं व्यापार क्षेत्र में गतिविधियां	रू. 3.00 लाख	रू. 5.00 लाख
2.	सेवा क्षेत्र की गतिविधियां	रू. 5.00 लाख	रू. 7.50 लाख

(ग) सूक्ष्म एवं लघु स्तरीय उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी न्यास की (सीजीटीएमएसई) शर्तों में शिथिलता (छूट) : प्रति परियोजना 25.00 लाख रूपए तक का ऋण दिव्यांगजनों को स्व–रोजगार के लिए एनएचएफडीसी योजना के अंतर्गत कार्पोरेशन के सहयोगी बैंक द्वारा रियायती दर पर दिया जा सकता है भले ही ये गतिविधियां सीजीटीएमएसई के अंतर्गत आती हों या नहीं।

(घ) 'प्रमस्तिष्क घात', (सीपी)जिसका योजना के अंतर्गत पहले मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्क घात और स्वलीनता के लिए उपयोग होता था, को हटा दिया गया है। प्रमस्तिष्क घात से ग्रस्त व्यक्ति को अब अन्य श्रेणियों अर्थात अस्थि दिव्यांगता, श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि दिव्यांगता की तरह कार्पोरेशन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत सहायता की अनुमति दी गई है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, एनएचएफडीसी ने अपनी योजनाओं के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए स्व–रोजगार और उच्चतर शिक्षा हेतु उन्हें रियायती दर पर क्रेडिट के प्रवाह के लिए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक एवं विजया बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। अन्य बैंकों के साथ उसी प्रकार के मेल–जोल के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

6.2.5 एनएचएफडीसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग तन्त्रः

एनएचएफडीसी की योजनाओं और कार्यक्रमों के मानीटरिंग के लिए निम्नलिखित आंतरिक तंत्र मौजूद हैः–

(i) ऋण का उपयोग

कार्यान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध कराई गयी निधियों का उपयोग निधियां जारी करने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक है। कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी राशि के उपयोग के संबंध में ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ii) राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं

एनएचएफडीसी नियमित रूप से अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन करता है। ऐसे सम्मेलनों/कार्यशालाओं में

एनएचएफडीसी की योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। संबंधित राज्यों में एनएचएफडीसी की योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाओं पर भी चर्चा और मूल्यांकन किया जाता है। विचार–विमर्श के आधार पर,एनएचएफडीसी के उद्देश्यों के दायरे में नीतियों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाता है।

(iii) आंतरिक समीक्षा बैठकः

विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा मानीटरिंगकी जाती है तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

6.2.6 कौशल प्रशिक्षण

(i) एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण पर जोर दे रहा है और फरीदाबाद (हरियाणा) और उज्जैन (मध्य प्रदेश) में अपने कौशल प्रशिक्षण केंद्रों से उनके कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान कर रहा है। एनएचएफडीसी पारंपरिक और तकनीकी व्यवसायों और उद्यमशीलता के क्षेत्र में उचित तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें सक्षम और आत्म–निर्भर बनाने के लिए 15–50 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों के कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ii) एनएचएफडीसी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा सूचीबद्ध विभिन्न प्रशिक्षण साझेदारों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन भी करता है। 2018–19 के दौरान, एनएचएफडीसी ने डीईपीडब्ल्यूडी की सिपडा योजना के तहत 15800 दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत की।

6.2.7 प्रदर्शनी / जागरूकता शिविर / रोजगार मेले / सम्मेलन / कार्यशालाएं

वर्ष 2018–19 के दौरान, एनएचएफडीसी ने दिव्यांगजनों के लाभ के लिए अपनी योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजन और सूचना के प्रसार के लिए विभिन्न कार्यशालाओं / शिविरों / मेलों में भाग लिया। ये निम्नानुसार हैं:

(i) अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों और मेलों में सक्रिय प्रतिभागिता

(क) उज्जैन, मध्य प्रदेश में 28.04.2018 को ऋण शिविर, जॉब फेयर और टूल किट वितरण शिविर।

(ख) आईपीएच, नई दिल्ली द्वारा आईपीएच कार्यालय में 05.05.2018 को जॉब फेयर आयोजित किया गया ।

(ग) 26.07.2018 और 27.08.2018 को एनआईईपीएमडी, चेन्नई द्वारा ऋण मेला आयोजित किया गया।

(घ) दिल्लीहाट, पीतमपुरा, नई दिल्ली में 10 अगस्त, 2018 से 25 अगस्त, 2018 तक तीज मेला।

(ड़) 25.10.2018 को वीआरसीएच, कड़कड़डूमा, नई दिल्ली द्वारा जॉब फेयर आयोजित किया गया।

(ii) एनएचएफडीसी द्वारा सम्मेलन / कार्यशालाओं का आयोजन

(क) उत्तर प्रदेश में एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन में उनके द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के भागीदार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में 14.05.2018 को आयोजित किया गया था।

(ख) उत्तर पूर्वी राज्यों का एक क्षेत्रीय सम्मेलन 01.09.2018 को गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया था। उक्त सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों में एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

(ग) 05.09.2018 को बंगलौर में दक्षिणी राज्यों का एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। उक्त सम्मेलन में दक्षिणी राज्यों में एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

(घ) उत्तर प्रदेश में भागीदार बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक सम्मेलन 20-09-2018 को लखनऊ में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन की उक्त सम्मेलन में समीक्षा की गई थी।

(ड़) 02.11.2018 को उत्तरी राज्यों का एक क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उक्त सम्मेलन में उत्तरी राज्यों में एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

6.2.8 एनएचएफडीसी की सफलता की कहानियाँ अनुबंध–5 (पृष्ठ संख्या 142) पर है।

***

राष्ट्रीय संस्थान एवं समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

7.1 प्राक्कथन

7.1.1 दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल आठ राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। ये राष्ट्रीय संस्थान स्वायत्त निकाय हैं और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित किए गए हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में संलग्न ये संस्थान दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवा प्रदान कर रहे हैं और अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहे हैं। ये आठ राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित हैं:–

(i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली

(ii) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिशा

(iii) राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता, प. बंगाल

(iv) राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून, उत्तराखंड

(v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई, महाराष्ट्र

(vi) राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद, तेलंगाना

(vii) राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगताग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चैन्नई, तमिलनाडु

(viii) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली

7.1.2 इन आठ संस्थानों के अतिरिक्त, विभाग के तत्वाधान में मानचित्र रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास करना, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान संचालित करना और पक्ष समर्थन एवं नीति–निर्धारण करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीहोर, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) स्थापित किया जा रहा है।

7.2 लक्ष्य एवं उद्देश्य

(i) विशिष्ट दिव्यांगजन को क्लिनिककल सेवाएं प्रदान करना, शिक्षा और पुनर्वास को बढ़ावा देना।

(ii) विभिन्न श्रेणियों के पुनर्वास व्यावसायिकों / कार्मिकों के लिए पाठ्यक्रम

(iii) अन्य संगठनों के सहयोग के साथ अनुसंधानों को संचालित करना, प्रायोजित करना, समन्वय करना अथवा / वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(iv) सहायक यंत्रों और उपकरणों का विकास, संवर्धन, निर्माण और वितरण

7.3 पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूआईपीपीडी), नई दिल्ली

वर्ष 1960 में स्थापित पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (दिव्यांगजन) पोलियो माइलाइटिस, प्रमस्तिकघात, तरूमेटिक डीफोरमिटी, मस्तिष्क आघात मामले आदि जैसे गतिशीलता दिव्यांगताओं से ग्रस्त लोगों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है।

7.3.1 लक्ष्य और उद्देश्य

(i) फिजियोथैरेपिस्ट, व्यावसायिक थैरापिस्ट, प्रोस्थैटिक्स और आर्थोटिक्स तथा अन्य ऐसे व्यावसायिकों, जो दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है, प्रशिक्षण शुरू करना।

(ii) मानसिक मंदता वाले अथवा बिना मानसिक मंदता वाले अस्थिरोग ग्रस्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्य–समायोजक और इसी तरह की अन्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।

(iii) ऐसे सहायक यंत्र और उपकरण, जिनकी दिव्यांगजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए जरूरत पड़ती है, उनका निर्माण शुरू करना और वितरण करना।

(iv) सम्मेलन, संगोष्ठी, परिचर्चा के आयोजन सहित ऐसी अन्य सेवाएं, जो दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त समझी जाती हैं, प्रदान करना।

(v) दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए अधिकाधिक प्रभावी तकनीकों के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान को शुरू करना, प्रायोजित करना अथवा उन्हें बढ़ाना।

(vi) अनुसंधान अथवा ऐसी अन्य गतिविधियां, जिन्हें दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजायन किया जा सकता है, उनके लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना।

(vii) ऐसे प्रकाशनों, जिन्हें उपयुक्त समझा जा सकता है, को शुरू करना अथवा प्रायोजित करना।

(viii) ऐसे अन्य अन्य काम, जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक अथवा प्रासंगिक हो सकते हैं, करना।

7.3.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) चिकित्सा तैयारी और रेफरल

(ii) विशिष्ट क्लिनिकल सेवाएं

(iii) वाह्य रोगी आयुर्वेदिक क्लिनिक

(iv) अत्याधुनिक उपकरण और जिम सहित फिजियोथैरेपी

(v) व्यावसायिक थैरेपी

(vi) संवेदी अनुकूलन थैरेपी

(vii) मॉडल समेकित स्कूल

(viii) प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स

(ix) वाक् एवं भाषा तैयारी

(x) मनोवैज्ञानिक तैयारी

(xi) मार्गदर्शन और परामर्श

(xii) स्वतंत्र जीवन यापन प्रशिक्षण (एडीएल) इकाई

(xiii) सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण

7.3.3 मानव संसाधन विकास

7.3.3.1 पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, संस्थान प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स में स्नातकोत्तर (एमपीओ) स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम : फिजिकल थैरेपी (बीपीटी), व्यावसायिक थैरेपी (बीओटी) प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स (बीपीओ) प्रत्येक में 04 वर्ष 06 माह की अवधि का पाठ्यक्रम भी संचालित कर रहा है। ये पाठ्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

7.3.3.2 क्षेत्रीय केन्द्र / सेटेलाइट केन्द्र / समेकित क्षेत्रीय केन्द्र : संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान सिकन्दराबाद के परिसर में अपनी दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र (एसआरसी), सीमापुरी और नरेला, नई दिल्ली में, नीलीखेड़ी, करनाल, हरियाणा में और टोंक, राजस्थान में सेटेलाइट केन्द्रों की स्थापना की है। संस्थान दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), के की सुविधा प्रदान करता है।

7.3.4 नई पहलें और कार्यक्रम

पैनलबद्ध प्रशिक्षण सहभागियों के माध्यम से दिव्यांगजनों को दिया गया कौशल प्रशिक्षण को प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थल पर जागरूकता कार्यक्रम के संचालन द्वारा समृद्ध बनाया गया। कौशल प्रशिक्षण, जिसमें लाभार्थी प्रशिक्षण ले रहे थे, के अतिरिक्त अन्य पुनर्वास सेवाओं के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया गया। अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर 2018 में विकासपुरी, दिल्ली, मंगोलपुरी, दिल्ली, त्रिनगर और नजफगढ़, दिल्ली और कासना, नोएडा, उ.प्र., और कविनगर, गाजियाबाद, उ.प्र. में आयोजित 6 जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 1950 लाभार्थियों को शामिल किया गया।

पीडीयूएनआईपीपीडी द्वारा 5 मई, 2018 को दिव्यांगजनों के लिए आयोजित नौकरी मेला।

7.4 स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक

स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) पिछले 43 वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा करता आ रहा है।यह 1975 में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर की एक सहायक इकाई के रूप में राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक संस्थान (एनआईपीओटी) के रूप में स्थापित किया गया था। एनआईपीओटी को 22 फरवरी, 1984 को समुदाय आधारित पुनर्वास और मानव संसाधन विकास पर जोर देने के लिए सामाजिक न्याय

और अधिकारिता मंत्रालय (पहले का कल्याण मंत्रालय), के भारत सरकार के अन्तर्गत रखा गया था। इसका नाम 1984 में एनआईपीओटी से बदलकर एनआईआरटीएआर रखा गया और बाद में 2004 में एसवीएनआईआरटीएआर बदल दिया गया। यह देश में गतिशील दिव्यांगताग्रस्त लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख संस्थानों में से एक है।

7.4.1 लक्ष्य और उद्देश्य :

(i) यह दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रास्थेटिस्टों, आर्थोटिस्टों, फीजियोथैरोपिस्टों, व्यावसायिक थैरेपिस्टों, बहुउद्देश्य पुनर्वास थैरोपिस्टो और अन्य पुनर्वास कार्मिकों जैसे पुनर्वास कार्मिकों के लिए दीर्घकालीन, अल्पकालीन प्रशिक्षण का दायित्व उठाता है।

(ii) सहायक यंत्रों और उपकरणों के डिजायन किए गए नमूनों का प्रचार करना, वितरण करना और निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देना।

(iii) गतिशील दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवा वितरण कार्यक्रमों के मॉडलों का विकास।

(iv) शारीरिक दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्लेसमेंट (नियोजन) और पुनर्वास।

(v) भारत और विदेश में दिव्यांगता और पुनर्वास पर प्रलेख और प्रसार सेवा।

(vi) शोध– अस्थि रोगग्रस्त व्यक्तियों के लिए गतिशील सहायक उपकरणों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए बॉयो मेडिकल इंजीनियरिंग पर शोध गतिविधियों को संचालित करना और समन्वय करना अथवा उपयुक्त सर्जिकल अथवा चिकित्सा प्रक्रियाओं संबंधी शोध करना तथा नए सहायक यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए शोध करना।

(vii) विस्तार और आउटरीच सेवाएं।

(viii) भारत और विदेश में पुनर्वास के क्षेत्र में किसी अन्य कार्रवाई को शुरू करना।

7.4.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) सुधारात्मक सर्जरियां

(ii) 100 बिस्तरों वाला अस्पताल

(iii) विभिन्न प्रकार की चलन दिव्यांगताओं वाले रोगियों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करना

(iv) सामाजिक कार्य

(v) वाक् एवं श्रवण

(vi) स्थानीय प्रशासन/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर बहुत से मूल्यांकन शिविरों और सर्जिकल शिविरों को आयोजित करना

(vii) थैरेप्यूटिक पुनर्वास सेवाएं (फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थैरेपी)

(viii) प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक उपकरणों का निर्माण और फिटमेंट

माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री धमेन्द्र प्रधान (एसडी एंड ई) और डॉ. थावरचंद गेहलोत (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) द्वारा दिनांक 21 मई, .2018 को बालनगीर में एसवीएनआईआरटीएआर, सेटेलाइट केन्द्र, का उद्घाटन।

सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सीएमडी, नालको और निदेशक एसवीएनआईआरटीएआर, द्वारा 29 मई, 2018 को कम्प्यूटर समर्थित डिजायन/कम्प्यूटर सहायित निर्माण प्रयोगशाला का उद्घाटन

7.5 राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी) कोलकाता

तत्कालीन सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनएक स्वायत्त निकाय के रूप में वर्ष 1978 में राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), पहले का राष्ट्रीय अस्थिरोग ग्रस्त संस्थान (एनआईओएच), की कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में स्थापना की गई थी। एनआईएलडी दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करता है और उन्हें अपने गैर–दिव्यांग मित्र समूह के साथ एक समान अधार पर पुनर्वास, प्रबंधन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानव संसाधन विकास के माध्यम से जीवन जीने के लिए अपने अधिकारों को अनुभव करने में सक्षम बनाता है।

7.5.1 लक्ष्य और उद्देश्य

(i) समन्वय अथवा गतिशीलता की समस्या सहित अस्थिरोग ग्रस्त व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान को संचालित / प्रायोजित समन्वयन करना अथवा सब्सिडी देना है।

(ii) बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में सहायक यन्त्रों के प्रभावी मूल्यांकन और मानकीकरण अथवा उपयुक्त सर्जिकल अथवा चिकित्सा प्रक्रिया अथवा नए सहायक उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान शुरू करना, प्रायोजित करना, समन्वयन करना अथवा सब्सिडी देना।

(iii) प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं अथवा ऐसे अन्य कार्मिकों, जिन्हें संस्थान द्वारा शिक्षा, प्रशिक्षण को बढ़ावा देने अथवा अस्थिरोग ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझा जाता है, के प्रशिक्षण को शुरू करना अथवा प्रायोजित करना।

(iv) अस्थिरोग ग्रस्त व्यक्ति की थैरेपी अथवा शिक्षा पुनर्वास के किसी भी पक्ष को बढ़ावा देने के लिए डिजायन किए गए किसी अथवा सभी सहायक उपकरणों का वितरण करना, बढ़ावा देना अथवा निर्माण के लिए सब्सिडी देना।

7.5.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) मानव संसाधन विकास (डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के 10 विभिन्न पाठ्यक्रम)

(ii) अनुसंधान और विकास

(iii) शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास

(iv) आउटडोर सेवाएं

(v) पैथोलॉजिकल अनुमान

(vi) रेडियोलॉजी

(vii) सुधारात्मक सर्जरी

(viii) उपयुक्त सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराना

(ix) फिजियोथैरेपी

(x) ऑक्यूपेशनल थैरेपी

(xi) प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स

(xii) संस्थान और शिविरों के माध्यम से एडिप योजना का कार्यान्वयन करना

(xiii) विशेष शिक्षा परामर्श (काउंसलिंग)

(xiv) श्रवण मूल्यांकन

(xv) पुस्तकालय प्रलेखीकरण और सूचना का प्रसार

(xvi) छात्रों का प्लेसमेंट (नियोजन)

(xvii) ऑक्यूपेशनल परामर्श (काउंसलिंग) और निर्देशन

(xviii) आर्थिक पुनर्वास

(xix) दिव्यांगजनों के लिए रेलवे किराया छूट

(xx) प्रशिक्षण सहभागियों के सहयोग से कौशल विकास

(xxi) गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मानीटरिंग

(xxii) जागरूकता सृजन

(xxiii) प्रदर्शनी

(xxiv) अन्य गतिविधियाँ (जन सूचना अधिकार का उत्तर देना, भारत सरकार के अनुदेश के अनुसार, विशेष दिवसों/सप्ताह का अनुपालन)

7.5.3 क्षेत्रीय केन्द्र और समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

संस्थान के देहरादून में क्षेत्रीय अध्याय और आइजॉल में क्षेत्रीय केन्द्र है जो पटना, त्रिपुरा और नाहरलागुन के दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए एक समेकित क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यों को समन्वित भी करता है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव तथा माननीय केन्द्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता डॉ. थावरचंद गेहलोत द्वारा 08 जून, 2018 को सीआरसी त्रिपुरा का उद्घाटन

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा जुलाई 5, 2018 को एनआईएलडी दिव्यांगता अध्ययन केन्द्र, आईजोल का उद्घाटन

7.6 राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून की स्थापना वर्ष 1979 में हुई। यह दृष्टि दिव्यांगजनों को सामुदायिक जीवन के सभी क्षेत्रों में भाग लेने के मुख्य उद्देश्य के साथ दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में शीर्ष संस्थान है।

7.6.1 लक्ष्य और उद्देश्य

(i) विश्वविद्यालयों सहित अन्य गैर–सरकारी संगठनों और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से शोध संचालित करना, प्रायोजित करना, समन्वित करना/अथवा सब्सिडी देना।

(ii) विशेष उपकरणों/यंत्रों या समुचित सर्जिकल अथवा मेडिकल प्रक्रियाओं या नए विशेष उपकरणों/यंत्रों के प्रभावी मूल्यांकन और मानकीकरण में बायोमेडिकल अनुसंधान करना, प्रायोजित करना, समवित करना या सब्सिडी प्रदान करना।

(iii) प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं और ऐसे अन्य कार्मिक, जो भी आवश्यक समझे जाएं, सहित विभिन्न विशिष्ट व्यावसायिकों का प्रशिक्षण शुरू करना अथवा प्रायोजित करना।

(iv) नमूनों का वितरण, प्रसार अथवा निर्माण के लिए सब्सिडी देना और दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा के किसी भी पक्ष, पुनर्वास अथवा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किसी अथवा सभी डिजायन की गई उपकरणों (डिवाइसों) के वितरण की व्यवस्था करना।

7.6.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) मानव संसाधन विकास और सशक्तिकरण कार्यक्रम

चार दीर्घ अवधि वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है:

(क) एम.एड. विशेष शिक्षा (VI)

(ख) बी.एड. विशेष शिक्षा (VI)

(ग) विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (VI),

(घ) पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

(ii) ब्रेल विकास इकाई गारो, खासी, भूटिया, लेपचा और नागा भाषाओं के लिए ब्रेल कोड को तैयार करने में पूरी तरह से सफल रही है।

(iii) दृष्टिबाधितों के लिए मॉडल स्कूल 1959 से प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान कर रहा है।

(क) संस्थान के दृष्टिबाधित मॉडल स्कूल ने दिसम्बर 10–13, 2018 में नई दिल्ली में आयोजित आईबीएसए– राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2018 में पुनः 14 पदक (05 स्वर्ण, 04रजत और 05 कांस्य पदक) जीतकर इतिहास रचा है।

कुमारी रवीना ने 100/200 मीटर दौड़ में 02 स्वर्ण पदक जीते जबकि कुमारी स्नेहा डोमुगा ने 800/1500 मीटर दौड़ में 02 स्वर्ण पदक जीते।

(ख) वेलहम बाल विद्यालय, देहरादून में 14–16 दिसम्बर, 2018 तक आयोजित फर्स्ट एवर, ट्रायनगुलर वूमैन ब्लाईंड क्रिकेट मैच में संस्थान ने उत्तराखण्ड प्रथम नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम में ऐतिहासिक कदम उठाया।

(iv) प्रौढ़ नेत्रहीन प्रशिक्षण केन्द्र (टीसीएबी) तब से पुरूष और महिलाओं दोनों का व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहा है।

(v) लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, मसूरी से 380 परिवीक्षाधीन व्यक्ति दो दिवसीय अभिविन्यास संगोष्ठी के लिए आए और 12–13 सितम्बर, 2018 को संस्थाओं का दौरा किया।

(vi) अल्पकालीन संवेदीकरण कार्यक्रम – संस्थान में 26 अक्तूबर, 2018 को अन्तरचक्षु आयोजित किया गया। सैण्ट जॉर्ज कॉलेज, मसूरी के 85 छात्र और संकाय सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

(vii) सिपडा योजना के तहतः दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए दिव्यांगताओं के प्रकार के अनुरूप अपेक्षिक कार्यभूमिकाओं/ट्रेड के लिए मंत्रालय द्वारा दृष्टि बाधिता पर उप–समिति की तीन दिवसीय बैठक अप्रैल, 16–18, 2018 से एनआईपीपीडी, नई दिल्ली में आयोजित की गयी था। समिति ने एनआईईपीडी, देहरादून द्वारा आयोजित किए जा रहे परंपरागत पाठ्यक्रम के 5 मॉडल पाठ्यक्रम डिजाइन और तैयार किए। इस प्रकार समिति ने दिव्यांगजनों के लिए 27 मॉडल पाठ्यक्रम पुनः अनुकूलित और डिजाइन किए।

(viii) कैरियर काउंसिलिंग और प्लेसमेंट इकाई

7.6.3 प्रकाशन, उत्पादन और अनुसंधान

(i) ब्रेल उपकरणों का निर्माण– 1952 से ब्रेल उपकरणों के निर्माण के लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के लेखन, परिकलन, मनोरंजनात्मक, गतिशीलता, खेल और मनोरंजनात्मक डिवाइसों का निर्माण किया जा रहा है।

(ii) बेल मुद्रणालय (प्रेस)– संस्थान का केन्द्रीय ब्रेल मुद्रणालय (प्रेस) 1951 में स्थापित किया गया था, क्षेत्रीय ब्रेल मुद्रणालय 2008 में चैन्नई में स्थापित किया गया, लघु

पैमाने की तीन मुद्रण इकाई 2009–10 में शिलांग, आईजोल और अगरतला में स्थापित की गई थी और चौथी लघु पैमाने की ब्रेल मुद्रणालय इकाई 2013 में गुवाहाटी, असम में स्थापित की गई थी।

(iii) लार्ज प्रिंट प्रेस – संस्थान ने देश का प्रथम बृहद् मुद्रणालय 31 मार्च, 2012 में और दूसरी बृहद् मुद्रण इकाई वर्ष 2017 में क्षेत्रीय केन्द्र चेन्नई में भी स्थापित की। ये विशिष्ट मुद्रणालय निम्न दृष्टि वाले बच्चों के लिए विस्तृत मुद्रण फोंट में विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराते है।

(iv) अनुसंधान और विकास – इस संस्थान में 7 अनुसंधान परियोजनाओं में शोध कार्य चल रहा है।

(v) श्री बृजलाल, शिक्षक, दृष्टि दिव्यांग मॉडल स्कूल द्वारा लिखित "टेलर फ्रेम–एन इंट्रोडक्शन" पुस्तक प्रकाशित की गयी।

(vi) ''परीक्षा प्रकोष्ठ नियमावली'' प्रकाशित की।

7.6.4 क्षेत्रीय केन्द्र और समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

संस्थान का एक क्षेत्रीय केन्द्र चेन्नई (तमिलनाडु) में, दो क्षेत्रीय चेप्टर, सिकन्दराबाद (आंध्रप्रदेश) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में है और यह हिमाचल प्रदेश, सुंदरनगर में दिव्यांगजन कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केन्द्र के साथ समन्वित करता है।

7.6.5 भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से, संस्थान ने पूरे देश में 21 राज्यों में 101 केन्द्रों के लिए विशेष शिक्षा (iv और डीबी) में डिप्लोमा पाठ्क्रम, कम्प्यूटर शिक्षा (VI) में डिप्लोमा में अन्तिम सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाएं संचालित की हैं।

7.6.6 ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक सहायता योजना के तहत, संस्थान ने बिहार, मेघालय, मध्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य में 6 नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना की है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना का प्रस्ताव प्रगति पर है। वर्तमान ब्रेल प्रेसों के आधुनिकीकरण की श्रेणी के तहत, 12 ब्रेल प्रेसों को आधुनिकीकृत और 03 ब्रेल मुद्रण प्रेसों को सवंर्धित किया गया था।

ब्रेल उपकरणों का निर्माण, केन्द्रीय ब्रेल प्रेस

7.6.7 वाणी (स्वतन्त्रता के लिए यथार्थ श्रवण सुविधा) का शुभारम्भ– एनआईपीवीईडी का सामुदायिक एफ एम रेडियो (91.2 एमएचजेड) का विचार श्रवण के रूप में और एक गाईड के रूप में उभरा, वाणी नाम स्वयं स्वतः स्पष्ट है जैसे :(वी–विरच्यूल (दृष्टि), ए–आडिटरी (श्रवण) ए–नेस्ट (आश्रयस्थल), आई–इंडिपेंडस (स्वतंत्रता) के लिए है)। वाणी के नेस्ट में 30 एफएम (रिसीवर मॉड्यूल्स) का समावेश करना होगा, जिन्हें एनआईपीवीईडी की परिधि को घेरने के लिए विभिन्न नामित स्थानों (खम्भों पर) पर स्थापित किया जाएगा। ये विशेष कार्यक्रम 3 दिसम्बर, 2018 (विश्व दिव्यांगता दिवस) से 4 जनवरी 2019 तक (लाऊज ब्रेल दिवस) प्रसारित किये जायेंगे।

7.7 अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बइ

अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन) (एवाईजेएनआईएसएचडी (डी)), मुंबई की स्थापना 9 अगस्त, 1983 को की गई थी।

7.7.1 लक्ष्य और उद्देश्य

(i) श्रवण बाधितों के लिए शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में शोध संचालित, प्रायोजित और संयोजन करना।

(ii) श्रवणबाधितों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्योवसायिक परामर्शदातों के प्रशिक्षण का दायित्व लेना अथवा प्रायोजित करना।

(iii) श्रवणबाधितों की शिक्षा, पुनर्वास और रोगोपचार के किसी भी पहलू को बढावा देने के लिए तैयार किए गए किसी एक अथवा सभी सहायक उपकरणों के नमूनों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देना अथवा बढ़ावा देना अथवा वितरण करना।

7.7.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) श्रवण, वाक् और भाषा न्यूनता का मूल्यांकन और रोग–निवारण

(ii) हियरिंग एड्स और ईयर मोल्ड का चयन करना और फिट करना

(iii) मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

(iv) शैक्षिक मूल्यांकन सेवाएं

(v) मनोचिकित्सा और व्यवहार चिकित्सा

(vi) माता–पिता का निर्देशन और परामर्श

(vii) प्री–स्कूल

(viii) निर्दिष्ट करना (रेफरल) और जॉच

(ix) आउटरीच और विस्तार सेवाएं

(x) अभिभावक, शिशु कार्यक्रम

(xi) व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट

(xii) वाक् और भाषा रोगोपचार

(xiii) कॉकलियर इंप्लांट

(xiv) टोल फ्री सूचना लाईन

7.7.3 जनशक्ति विकास

(i) संस्थान निम्नलिखित दीर्घावधि वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है:

(क) डॉक्टिरल

(ख) स्नातकोत्तर

(ग) स्नातक

(घ) शिक्षा (श्रवण बाधित) के क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम,

(ड.) अभिवाक और श्रवण (श्रवणविज्ञान और अभिवाक् भाषा रोगनिदान)

(च) संकेत भाषा दुभाषिया पाठ्यक्रम में डिप्लोमा

(छ) श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर अनुप्रयोग में सर्टिफिकेट कोर्स

(ii) संस्थान और इसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा लघु अवधि वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

7.7.4 क्षेत्रीय अध्याय और समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

संस्थान के कोलकाता, सिकन्दराबाद, जनला तथा नोएडा में चार क्षेत्रीय चेप्टर और दिव्यांगजनों के कौशल विकास एवं पुनर्वास के लिए भोपाल और अहमदाबाद में दो समेकित क्षेत्रीय केन्द्र है।

चिकित्सा सेवाएं, विशेष शिक्षा, मनौवैज्ञानिक मूल्यांकन शीघ्र पहचान सेवाएं, पीएमआर यूनिट व्यवहार सुधार फिजियोथैरेपी/आर्थोपेडिक रेस्पाइट केयर पेरेन्ट काउंसलिंग

डॉ. थावरचन्द गेहलोत, माननीय केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार ने 26 अप्रैल, 2018 को एवाईजेएनआईएसएचडी, मुम्बाई के अपने दौरे के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 'वयोश्री योजना' प्रारंभ की।

बायोकैमिस्ट्री ऑटिज्म वोकेशनल असेसमेंट स्वीच एंड आडियोलिजी सेवाएं, मल्टी सेंसरी वोकेशनल गाइडेन्स एंड इन्फोरमेशन इलैक्ट्रोएनसिफलोग्राम (सीएआई) वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग मल्टीपल डिसेबिलिटी ग्रुप एक्टिविटी वर्क स्टेशन (वोकेशन ट्रेनिंग) न्यूट्रिशन मोबाइल सर्विस, आक्यूपेशनल थैरेपी हाईड्रोथैरेपी, योगाकम्यूनिटी, आऊटरीच प्रोग्राम, न्यूरोलॉजी/डेन्डल रेस्पाइट केयर सर्विसेज, नार्थ–ईस्ट एक्टिविटीज, होम्योपैथी फैमिली काटेज सर्विसेज डिस्ट्रिब्यूशन आफ टीएलएम।

7.8 राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईपीआईडी) सिकंदराबाद

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), जिसे पूर्व में राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान के रूप में जाना जाता था, एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसे वर्ष 1984 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

एनआईईपीआईडी का अपना मुख्यालय सिकंदराबाद, तेलंगाना में है। संस्थान के सात विभाग हैं नामतः एडल्ट इंडिपेन्डेंट लिविंग (स्वतंत्र रूप से प्रौढ़ जीवन–निर्वाह), सामुदायिक पुनर्वास और परियोजना प्रबंधन, पुस्तकालय और सूचना सेवाएं, मेडिकल विज्ञान, थेराप्यूटिक्स पुनर्वास मनोविज्ञान और विशेष शिक्षा है।

7.8.1 उद्देश्य

(i) मानसिक दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु जनसशक्ति का सृजन और मानव संसाधनों का विकास करना।

(ii) देश में मानसिक मंदता के क्षेत्र की पहचान करना, शोध संचालित करना और समन्वय करना।

(iii) भारतीय संस्कृति के अनुरूप मानसिक मंदताग्रस्त व्यक्तियों की देखभाल और पुनर्वास के उपयुक्त मॉडल विकसित करना।

(iv) बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

(v) मानसिक मंदता के क्षेत्र में प्रलेखीकरण और सूचना केन्द्र के रूप में सेवा करना।

(vi) ग्रामीण और कम आय वाली जरूरतमंद जनता के लिए समुदाय–आधारित पुनर्वास सेवाओं का विकास करना।

(vii) मानसिक मंदता के क्षेत्र में विस्तार और आउचरीच कार्यक्रमों को शुरू करना।

7.8.2 प्रदत्त सेवाएं

चिकित्सा सेवाएं	विशेष सेवाएं	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन
प्राम्भिक तैयारी (उपाय) सेवाएं	पीएमआर इकाई	व्यवहारपरक बदलाव
फिजियोथैरेपी / आर्थोपेडिक्स	विश्राम देखभाल	मता–पिता को परामर्श
बायोकेमिस्ट्री	स्वलीनता	व्यावसायिक मूल्यांकन
वाक् एवं श्रवण सेवाएं	बहु–संवेदी	व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श
बहु–दिव्यांगता	समूह गतिविधि	कार्यस्थल (व्यावसायिक प्रशिक्षण)
पोषण	चल सेवाएं	व्यावसायिक थैरेपी
हायड्रोथैरेपी	योगा	सामुदायिक आउटरीच
स्नायुविज्ञान / दंत संबंधी	विश्राम देखभाल सेवाएं	पूर्वोत्तर गतिविधियां
होमियोपैथी	परिवारिक कुटीर सेवाएं	शिक्षण अधिगम सामग्री का वितरण

7.8.3 क्षेत्रीय केन्द्र और समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

एनआईईपीआईडी के नई दिल्ली, नोएडा, कोलकाता और नवी मुम्बई में क्षेत्रीय केन्द्र स्थित हैं। नेल्लौर और देवनगिरि में कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांगजनों के

सशक्तिकरण से संबंधित समेकित क्षेत्रीय केन्द्र एनआईईपीआईडी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

7.8.4 पहलें / कार्यक्रम

(i) एनआईईपीआईडी ने अन्तराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी)– यूके सरकार और दिव्यांगजन कौशल परिषद् (एससीपीडब्ल्यूडी) के सहयोग से 27–30 नवम्बर, 2018 तक प्रशिक्षणार्थियों के लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

(ii) एनआईईपीआईडी ने सीएचओआईसीई प्रतिष्ठान हैदराबाद के और लिटिल स्टार अस्पताल हैदराबाद के सहयोग से मई, 2018 और नवम्बर, 2018 में हैदराबाद और महबूबनगर में नियमित स्कूल छात्रों का एक विस्तृत मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन संचालित किया।

7.9 राष्ट्रीय बहु दिव्यांगता ग्रस्तजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई

एनआईईपीएमडी की स्थापना मुतुकाडू, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु में वर्ष 2005 में बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

7.9.1 उद्देश्यः

(i) बहु दिव्यांगता वाले व्याक्तियों के लिए प्रबंधन, प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के लिए मानव संसाधन का विकास।

(ii) बहु दिव्यांगता से जुड़े सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना और संचालित करना।

(iii) बहु दिव्यांगता वाले लोगों के विभिन्न समूहों की जरूरतों को पूरा करने और उनके सामाजिक पुनर्वास के लिए बहु विषयक मॉडल और कार्य–नीति विकसित करना।

(iv) बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सेवाएं और आउटरीच कार्यक्रम विकसित करना।

7.9.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) चिकित्सा तैयारी और रेफरल

(ii) सुपर स्पेशलिटी क्लिनिकल सेवाएं

(iii) प्रारंभिक तैयारी सेवाएं

(iv) शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास

(v) बाह्य रोगी होम्योपैथी क्लिनिक

(vi) फिजियोथेरेपी

(vii) व्यावसायिक थैरेपी

(viii) संवेदी एकीकरण थैरेपी

(ix) विशेष स्कूल

(x) प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स

(xi) समावेशी प्रारंभिक विद्यालय

(xii) अभिभावक सशक्तिकरण कार्यक्रम

(xiii) ऑडियोलॉजिकल मूल्यांकन

(xiv) वाक और भाषा तैयारी

(xv) मनोवैज्ञानिक तैयारी

(xvi) मार्गदर्शन और परामर्श

(xvii) विशेष शिक्षा सेवाएं

(xviii) प्रौढ़ स्वतंत्र जीवन निर्वाह

(xix) चल सेवाएं

(xx) दिवसीय देखभाल केंद्र

(xxi) व्यावसायिक प्रशिक्षण

(xxii) सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम

(xxiii) सहायक यंत्र और उपकरणों का वितरण

(xxiv) परिवार कुटीर सेवाएँ

(xxv) प्रलेखीकरण और प्रसार सेवाएं

(xxvi) राहत देखभाल सेवाएँ

(xxvii) टोल फ्री हेल्प लाइन

7.9.3 समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 04 समेकित क्षेत्रीय केन्द्र कोझीकोड, गोरखपुर, नागपुर और सिक्किम में एनआईईपीएमडी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

7.9.4 नई गतिविधियाँ और कार्यक्रम

(i) समझौता ज्ञापनः

(क) एनआईईपीएमडी ने कोंगू इंजीनियरिंग कॉलेज, पेरूनदुराई के साथ 15 मई, 2018 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य दैनिक जीवन के क्रिया–कलाप, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के क्षेत्र में सुगम्य प्रौद्योगिकी के प्रावधान के माध्यम से बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों को सशक्त बनाना है।

(ख) एनआईईपीएमडी ने 4 यू स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई के साथ दिनांक 12 जून, 2018 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए है।

(ग) एनआईईपीएमडी ने दिनांक 25 जुलाई, 2018 को संकाय आदान–प्रदान कार्यक्रम (फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम), अनुसंधान और मानव संसाधन विकास के उद्देश्य के लिए एमएमएन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज, चैन्नई के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ii) एनएएसी प्रत्यायन

(क) एनएएसी द्वारा एनआईईपीएमडी को बी ग्रेड देकर प्रत्यायित किया गया है जो 2 नवम्बर, 2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

(iii) सुगम्य बस और प्रतीक्षा कक्ष

(क) सीएसआर योजना के तहत सीचपीसील, चैन्नई द्वारा प्रायोजित 2 अगस्त 2108 को एनआईईपीएमडी ने झंडी दिखाकर बाधामुक्त सुगम्य बस सेवा रवाना की।

(ख) सीएसआर के तहत सीपीएल, चैन्नई द्वारा प्रायोजित बाधामुक्त प्रतीक्षा कक्ष का शिलान्यास किया गया।

7.9.5 राष्ट्रीय पुरस्कार

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्व–नियोजित (पुरूष) श्रेणी के अन्तर्गत श्री एम. कार्तिकेयन, राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 के लिए चयनित किए गए।

(ii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्व–नियोजित (महिला) श्रेणी के अन्तर्गत सुश्री आर. सुगन्या, राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 क लिए चयनित की गई।

7.9.6 मानव संसाधन विकास (एचआरडी):

(i) स्नातोकत्तर समाज कार्य–दिव्यांगता अध्ययन निरीक्षण

(क) डॉ. एमजीआर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय चैन्नई ने प्रोस्थेटिक्स और

आर्थोटिक्स में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उपलब्ध बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए 19 अप्रैल 2018 को नामांकित टीम सदस्यों ने एनआईईपीएमडी का दौरा किया।

(ख) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के नामांकित टीम सदस्यों ने स्नाकोत्तर समाज कार्य–दिव्यांगता अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उपलब्ध बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए 23 अप्रैल, 2018 को एनआईईपीएमडी का दौरा किया।

(ii) बीपीओ पाठ्यक्रम निरीक्षण :

(क) डॉ. एमजी.आर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, चैन्नई के नामांकित टीम सदस्यों ने बीपीओ पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए 19 अप्रैल, 2018 को एनआईईपीएमडी का दौरा किया।

(ख) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के नामांकित टीम सदस्यों ने बीपीओ पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उपलब्ध बुनियादी ढ़ाचे और सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए 26 अप्रैल, 2018 को एनआईईपीएमडी का दौरा किया।

7.10 भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी)

सरकार ने सितम्बर, 2015 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआटीसी) की स्थापना की है। केन्द्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय संकेत भाषा में शिक्षण और अनुसंधान का संचालन करने के लिए जनशक्ति का विकास करना है। वर्तमान में केन्द्र ए–91, प्रथम तल, नागपाल बिजनेस टावर, ओखला, फेस–11, नई दिल्ली–110020 के परिसर में चल रहा है। केन्द्र वर्तमान में भारतीय संकेत भाषा विवेचन (डीआईएसएलआई) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है। शैक्षिक वर्ष 2018–19 में डीआईएसएलआई के तीन बैचों की शुरूआत की गई है।

7.10.1 2018–19 के दौरान आईएसएफआरटीसी की मुख्य गतिविधियां

(i) बधिर बच्चों के माता–पिता/परिवारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम। बधिर बच्चों के माता–पिता/परिवारों में जागरूकता बढ़ाने और मूल संकेत भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए, बधिरता : परिवारों का सशक्तिकरण और जागरूकता–राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम

(डीईएफ–एनपी) परियोजना शुरू की गई थी जिसमें मध्यप्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा तीन राज्यों ने भाग लिया। गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी के माध्यम से परिवारों का प्रशिक्षण दिया गया। परियोजना अक्तूबर, 2018 में पूरी हुई।

(ii) आईएसएलआरटीसी ने भारतीय संकेत भाषा विवेचन (डीआईएसएलआई) में एक वर्षीय डिप्लोमा के पाठ्यक्रम जमा कराया। आईएसएलआरटीसी ने भारतीय संकेत भाषा डिप्लोमा (डीटीआईएसएल) एक नया दो वर्षीय कार्यक्रम भी विकसित किया। भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अप्रैल 2018 में दोनों कार्यक्रमों को अनुमोदित किया गया था और शैक्षिक सत्र 2019–20 से शुरू किए जायेंगे। दोनों कार्यक्रमों के लिए स्व–अधिगम विषय सामग्री के विकास का कार्य प्रगति पर है।

(iii) आईएसएलआटीसी द्वारा 23 सितम्बर, 2018 को प्रवासी भारतीय केन्द्र नई दिल्ली में संकेत भाषा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्री कृष्णपाल गुर्जर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री मुख्य अतिथि थे। आईएसएलआरटीसी द्वारा डिजायन किया गया। भारतीय संकेत भाषा पर उद्धरणों सहित डिजायन किया गया। वर्ष 2019 का एक विशेष कैलेंडर और समारोह के वीडियो के लिंक के साथ भारतीय संकेत भाषा (आईएसएल) में क्यूआर कोड इस अवसर पर जारी किया।

(iv) आईएसएलआरटीसी ने 24 सितम्बर से 27 सितम्बर, 2018 तक बधिर अन्तरराष्ट्रीय सप्ताह के दौरान 9 सरकारी विभागों, शिक्षा निकायों और पुलिस निकायों में कुल 1070 प्रतिभागियों के साथ जागरूगता कार्यक्रम का संचालन किया।

(v) 28 सितम्बर, 2018 को आईएसएलआरटीसी ने अपना स्थापना दिवस मनाया और भारतीय संकेत भाषा विवेचन (डीआईएसएलआई) पाठ्यक्रम के 2016–17 बैचों के सफल छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह भी आयोजित किया। कुल 34 छात्रों ने पाठ्यक्रम पास किया और श्रीमती शंकुतला डौले गामलिन, सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) और श्रीमती डोली चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी एवं निदेशक, आईएसएलआरटीसी द्वारा उत्तीर्ण छात्रों को डिप्लोमा प्रमाण–पत्र वितरित किए गए।

(vi) दिल्ली मेट्रो स्टाफ को संकेत भाषा में प्रशिक्षण देना एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके लिए यह केन्द्र उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है। 1100 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है और नवम्बर 30, 2018 तक भारतीय संकेत भाषा में 700 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(vii) भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) ने आईएसएलआरटीसी को राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड (एनबीईआर) समस्त भारतीय संकेत भाषा (आईएसएल) संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए बनाया है। जैसा कि एनबीईआर, आईएसएलआरटीसी ने सात संस्थानों के समस्त डीआईएसएलआई छात्रों का नामांकन किया और डीआईएसएलआई पाठ्यक्रम 2017–18 बैच के कुल 83 छात्रों को वार्षिक परीक्षा संचालित की।

7.11 कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

इस विभाग ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, कौशल विकास और पुनर्वास के लिए 18 समेकित क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये हैं, जो इस विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों के आऊटरीच केन्द्रों/सहायक बल के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीआरसी सभी विनिर्दिष्ट दिव्यांगतओं की श्रेणियों को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

7.11.1 लक्ष्य और उद्देश्य

(i) दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास और विशेष शिक्षा में रिसोर्स केन्द्र के रूप में कार्य करना।

(ii) सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्रों में पुनर्वास व्यावसायिकों, ग्राम स्तर के कर्मियों, बहुपुनर्वास कर्मियों तथा अन्यों को प्रशिक्षण देना।

(iii) पुनर्वास सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए रणनीति तैयार करना और दिव्यांगता प्रोफाइल के लिए उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास करना।

(iv) दिव्यांगजनों के लिए रोजगार और पुनर्वास में वृद्धि के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना।

(v) दिव्यांगजनों के अधिकारों और आवश्यकताओं के संबंध में अभिभावकों और समुदाय में जागरूकता सृजन।

7.11.2 सीआरसी का विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	कौशल विकास, पुनर्वास तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केन्द्र	स्थापना का वर्ष
1.	सीआरसी, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	2000
2.	सीआरसी, भोपाल (मध्यप्रदेश)	2000
3.	सीआरसी, लखनऊ (यू.पी.)	2000
4.	सीआरसी, गुवाहाटी (असम)	2001
5.	सीआरसी, सुन्दरनगर (हिमाचल प्रदेश)	2001
6.	सीआरसी, पटना (बिहार)	2009
7.	सीआरसी, अहमदाबाद (गुजरात)	2011
8.	सीआरसी, कोजीकोडा (केरल)	2012
9.	सीआरसी, राजनंद गांव (छत्तीसगढ़)	2015
10.	सीआरसी, नेल्लौर (आंध्रप्रदेश)	2015
11.	सीआरसी, देवनगिरि (कर्नाटक)	2016
12.	सीआरसी, नागपुर(महाराष्ट्र)	2016
13.	सीआरसी, त्रिपुरा (त्रिपुरा)	2017
14.	सीआरसी, नाहरलागुन (अरूणाचल प्रदेश)	2017
15.	सीआरसी, बालनगीर (ओडिशा)	2018
16.	सीआरसी, गोरखपुर (यू.पी.)	2018
17.	सीआरसी, रांची (झारखंड)*	2018
18.	सीआरसी, सिक्किम (सिक्किम)*	2018

*कार्यत्मक किया जाना है।

7.11.3 वर्ष 2018–19 के दौरान एनआई और सीआरसी द्वारा परिचालित दीर्घावधि के पाठ्यक्रमों का विवरण अनुबंध–6 (पृष्ठ सं 151)।

7.11.4 एनआई की सफलता की कहानियां अनुबंध–5 (पृष्ठ सं 142) है।

***

विभाग की योजनाएं

8.1 सिंहावलोकन

विभाग दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है। योजना के उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बढ़ाने तथा साथ ही उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में समर्थ बनाने के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पुनर्वास को प्रोत्साहन देना तथा विकास करना है। दिव्यांगजनों के पुनर्वास की प्रमुख योजनाएं हैं:

8.2 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं

8.2.1 सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)

योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थाओं/संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों/भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)/राज्य दिव्यांग वित्त विकास निगम/अन्य स्थानीय निकाय/एनजीओ) को सहायतानुदान प्रदान करना है ताकि दिव्यांगजनों की अक्षमताओं के प्रभाव को घटाने तथा उसी वक्त उनकी आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने के माध्यम से उनकी भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए टिकाऊ, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक साधनों तथा उपकरणों की प्राप्ति में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करने की स्थिति में हो सके। दिव्यांगजनों को उनके स्वतंत्र कार्य करने में सुधार करने और अक्षमता को रोकने तथा माध्यमिक अक्षमता होने से रोकने के उद्देश्य से उन्हें सहायक उपकरण दिए जाते हैं। योजना के अंतर्गत दिए गए साधन तथा उपकरण का विधिवत प्रमाणन होना चाहिए। योजना में जब कभी आवश्यक हो, सहायक उपकरण देने से पूर्व सही शल्य चिकित्साओं के आयोजन की भी परिकल्पना की गई है।

8.2.1.1 पात्रता मानदंड

(i) 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।

(ii) सभी स्रोतों से मासिक आय 100 प्रतिशत रियायत के लिए 15000/– रू. प्रतिमाह और 50 प्रतिशत रियायत के लिए 15001/– से 20000/– रू. प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) नए सहायक उपकरण केवल इस प्रयोजन के लिए निर्धारित 03 वर्ष के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे। तथापि, 12 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों के लिए इसकी आपूर्ति 01 वर्ष बाद की जा सकती है।

(iv) अनाथालय एवं हॉफ वे होम्स में रह रहे लाभार्थियों की आय का प्रमाण–पत्र जिला कलेक्टर अथवा संबंधित संगठन के प्रमुख के प्रमाणन पर स्वीकार की जा सकती है।

8.2.1.2 सहायक यंत्र/उपकरण की अधिकतम लागत सीमा

(i) सहायक यंत्र एवं उपकरण 10000/– रू. से अधिक की लागत के नहीं होने चाहिए।

(ii) दिव्यांग छात्र के मामले में, IX कक्षा से ऊपर के विद्यार्थी के लिए सीमा 12000/– रू. है।

(iii) बहु दिव्यांगता के मामले में, एक से अधिक सहायक यंत्र/उपकरण की आवश्यकता होने के मामले में सीमा व्यक्तिगत मद पर अलग से लागू होगी।

(iv) आय सीमा के अधीन, स्कीम के तहत सहायता के लिए पात्र, 20,000/– रू. से ऊपर महंगी लागत वाली मदें, विभाग द्वारा अलग से सूचीबद्ध की जाएंगी। भारत सरकार लागत का 50 प्रतिशत वहन करेगी और शेष राशि पर या तो राज्य सरकार द्वारा या एनजीओ या अन्य किसी अन्य एजेंसी या लाभार्थी द्वारा, मामला दर मामला आधार पर, मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के साथ योगदान दिया जाएगा।

8.2.1.3 गतिविधियों के प्रकार

एडिप योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए निधियां निर्धारित एवं उपयोग की जाती है।

(i) एडिप–एसएसए शिविर

सहायक यंत्र एवं उपकरण 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा मानव संसाधन विकास

मंत्रालय की सर्वशिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों को वितरित किए गए। मंत्रालय के साथ करार के अनुसार, एलिम्कों, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा व्यय की 40 प्रतिशत राशि तथा एडिप योजना के अंतर्गत अनुदान के माध्यम से व्यय की 60 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) योजना एडिप–एसएसए प्रबंधन की तर्ज पर लागत शेयरिंग आधार पर 9–12 कक्षाओं (14–18 आयु वर्ग) में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराने संबंधी मामला मंत्रालय के विचाराधीन है।

योजना के अंतर्गत, विगत 03 वर्षो और चालू वर्ष (31.12.2018 तक) के दौरान सम्पूर्ण देश में प्राथमिक स्कूलों में एडिप–सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत 3718 शिविरों के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले 2.88 लाख दिव्यांग बच्चों (डीसीडब्ल्यूडीएसएन) बच्चों को लगभग 118.34 करोड़ रू. की लागत के सहायक यंत्र एवं सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए गए।

(ii) शिविर गतिविधियों के लिए

योजना के अंतर्गत, जिला वार दिव्यांगता शिविर आयोजित किए गए है। आयोजित

एडिप योजना के तहत 19.05.2018 को पूणे, महाराष्ट्र में आयोजित साहयक यंत्रों एवं साहयक डिवाइसों के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर

माननीय राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य अथितियों की गरिमामयी उपस्थिति में 11.02.2018 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में आयोजित मेगा शिविर के द्वौरान साहयक यंत्रों और साहयक उपकरणों का वितरण।

शिविरों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन क्षेत्रो, से कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्तावों की संस्तुति, असेवित क्षेत्रों में दुर्गम कवरेज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उभरती हुई आवश्यकता के अनुसार समय–समय पर शिविर आयोजित किए जाते है।

(iii) मुख्यालय गतिविधियों के लिए

(क) राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/एलिम्को अथवा उनके संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों में प्रस्ताव देने वाले पात्र लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए एडिप अनुदान देता है।

(ख) कुछ प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों के केंद्र/उप–केंद्र हैं जो दिव्यांगजनों के ओपीडी क्रियाकलाप निष्पादित करते हैं तथा सही शल्य चिकित्सा संबंधी आप्रेशन करते हैं। बहुत से दिव्यांगजन सहायक यंत्रों एवं उपकरणों के लिए अपने केंद्रों/उपकेंद्रों में जाते हैं। अतः, एडिप अनुदान उनके संबंधित मुख्यालय क्रियाकलापों के लिए जारी किए जाते हैं।

(iv) कोकलियर इंप्लांट सर्जरियां

प्रति यूनिट 6.00 लाख रू की अधिकतम सीमा के साथ दृष्टि बाधिता वाले 500 बच्चों के लिए कोकलियर इंपलांट का प्रावधान है। इसकी परिणति 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए जीवन भर राहत प्रदान करने में होगी।

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बई मामले में सहायता उपलब्ध कराने के लिए नोडल एजेंसी है। संस्थान समाचार पत्रों (अखिल भारत संस्करण और अपनी वेबसाइट www.adipcochlearimplant.in में विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों को एवाईजेएनआईएसएचडी, मुम्बई को वेबसाइट पर विज्ञापन/ब्यौरे के आधार पर आवेदन करना पड़ता है। कोकलियर इंप्लांट भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर और नामांकित अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए अनुसार खरीदा जाएगा। सर्जरी अभिज्ञात सरकारी/राज्य सरकार अनुमोदित अस्पतालों में कराई जाएगी। कोकलियर इंपलांट सर्जरी कराने के लिए, मंत्रालय में 186 अस्पतालों (दोनों सरकारी एवं निजी) को अनुमोदित किया है।

एडिप योजना के तहत एलिम्को, कानपुर में 13.07.2018 को सफलता पूर्वक कोकलियर इम्पलांट सर्जरी किए गए बच्चे के साथ बातचीत करते हुए सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी

8.2.1.4 योजना के तहत विगत तीन वितीय वर्ष और चालू वर्ष के दौराण 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार वितीय और वास्तवीक उपलब्धीयां नीचे दिये अनुसार हैं:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	जारी राशि	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	125.50	151.40	151.16	2,45,584
2016-17	130.00	170.00	170.00	2,90,295
2017-18	150.00	200.01	200.01	2,72,731
2018-19 (31.12.2018 तक)	220.00	223.42	161.05	1,48,733

8.2.1.5 पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार आयोजित शिविर, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयुक्त राशि एवं शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या **अनुबंध –7 (पृष्ठ संख्या 159)** पर है। 2018–19 के दौरान एनआई / एलिम्को / सीआरसी और एनजीओ को जारी सहायता अनुदान **अनुबंध –8 (पृष्ठ संख्या 161)** पर है। विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 2018–19 (31.12.2018 तक) के दौरान मांग पर आयोजित विशेष शिविरों / शिविरों का विवरण **अनुबंध –9 (पृष्ठ संख्या 163)** पर है। पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनजीओ / वीओ / राज्य निगम / डीडीआरसी आदि को जारी अनुदान सहायता **अनुबंध– 10 (पृष्ठ संख्या 170)** पर है।

8.2.1.6 पिछले चार वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप) के अंतर्गत विशेष उपलब्धियां

(i) एडिप योजना के अंतर्गत, पिछले चार वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान 720.90 करोड़ रूपए की अनुदान सहायता का उपयोग कर 7745 शिविरों के माध्यम से लगभग 12.23 लाख लाभार्थियों को लाभांवित किया गया।

(ii) एडिप योजना के अंतर्गत सहायक यंत्रों एवं उपकरणों के वितरण के लिए 29 राज्यों में 416 मैगा शिविर / विशेष शिविर आयोजित किए गए, 318.34 करोड़ रूपए की लागत से लगभग 4.00 लाख दिव्यांगजनों को लाभांवित किया गया।

(iii) इन शिविरों में से एक शिविर ग्वालियर, में माननीय राष्ट्रपति जी और चार शिविर वाराणसी, नवसारी, वडोदरा एवं राजकोट में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आयोजित किए गए।

(iv) देश के प्राइमरी विद्यालयों में एडिप–सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 4867 शिविरों के माध्यम से 3.97 लाख विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों (डीसीडब्ल्यूएसएन) को लगभग 155.68 करोड़ की राशि के सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराए गए।

(v) 31.12.2018 तक देश में 1640 (1294 एडिप योजना के अधीन और 346 सीएसआर के अन्तर्गत) कोकलियर इंप्लांट सर्जरियां सफलतापूर्वक की गई।

(vi) पात्र दिव्यांगजनों को 9002 मोटरीकृत तिपहिया साइकिलों का वितरण किया गया।

8.2.1.7 7 गिनीज बुक विश्व रिकार्ड बनाए गए जो निम्न प्रकार हैं:

(i) 16 सितम्बर, 2016 को नवसारी, गुजरात में एक ही स्थान पर अधिकतम संख्या में तेल के दीप प्रज्वलित कर पहला रिकार्ड बनाया गया।

(ii) 17 सितम्बर, 2016 को नवसारी, गुजरात में एक ही स्थान पर 8 घण्टों के भीतर 600 व्यक्तियों को (1200 श्रवण यंत्र) 1200 श्रवण यंत्रों की फिटिंग द्वारा दूसरा विश्व रिकार्ड बनाया गया।

(iii) 17 सितम्बर, 2016 को 1000 दिव्यांगजनों द्वारा सबसे बडा व्हीलचेयर लोगों/चित्र बनाकर तीसरा रिकार्ड बनाया गया, जिसने नवसारी, गुजरात में एक ऐतिहासिक समारोह बनाया।

(iv) चौथा गिनीज विश्व रिकार्ड 05 नवंबर, 2016 को बनाया गया, जब मणिपुर शिविर में 8 घंटों में 3911 दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र फिट किए गए।

(v) पांचवा राजकोट, गुजरात में राष्ट्रगान गायन के समय संकेत भाषा पाठ में एक ही स्थान पर 1445 श्रवण बाधित व्यक्तियों की अब तक की सर्वाधिक भागीदारी। पहले, इस तरह का एक रिकॉर्ड ताइवान (चीन) द्वारा 978 श्रवण बाधित व्यक्तियों की भागीदारी के साथ बनाया गया था।

(vi) छठा गिनीज विश्व रिकार्ड राजकोट, गुजरात में एक दिन में 781 गतिशीलता दिव्यांगों को सबसे अधिक संख्या में आर्थोसिस (केलिपर्स) फिट करने का बनाया गया।

(vii) सातवां गिनीज विश्व रिकार्ड एडिप शिविर भरूच, गुजरात में 28 फरवरी, 2019 को "आठ घंटे में (एक ही स्थान पर) अधिकांश व्यक्तियों प्रोस्थेटिक अंग फिट करके" बनाया गया जिसमें 260 दिव्यांगजनों को ऐसे प्रोस्थेटिक अंग फिट किए गए।

8.2.1.8 मानीटरिंग तंत्र

योजना के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के लिए निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया है:

(i) विभाग की दिव्यांगता संबंधित योजनाओं (विशेषकर एडिप, डीडीआरएस तथा डीडीआरसी) के कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में मानीटरिंग समिति का गठन।

(ii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में अधिकारियों को तथा मंत्रालय की दिव्यांगता संबंधी योजनाओं के अंतर्गत गारंटी संगठनों को निरीक्षण, प्रबोधन तथा मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का आवंटन।

(iii) एडिप योजना के अंतर्गत, किसी विशेष कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर संबंधित राज्य सरकार की अनुशंसाओं पर अनुदान जारी किया जाता है। अनुशंसाकर्ता प्राधिकरण संगठन को पिछले अनुदान से सहायताप्राप्त लाभार्थियों की 10 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत की जांच/प्रतिदर्श जांच भी आयोजित करता है।

(iv) संगठन को उन्हें पिछले अनुदान के संबंध में लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजना भी अपेक्षित है।

(v) एडिप योजना के अंतर्गत, कार्यान्वयन एजेंसियों को एक वेबसाइट का रखरखाव करना चाहिए और प्राप्त, प्रयुक्त अनुदानों और फोटो एवं राशन कार्ड संख्या/वोटर आईडी संख्या/आधार संख्या, जो भी मामला हो, के साथ–साथ लाभार्थियों की सूची के ब्यौरें अपलोड किए जाएं।

(vi) ई–अनुदान पोर्टल एनजीओ के प्रस्ताव को ऑनलाइन प्रस्तुत और प्रक्रियाबद्ध करना।

(vii) नीति आयोग पोर्टल (एनजीओ दर्पण) पर एनजीओ का आवश्यक पंजीकरण करना।

(viii) जागरूकता सृजन करना, आकलन और फालोअप कैंप के लिए प्रशासनिक/अतिरिक्त (ओवरहेड) खर्चो के अनुदान सह सहायता के 5 प्रतिशत का प्रयोग कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां करेंगी। मैगा कैंपों के लिए जहां पर लाभार्थियों की संख्या 1000 या इससे अधिक है और इन कैंपो में केबिनेट/राज्य मंत्रियों (एसजेएंडई)/मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, इस योजना के तहत 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय उपलब्ध होगा।

8.2.1.9 एडिप योजना के अंतर्गत, विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए समकालीन साधन तथा सहायक उपकरणों की अक्षमतावार सूची अधिसूचित की है, जो विभाग की वेबसाइट (ण्कपेंइपसपजलंपिेतेण्हवअण्पद) पर उपलब्ध है। जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बताया गया है, दिव्यांगताओं की संख्या को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। विभाग सभी प्रकार के दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त सहायक यंत्र और उपकरणों की सूची तैयार कर रहा है।

एडिप योजना की सफलता की कहानियां **अनुबंध–5 (पृष्ठ संख्या 142)** पर हैं।

8.2.2 दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)

8.2.2.1 सिपडा के अन्तर्गत निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई हैं:–

(i) दिव्यांगजनों को इन स्थानों पर सुगम्य वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए जिसमें विद्यालयों, महा विद्यालयों, आकादमिक और प्रशिक्षण संस्थानों, कार्यालयों और

सार्वजनिक भवनों, मनोरंजन संबंधी क्षेत्र, स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पताल आदि शामिल है। ऐसी कार्यकलापों जिनके लिए सहायतानुदान बाधा मुक्त अभिगम के संबंध में उपलब्ध कराया जाता है, व्यापक है, जिनमें रैम्पस, रेल, लिफ्टें, व्हीलचेयर प्रयोग करने वालों के लिए टॉयलेट प्रयोग करने में आसानी, ब्रेल चिन्ह, दृश्य संबंधी चिन्ह, टेकटाईल प्लोरिंग, कर्बकटस और स्लोक्स जिन्हें रास्तो में बनाया जाना चाहिए जिससे व्हीलचेयर प्रयोग करने वालों के लिए आसानी रहे, जेबरा क्रोसिंग की सतह पर दृष्टि बाधित अथव कम दृष्टि वाले लोगों के लिए स्पर्शीय पथ दृष्टि बाधित अथव कम दृष्टि वाले लोगों के लिए रेलवे प्लेटफार्म किनारों को उत्कीर्ण करना और दिव्यांगता के लिए उपयुक्त संकेतकों आदि को तैयार करना।

(ii) भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (एआर एवं पीजी विभाग) द्वारा जारी भारतीय सरकार के वेबसाइटें, जो उनकी वेबसाइट "http://darpg.nic.in" पर उपलब्ध हैं हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य तथा जिला स्तरों पर पीडब्ल्युडी, सुगम्य सरकारी वैबसाइटें बनाना।

(iii) दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम पेश करना।

(iv) एक अच्छे वातावरण की सुगम्यता के लिए परिवहन व्यवस्था और सूचना और संचार इको–सिस्टम तक पहुंच बढ़ाना। विभाग ने सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान के रूप में सुगम्य भारत अभियान (सुगम्य भारत अभियान) की अवधारणा की है, जिससे दिव्यांगजनों को समान अवसर प्राप्त करने और स्वतंत्र रूप से रहने और जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है। एक समावेशी समाज इस अभियान में पहुंच–योग्यता ऑडिट का संचालन शामिल होगा और सार्वजनिक स्थानों पर आधारभूत परिवेश, परिवहन, पर्यावरण–व्यवस्था और आईसीटी ईको–सिस्टम में पूरी तरह से पहुंच के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण होगा।

(v) समेकित पुनर्वास केंद्रों (सीआरसी)/क्षेत्रीय केंद्रों/आउटरीच केंद्रों और जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) को सहायता प्रदान करने के लिए और जब भी आवश्यक हो, नए सीआरसी और डीडीआरसी को स्थापित करने के लिए।

(vi) दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के कैंपों को आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करना। दिव्यांगजनों की पहचान और सर्वेक्षण/सार्वभौमिक आईडी।

(vii) विभिन्न स्टेकहोल्डरों और अन्य सूचना शिक्षा संचार के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रम तैयार करना। जागरूकता सृजन और प्रचार योजना का कार्यान्वयन।

(viii) दिव्यांगता संबंधी मुद्दों, परामर्श और सहायता सेवाओं को प्रदान करने के बारे में जानकारी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए संसाधन केंद्र स्थापित/समर्थन करना।

(ix) पुस्तकालयों, भौतिक और डिजिटल दोनों और अन्य ज्ञान केंद्रों तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए।

(x) दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। 'दिव्यांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दे योजना पर अनुसंधान' का कार्यान्वयन।

(xi) सरकारी मेडिकल कॉलेजों वाले जिला मुख्यालयों/अन्य स्थानों में शीघ्र निदान और उपाय केन्द्र स्थापित करना जिनका उद्देश्य दृष्टि बाधित, शारीरिक दिव्यांग, श्रवण बाधित, मानसिक मंदता शिशुओं और युवा बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान करना है।

(xii) दिव्यांगजनों हेतु राज्य आयुक्तों के कार्यालयों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान।

(xiii) जहां उपयुक्त सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों के पास स्वयं की भूमि है, वहां दिव्यांगजनों के लिए विशेष मनोरंजन केंद्रों का निर्माण।

(xiv) राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर खेल आयोजनों को सहायता प्रदान करना।

(xv) दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने के लिए साइट विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए सहायता।

(xvi) केंद्रीय/राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सेवा प्रशिक्षण और उन्हें जागरूक करने के लिए।

(xvii) दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन। गअपपप)अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी भी अन्य गतिविधि के लिए वित्तीय सहायता जिसके लिए वित्तीय सहायता विभाग की मौजूदा मेस के द्वारा प्रदान/शामिल नहीं की गई है।

8.2.2.2 पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय (31 दिसंबर, 2018 की स्थित के अनुसार):

रू. करोड़ में

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान आवंटन	संशोधित अनुमान आवंटन	जारी राशि
1.	2015-16	135.00	99.00	69.42
2.	2016-17	193.00	193.00	186.83
3.	2017-18	207.00	273.06	272.24
4.	2018-19	300.00	258.30	159.39

(i) वर्ष 2018–19 के दौरान सिपडा के अंतर्गत बाधामुक्त वातावरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए सहायता अनुदान का विवरण **अनुबंध–11 (पृष्ठ संख्या 180)** पर है।

(ii) 2018–19 के दौरान योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों ख्बाधामुक्त वातावरण, सगुम्य भारत अभियान, सहायता समेकित पुनर्वास केन्द्र (सीआरसी), जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और दिव्यांगजन की पहचान और सर्वेक्षण/ सर्वसुलभ पहचान पत्र, के लिए संस्थाओं/संगठनों को **अनुबंध–12 (पृष्ठ संख्या 182)** के अनुसार सहायता अनुदान जारी किए गए हैं।

8.2.3 दीन दयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

8.2.3.1 उद्देश्य

(i) डीडीआरएस विभाग की एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसके अंतर्गत एनजीओ को दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित ऐसी परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, जिसका लक्ष्य दिव्यांगजनों को उनकी सर्वोत्कृष्टता, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक अथवा सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक उनकी पहुंच बनाए रखना है।

(ii) दिव्यांगजनों के समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिरण को सुनिश्चित करने के लिए समर्थ वातावरण तैयार करना।

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही को प्रोत्साहित करना।

(iv) डीडीआरएस के अंतर्गत नौ मॉडल परियोजना है जिसमें बौद्धिक दिव्यांगता के लिए विशेष स्कूल, दृष्टिबाधित, श्रवण एवं वाक् दिव्यांगता, हॉफ वे होम, सामुदायिक आधारित पुनर्वास इत्यादि शामिल है।

8.2.3.2. डीडीआरएस के अंतर्गत अनुदान के लिए स्वीकार्य गतिविधियां / घटक

(i) कर्मचारियों को मानदेय

(ii) लाभार्थियों को परिवहन

(iii) लाभार्थियों के लिए छात्रवृत्ति / हॉस्टल रखरखाव

(iv) कच्चे सामग्री की लागत

(v) आकस्मिक कार्यालय व्यय, बिजली एवं पानी शुल्क का मिलना

(vi) किराया

8.2.3.3 डीडीआरएस के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	वित्तीय आउटले / उपलब्धियां (रू. करोड़ में)			वास्तविक उपलब्धियां	
	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	सहायता प्रदत्त एनजीओ की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	60.00	51.00	50.19	579	35,461
2016-17	45.00	45.00	45.00	592	32,065
2017-18	60.00	60.00	60.00	562	35,699
2018-19 (31.12.2018 तक)	70.00	--	37.04	438	29,981

8.2.3.4 डीडीआरएस के अंतर्गत अनुदान के लिए पात्रता एवं शर्तें

(i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठन अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर–लाभकारी कम्पनी।

(ii) न्यूनतम दो वर्ष की अवधि से अस्तित्व में हो।

(iii) निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 1995 / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत।

(iv) नीति आयोग पोर्टल, एनजीओ–दर्पण पर पंजीकृत।

(v) परियोजना के संचालन के लिए उचित प्रकार से गठित प्रबंधन निकाय, सुविधाएं और अनुभव किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत निकाय को लाभ पहुंचाने के लिए संचालित नहीं।

8.2.3.5 संशोधित योजना के प्रावधान

(i) 01 अप्रैल 2018 से कार्यान्वित संशोधित दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) की मुख्य विशेषताएं। संशोधित डीडीआरएस योजना के तहत मॉडल परियोजनाओं की सूची 18 से घटाकर 9 कर दी गई है। निम्नलिखित नौ मॉडल परियोजनाओं चल रही हैं:

(क) प्री–स्कूल और प्रारिम्भक तैयारी और प्रशिक्षण के लिए परियोजनाएं:

6 वर्ष की आयु तक के शिशुओं और बच्चों को विशेष स्कूलों में स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना और / अथवा नियमित सकूलों में उनको जोड़ना प्राथमिक उद्देश्य है। परियोजना थैरेप्यूटिक सेवाएं, दिवसीय देखभाल और अभिभावक को परामर्श भी उपलब्ध कराती है।

(ख) दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल:

बौद्धिक दिव्यांगता, श्रवण एवं वाक् दिव्यांगता एवं दृष्टि दिव्यांगता से ग्रस्त दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल।

विशेष शिक्षा प्रमुख रूप से सम्प्रेषण कौशल और अन्य संवेदीकरण क्षमताओं के विकास पर जोर देती है और अंतर्वस्तु के साथ दैनिक जीवन कौशल प्राप्त करने से लेकर एकीकरण तक सीखने के नियमित संस्थानों और सामान्य रूप से समाज में भिन्न होती है। अनुदान के तहत आवासीय सुविधाओं को भी कवर किया जा सकता है।

(ग) प्रमस्तिष्कघात ग्रस्त बच्चों के लिए परियोजनाः

इस परियोजना का उद्देश्य व्यक्ति की थैरेप्यूटिक जरूरतों को पूरा करने पर अधिकाधिक जोर देने के साथ विशेष स्कूलों के लिए परियोजनाओं के समान है।

(घ) कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों (एलसीपी) के पुनर्वास के लिए परियोजनाः

इस परियोजना का मूल उद्देश्य कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों को कौशल सिखाकर उन्हें सक्षम बनाना है ताकि उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। परियोजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाई और गृह (केवल गंभीर दिव्यांगों के लिए) शामिल किया जा सकता हैं।

(ङ) उपचारित और नियन्त्रित मानसिक रूग्ण व्यक्तियों के लिए मनो सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ वे होमः

इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों जिनकी मानसिक अस्पतालों/पागलखानों से रिहाई के बाद पुनर्वास की व्यवस्था की सुविधा प्रदान करना है जिनकी मानसिक रूग्णता का उपचार और उसे नियन्त्रित किया गया है। परियोजना ऐसे व्यक्तियों को व्याक्तियों को परिवार और समाज से पुनः एकीकरण की सुविधा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, उनकी और उनके परिवारों की काउंसिंल प्रदान करती है। उनकी बीमारी संबंधित चिकित्सीय सलाह/उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि समय–समय पर मनोरोग संबंधित जटिलताओं पर काबू पाया जा सके।

(च) गृह आधारित पुनर्वास कार्यक्रम/गृह प्रबंधन कार्यक्रमः

इस परियोजना के उद्देश्यों में गृह परिवेश के संदर्भ में गतिशीलता कौशल के लिए मार्गदर्शन और प्रावधान, बुनियादी संप्रेषण कौशल और दैनिक जीवन

कौशल का विकास, दिव्यांग बच्चों के परिवारों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण शामिल हैं।

(छ) समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए परियोजनाः

इस परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को पुनर्वासित एवं प्रशिक्षित करना ओर साथ ही उन्हें उनके समाज के साथ जोड़ना है। इसका फोकस एक ऐसे वातावरण में जहाँ दिव्यांगजनों के लिए या तो बहुत सीमित सेवाएं उपलब्ध हैं या ये सेवाएं बिल्कुल नहीं हैं, आवश्यतानुरूप सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, दिव्यांगजन, परिवार, समुदाय, और स्वास्थ्य व्यावसायिक, एक गैर संस्थागत विन्यास में, भागीदारी पर है। ये कार्यक्रम विशेष तौर पर ग्रामीण परिवेश में उपयुक्त हैं।

(ज) कम दृष्टि केंद्रों के लिए परियोजनाः

ये परियोजनाएं कम दृष्टि वाले लोगों के चिकित्सीय पुनर्वास के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। ये केंद्र पहचान, आकलन, पुनर्वास और परामर्श (काउंसलिंग) सेवाएं प्रदान करते हैं तथा कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को मार्गदर्शन और दृश्य दक्षता में सुधार के माध्यम से उन्हें उनकी अधिकतम कार्यक्षमता प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

(i) मानव संसाधन विकास के लिए परियोजनाः

(क) ये परियोजनाएं दिव्यांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, संसाधन केंद्र एवं संसाधनों की नेटवर्किंग विकसित करती हैं।

(ख) योजना के लागत मानदंडों को 2.5 गुना बढ़ाया गया है।

(ग) पात्र परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (एनजीओ), सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के बाद, इस संशोधित योजना के तहत निर्धारित लागत–मानदंडों के आधार पर आकलित 90% राशि की हकदार होंगी। विशेष क्षेत्रों में अवस्थित परियोजनाओं के मामले में संशोधित लागत मानदंडों के आधार पर आकलित राशि का 100% की अनुमत होगा।

विशेष क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

- 8 उत्तर–पूर्वी राज्य
- हिमालय क्षेत्र में राज्य (जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश)
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित) – 106 जिले, और
- अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिले – 34 जिले

(ii) शहरी क्षेत्रों में भी सहायता अनुदान की कोई टैपरिंग नहीं होगी।

(iii) लाभार्थियों की संख्या:

(क) निरीक्षण की तारीख से पहले पिछले 30 दिनों में से कम से कम 15 दिनों तक संस्थान में उपस्थित रहने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए सहायता अनुदान की गणना की जाएगी। निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण अधिकारी द्वारा ऐसे लाभार्थियों की संख्या निर्दिष्ट की जानी है।

(ख) लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि पर कोई रोक नहीं है बशर्ते अवसंरचना उपलब्ध हो।

(iv) संगठन को मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल (ई–अनुदान) पर अनुदान के लिए आवेदन करना होगा और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पूरा प्रस्ताव अग्रेषित करना होगा। ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट के निरीक्षण और प्रस्तुत करने पर, जिला समाज कल्याण अधिकारी संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और भारत सरकार को प्रस्ताव अग्रेषित करेगा। यदि राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन 60 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लेती है, तो भारत सरकार योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के लिए निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है।

(v) डीडीआरएस के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2018–19 में जारी सहायता अनुदान, सहायता प्रदत्त लाभार्थियों और संगठनों की संख्या का राज्यवार विवरण **अनुबंध–13 क (पृष्ठ सं. 194) 13 ख (पृष्ठ सं.196) एवं 13 ग (पृष्ठ सं. 198)** पर दिया गया है।

8.3 अन्य केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं

8.3.1 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां

8.3.1.1 सिंहावलोकन

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के खंड 31 (1) एवं (2) यह अधिदेशित करता है कि 6 से 18 वर्ष तक के बैंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक विद्यार्थी को इच्छित निकटतम विद्यालय अथवा किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी उपयुक्त वातावरण में उनकी निःशुल्क शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे।

इस अधिदेश को पूरा करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू कर रहा है जिसके छह घटक हैं नामतः प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फैलोशिप छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क कोचिंग।

(ii) समग्र छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी आजीविका उपार्जन के लिए आगे की पढ़ाई करने हेतु और समाज में एक सम्मानजनक स्थान पाने के लिए सशक्त बनाना है, क्योंकि वे अध्ययन कार्य और गरिमापूर्ण जीवन जीने में शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करते हैं।

(iii) 2017–18 तक, इन छह छात्रवृत्ति योजनाओं को अलग–अलग बजट वाली स्टैंड–अलोन योजनाओं के रूप में लागू किया गया था। इन योजनाओं को अलग–अलग वर्षों में शुरू किया गया था। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप 1 अप्रैल, 2012 को शुरू किया गया था। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना 1 अप्रैल 2014

को शुरू की गई थी। उच्च श्रेणी शिक्षा 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुई थी। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग 1 अप्रैल, 2017 को को आरम्भ किया गया था।

(iv) 1 अप्रैल, 2018 से, सभी छह छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा, राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग को एक स्कीम 'दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना' नामक एक समग्र योजना में विलय कर दिया गया है। 2018–19 से प्रभावी योजनाओं का विलय/एकीकरण बजट आवंटन की मांग–आपूर्ति असंतुलन को दूर करने और कार्यान्वयन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए किया गया है। समग्र योजना में, यदि एक खंड में अधिशेष निधि उपलब्ध है, तो उस अधिशेष का उपयोग दूसरे में किया जा सकता है।

(v) प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा में हर वर्ष उपलब्ध कुल छात्रवृत्ति स्लॉट का 50% और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्लॉट का 30% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। तथापि, यदि योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं या योग्य नहीं हैं, तो उपयुक्त पुरुष उम्मीदवारों का चयन करके अनुपयुक्त स्लॉट का उपयोग किया जा रहा है।

8.3.1.2 समग्र छात्रवृत्ति योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

(i) प्री–मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए)

(क) अभिभवक की आय की अधिकतम सीमाः अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू. 2.50 लाख प्रति वर्ष है।

(ख) रखरखाव भत्ताः रु. 800/– प्रति माह होस्टलर के लिए और डे स्कॉलर के लिए

रु. 500/– प्रति माह। रखरखाव भत्ता एक वर्ष में 12 महीने के लिए भुगतान किया जाता है।

(ग) दिव्यांगता भत्ताः दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न प्रकार के भत्तों को एक में विलय

कर दिया गया है और दिव्यांगता भत्ते की सीमा रु. 2000/- से रु. 4000/- प्रति वर्ष है।

(घ) पुस्तक भत्ताः उपरोक्त के अलावा, 1000/- प्रति वर्ष पुस्तक भत्ता का भुगतान किया जाता है।

(ङ) स्लॉट्स की संख्याः 20,000 + रिन्युअल छात्र

(ii) पोस्ट–मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा के लिए)

(क) अभिभावक की आय की अधिकतम सीमाः अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू. 2.50 लाख प्रति वर्ष है।

(ख) रखरखाव भत्ताः विभिन्न समूहों/समूहों की श्रेणियों के लिए रखरखाव भत्ता नीचे दिया गया हैः

- समूह I : (चिकित्सा/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, प्लानिंग/वास्तुकला, फैशन प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, बिजनेस वित्त/प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान में सभी स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) रखरखाव भत्ते की दर रु. 1100/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 700/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

- समूह II : फार्मेसी (बी फॉर्मा), एलएलबी, बीएफएस, पुनर्वास, नैदानिक आदि जैसी अन्य पैरा–मेडकिल ब्रांच, जनसंचार, होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग, ट्रैवल/पर्यटन/ मेजबान प्रबंधन, आंतरिक सास–सज्जा, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (अर्थात बैंकिंग, बीमा, कराधान आदि) जैसे क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम

  रखरखाव भत्ते की दर रु. 1100/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 700/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

- समूह III : स्नातक डिग्री वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम जो समूह I तथा II अर्थात बीए / बीएससी / बी.कॉम आदि के अंतर्गत नहीं आते

  रखरखाव भत्ते की दर रु. 950 / – प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 650 / – प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

- समूह IV : समस्त पोस्ट–मैट्रिक स्तर गैर–डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश अर्हता हाईस्कूल (कक्षा X) अर्थात वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI तथा XII) सामान्य और व्यावसायिक स्ट्रीम दोनों, आईटीआई पाठ्यक्रम, पोलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि।

(ग) दिव्यांगता भत्ता: दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न प्रकार के भत्तों को एक में विलय कर दिया गया है और दिव्यांगता भत्ते की सीमा रु. 2000 / – से रु. 4000 / – प्रति वर्ष है।

(घ) पुस्तक भत्ता: उपरोक्त के अलावा, 1500 / – प्रति वर्ष पुस्तक भत्ता का भुगतान किया जाता है।

(ङ) ट्यूशन शुल्क: वास्तविक ट्यूशन शुल्क प्रति वर्ष रू.1.50 लाख की अधिकतम सीमा के तक है।

(च) स्लॉट्स की संख्या : 17,000 + रिन्युअल छात्र

(iii) उच्च श्रेणी शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि / डिप्लोमा के लिए)

(क) अभिभावक की आय: अधिकतम सीमा रू. 6 लाख प्रति वर्ष है।

(ख) रखरखाव भत्ता: 3000 / – प्रति माह होस्टलर के लिए और डे स्कॉलर के लिए रु. 1500 / – प्रति माह की दर से दिया जाता है।

(ग) दिव्यांगता भत्ता: रू. 2000 / – प्रति माह।

(घ) पुस्तक अनुदान: रू. 5000 / – प्रति वर्ष।

(ङ) ट्यूशन शुल्कः रू. 2.00 लाख की अधिकतम सीमा तक।

(च) कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर : पूरे पाठ्यक्रम हेतु एकमुश्त अनुदान कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए 60,000/–रुपए की दर से।

(छ) स्लॉट्स की संख्याः 300 + रिन्युअल छात्र

(iv) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर उपाधि/पी–एच0डी0 के लिए)

(क) माता–पिता की आयः अधिकतम सीमा रू. 6 लाख प्रति वर्ष है।

(ख) ट्यूशन शुल्कः विदेशी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की वास्तविक ट्यूशन शुल्क भुगतान की गई।

(ग) रखरखाव भत्ताः संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों हेतु – 15400/– अमरीकी डालर तथा यू.के. हेतु जीबीपी 9900/–

(घ) वार्षिक आकस्मिक भत्ताः संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों हेतु – 1500/– अमरीकी डालर तथा यू.के. हेतु जीबीपी 1100/–

(ङ) प्रासंगिक यात्रा भत्ता : 20/– अमरीकी डालर या भारतीय रूपये में इसके समान।

(च) उपकरण भत्ता : रू. 1500/–

(छ) वीज़ा शुल्क : वास्तविक वीज़ा शुल्क भारतीय रूपये में।

(झ) चिकित्सा बीमा प्रीमियम : वास्तविक चिकित्सा बीमा प्रीमियम।

(ञ) वायु मार्ग की लागत : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कैरियर में इकॉनोमी क्लास में लघुतम मार्ग के लिए हवाई टिकट की व्यवस्था की जाती है।

(ट) स्लॉट्स की संख्यारू 300 + रिन्युअल छात्र

(v) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर उपाधि/पी–एच0डी0 के लिए)।

(क) अभिभावक की आय : अभिभावक की आय की कोई सीमा नहीं है।

(ख) फेलोशिप की दर : जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की दरें यूजीसी फेलोशिप के बराबर होंगी। वर्तमान में ये दरें इस प्रकार हैं:

1	फेलोशिप	रू. 25,000/- प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), रु. 28,000/- प्रतिमाह शेष कार्यकाल के लिए (सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ)
2	मानविकी और सामाजिक विज्ञान (कला/ललित कला सहित) के लिए आकस्मिकता	रू. 10,000/- प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रू. 20,500/- प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए
3	विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिकता	रू. 12,000/- प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रू. 25,000/- प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए
4	विभागीय सहायता (सभी विषय)	रू. 3,000/- प्रति वर्ष प्रति छात्र मेजबान संस्थान को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए
5	एस्कॉर्ट/रीडर सहायता (सभी विषय)	रू. 2,000/- प्रतिमाह शारीरिक और दृष्टि दिव्यांग उम्मीदवारों के मामलों में

(ग) मकान किराया भत्ता (एचआरए) का भुगतान यूजीसी पैटर्न पर किया जाता है और उन छात्रों को देय होता है, जिन्हें हॉस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाता है। यदि विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा प्रस्तावित हॉस्टल आवास नहीं लिया जाता है, तो छात्र का एचआरए का दावा समाप्त हो जाएगा। उनके फेलोशिप कार्यक्रम के मामले में अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा सुविधा, मातृत्व अवकाश सहित सभी अवकाश यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित होंगे।

(घ) स्लॉट्स की संख्याः 200 स्लॉट्स प्रतिवर्ष। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्लॉट्स का वितरण मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिव्यांग विद्यार्थियों

की संख्या के अनुपात में किया जाता है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित फेलोशिप की संख्या पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण पूरा उपयोग नहीं होने पर, खाली स्लॉट्स राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जाते हैं, जहां पात्र उम्मीदवारों की संख्या आवंटित स्लॉट से अधिक है।

(vi) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती परीक्षाओं और तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए)

(क) अभिभावक की आय : 6 लाख से अधिक नहीं हो।

(ख) कोचिंग शुल्क : कोचिंग शुल्क का भुगतान पैनलबद्ध कोचिंग संस्थानों को किया जाता है।

(ग) स्टाईपेंड : कोचिंग कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए स्थानीय छात्रों को 2500/– रूपये प्रति छात्र की दर से तथा बाहरी छात्रों को 5000/– रूपये प्रति छात्र की दर से मासिक स्टाईपेंड प्रदान की जायेगी।

(घ) विषेष भत्ता : रीडर भत्ते, एस्कॉर्ट भत्ते, सहायक भत्ते आदि हेतु 2000/– रूपये प्रतिमाह की दर से प्रति छात्र विशेष भत्ता प्रदान किया जाता है।

(ङ) स्लॉट्स की संख्या : 2000

8.3.1.3 दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की शर्तें

(i) केवल भारतीय नागरिकों के लिए है।

(ii) 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग विद्यार्थी (राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित) छात्रवृत्ति के पात्र हैं।

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित दिव्यांगता हो।

8.3.1.4 कार्यान्वयन की विधिः

छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन की विधि निम्नलिखित हैः

(i) पहली तीन छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध हैं।

(ii) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप यूजीसी वेब पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। उम्मीदवारों का चयन यूजीसी द्वारा किया जाता है और चयनित उम्मीदवारों की सूची इस विभाग को भेजी जाती है। उम्मीदवारों को केनरा बैंक पोर्टल में प्रगति रिपोर्ट अपलोड करने की आवश्यकता है। कैनरा बैंक उम्मीदवारों की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान करता है और छात्रवृत्ति राशि के वितरण का विवरण प्रदान करता है। विभाग लाभार्थी के बैंक खाते में कैनरा बैंक के माध्यम से फैलोशिप राशि के वितरण के लिए जिम्मेदार है।

(iii) राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना ऑफलाइन कार्यान्वित की जा रही है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति आवेदनों को ऑफलाइन आमंत्रित किया जाता है। इन आवेदनों को एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट (जांच) किया जाता है। शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों को राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति पुरस्कार के लिए चयन समिति के समक्ष रखा जाता है। विद्यार्थी को विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिले मिलने के बाद ट्यूशन शुल्क समेत छात्रवृत्ति राशि उम्मीदवार के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

(iv) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की योजना वर्तमान में ऑफलाइन कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और पीएसयू या स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों (केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों के तहत) मानित विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों सहित और पंजीकृत निजी संस्थान एनजीओ द्वारा संचालित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों/केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। संस्थानों को चयन समिति द्वारा प्रदर्शन के उसके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर सूचीबद्ध किया जाता है। उम्मीदवारों को अपने आवेदन को सूचीबद्ध संस्थान में ऑफलाइन मोड़ में जमा करना होगा। सीधे इस विभाग द्वारा संस्थानों को कोचिंग शुल्क का भुगतान किया जाता है। उम्मीदवारों को स्वीकार्य स्टाईपेंड और विशेष भत्ता सीधे पीएफएमएस पोर्टल से उम्मीदवार के बैंक खातों में जारी किया जाता है।

8.3.1.5 प्रचार और जागरूकता

छात्रवृत्ति योजनाओं पर जागरूकता सृजन विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय समाचार पत्रों (दैनिक समाचार पत्र) में विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभ एआईआर और एफएम चैनलों में प्रसारित कार्यक्रमों में प्रसारित किए जाते हैं।

8.3.1.6 मॉनीटिरिंग तंत्रः

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर कार्यान्वित योजना (प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा) का मॉनीटिरिंग तंत्र निम्नलिखित हैः–

(i) उम्मीदवार एनएसपी वेब पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख कैबिनेट सचिवालय, डीबीटी मिशन द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से तय की जाती है।

(ii) संबंधित संस्थानों को राज्य नोडल अधिकारी को आवेदन सत्यापित करने और अग्रेषित करना होता है।

(iii) राज्य नोडल अधिकारी को संबंधित संस्थान की विधिवत सहित आवश्यक जांच करनी अपेक्षित है और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को राज्य सरकारों की सिफारिश के साथ आवेदन अग्रेषित करना होगा।

(iv) अंतिम चयन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य सरकार की सिफारिशों के अन्य बातों के साथ, उस विशेष राज्य के लिए उपलब्ध स्लॉट के आधार पर किया जाता है,

(v) यदि उम्मीदवार किसी राज्य का स्थायी निवासी है लेकिन किसी अन्य राज्य में पढ़ रहा है, तो उसके आवेदन को उसके गृह राज्य के स्लॉट के तहत माना जाएगा और उसके आवेदन को उस राज्य की सिफारिश की आवश्यकता है जिसका वह स्थायी निवासी है।

8.3.1.7 उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई राशि निम्नलिखित है:–

रू. लाख में

क्र. सं.	छात्रवृत्ति योजना का नाम	वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	लाभार्थियों की संख्या		-	2,368	7,927	12,593	1,657
		राशि		-	160.02	553.57	906.93	120.35
2	पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	लाभार्थियों की संख्या		-	3,565	6,281	7,657	13,945
		राशि		-	321.39	981.98	1491.55	3,297.26
3	उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति योजना	लाभार्थियों की संख्या		-	14	42	37	14
		राशि		-	23.85	86.07	66.83	25.88
4	दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	लाभार्थियों की संख्या	15	306	527	589	666	519
		राशि	8.64	1,324.52	1,996.68	1,925.63	3,024.48	1,730.24
5	राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	लाभार्थियों की संख्या		-	-	2	3	5
		राशि		-	-	37.98	70.23	101.23
6	निःशुल्क कोचिंग	लाभार्थियों की संख्या	-	-	-	-	250	250
		राशि	-	-	-	-	87.22	99.66
कुल		**कुल लाभार्थी**	**15**	**306**	**6,474**	**14,841**	**21,206**	**16,390**
		कुल राशि	**8. 64**	**1,324.52**	**2,501.94**	**3,584.52**	**5,647.24**	**5,374.62**

8.3.2 दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 21 मार्च, 2015 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) आरंभ की। एनएपी "दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)" की समग्र योजना के एक घटक के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया गया है।

(ii) इस कार्यक्रम के तहत, विभाग के साथ प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) के रूप में सूचीबद्ध विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों के द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा 31 दिसंबर, 2018 तक, दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 266 (27 सरकारी एवं 239 गैर–सरकारी संगठन) को सूचीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संस्थानों जैसे कि राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी), राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) और समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) को भी एनएपी के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(iii) एमएसडीई द्वारा जारी सामान्य मानकों के अनुसार ईटीपी को सहायता अनुदान तीन किश्तों में अर्थात प्रशिक्षण के प्रारंभ में 30 प्रतिशत, प्रशिक्षण की समाप्ति (प्रमाणन पूर्ण होने पर) के बाद 50 प्रतिशत और शेष 20 प्रतिशत प्लेसमेंट के बाद जारी किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दिनांक 31 दिसंबर, 2018 तक 18,465 दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए 22.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

2018-19 (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)			
क्र सं.	संगठन का नाम	राज्य	वितरित राशि (लाख में)
1.	थ्रेड्ज इन्फो टेक प्राइवेट लिमिटेड	तेलंगाना	1,59,91,555
2.	मधुमय श्रीलेखा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, पश्चिम बंगाल	सिक्किम	50,47,015
3.	निष्ठा इंस्टिट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	22,18,573
4.	साई प्रसाद ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड	नई दिल्ली	18,32,119
5.	बांकुरा स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट	पश्चिम बंगाल	1,00,15,364

(iv) गैर–सरकारी संगठनों (ईटीपी), जिन्हें एनएपी के तहत वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान (31 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार) 10 लाख से अधिक की राशि का वितरण किया गया है, की सूची निम्नानुसार है:

(v) 2018 के दौरान एनएपी के अंतर्गत किए गए पहल / उपाय निम्नानुसार हैं:

(क) नीति निर्धारकों और नियोक्ताओं के प्रशिक्षण सहयोगियों सहित सभी स्टेकहोल्डरों को मंच उपलब्ध कराने के विचार से तथा दिव्यांगजनों से संबंधित कौशल भारत अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रोडमैप के निर्माण के लिए विभाग द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 3 जुलाई, 2018 को राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डॉ. थावरचन्द गेहलोत, माननीय मंत्री (सा.न्याय.एवं अधि.), श्री धर्मेन्द्र प्रधान, माननीय मंत्री (एसडीई) उपस्थित हुए। उद्योग संघों, कारपोरेट जगत, सेक्टर स्किल काउंसिलों, सूचीबद्ध प्रशिक्षण सहयोगियों, राष्ट्रीय संस्थानों, समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

(ख) विभाग ने रोजगार की नयी सूची विकसित करने तथा उद्योग एवं रोजगार प्रदाताओं की मांग को देखते हुए दिव्यांगजनों की क्षमता के आधार पर मौजूदा रोजगार सूची में संशोधन करने के लिए 11 जनवरी, 2018 को पांच

उप–समितियों का गठन किया। गठित पांच उप–समितियां (i) दृष्टिहीन एवं निम्न दृष्टि, (ii) वाक् एवं श्रवण (iii) बौद्धिक दिव्यांगता (iv) बहु दिव्यांगता और (v) गतिविषयक दिव्यांगता के लिए हैं। इन उप–समितियों ने कुछ नई रोजगार सूचियों की सिफारिश की और विभिन्न मौजूदा रोजगार सूचियों में संशोधन का सुझाव दिया। इन उप समितियों की सिफारिशों को सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 24 दिसंबर, 2018 को आयोजित बैठक में गठित सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सलाहकार समिति ने उप समितियों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और इन सिफारिशों के अनुसार नयी रोजगार सूचियों और वर्तमान रोजगार सूचियों में सुधार के लिए एनएसक्यूएफ द्वारा सौंपे गए पाठ्यक्रमों के विकास के प्रबंध करने के लिए इन्हें एससीपीडब्लयूडी को भेज दिया गया। ये रोजगार सूचियां दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके बीच स्व–रोजगार, उद्यमिता और स्टार्टअप का सृजन करेंगी।

(ग) योजना के अंतर्गत निधियों की मॉनिटरिंग में सुधार के लिए, निधि प्रवाह तंत्र को परियोजनावार से बैचवार तथा अग्रिम के स्थान पर प्रशिक्षण की समाप्ति पर कर दिया गया है।

(घ) केवल गंभीर और प्रतिष्ठित संगठनों को सूचीबद्ध करने की दृष्टि से, पैनलीकरण प्रक्रिया पर भी पुनर्विचार किया गया और प्रक्रिया के युक्तिकरण के लिए इसके मापदंडों और मार्क्स मैट्रिक्स में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे कि, कौशल प्रशिक्षण में तीन वर्षों का अनुभव और प्रत्येक मापदंड के लिए सहायक दस्तावेज अनिवार्य किए गए।

(ङ) उन मामलों में निरीक्षण के विकल्प का प्रयोग किया गया जहां एनजीओ के प्रस्ताव के लिए एसजीआर लंबे समय से लंबित थे।

(च) चयन समिति की बैठकों में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी पहली बार आमंत्रित किया गया था।

(छ) प्रशिक्षण आरंभ करने और जारी प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग तथा टीपी के साथ आवश्यक अवसंरचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण शुरू किया गया और देश के विभिन्न भागों में अवस्थित विभिन्न ईटीपी के कई केन्द्रों का निरीक्षण किया गया।

(ज) उन मामलों में, जहां वित्तीय वर्ष 2016–17 में निधियां जारी की गई थी, प्रशिक्षण में तेजी लाने और पूर्ण करने के प्रयास किए गए। ऐसे ईटीपी की नियमित जांच के फलस्वरूप कई अवरूद्ध परियोजनाएं चालू हुई। कुछ ईटीपी जो 2016–17 में अनुदान प्राप्त होने पर भी लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण प्रारंभ या पूर्ण नहीं कर पाए, उन्होंने अब अपने खाते के निपटान के लिए अनुदान राशि वापस करना शुरू कर दिया है।

(झ) सोशल ऑडिट की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा पांच राज्यों में एनआईपीआर हैदराबाद के माध्यम से सोशल ऑडिट का कार्य करवाने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में एनआईपीआर से भी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और एनआईपीआर का एक विस्तृत प्रस्ताव अपेक्षित है।

(ञ) मानदंडों को शिथिल करने के लिए एमएसडीई के साथ नियमित बैठक आयोजित किए गए और प्लेसमेंट कसौटी, बोर्डिंग एवं लॉजिग भत्ता वर्दी लागत आदि के लिए छूट दी गई।

(ट) बायोमीट्रिक उपस्थिति की शुरूवात की गई और इसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य बनाया गया।

(vi) प्रशिक्षण सहयोगियों से लेकर नीति निर्धारकों और नियोक्ताओं सहित सभी स्टेकहोल्डरों को प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के विचार से तथा दिव्यांगजनों से संबंधित कौशल भारत अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रोडमैप के निर्माण के लिए विभाग द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 3 जुलाई, 2018 को राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में डॉ. थावरचन्द गेहलोत, माननीय मंत्री (सा.न्याय.एवं अधि.), श्री धर्मेन्द्र प्रधान, माननीय मंत्री (एसडीई) उपस्थित हुए। उद्योग संघों, कारपोरेट जगत, सेक्टर स्किल काउंसिलों, सूचीबद्ध प्रशिक्षण सहयोगियों, राष्ट्रीय संस्थानों, समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

8.3.3 जागरूकता सृजन तथा प्रचार योजना (एजी एंड पी योजना)

यह योजना सितम्बर, 2014 में आरंभ की गई तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 से चल रही है। बेहतर और कारगर परिणामों हेतु इस योजना के कार्यान्वयन का आधार व्यापक

बनाने के लिए तथा इसके कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, पात्रता आदि को सरल बनाने और बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में इसे संशोधित किया गया।

योजना के तहत सहायता के लिए स्वीकार्य घटकों में दिव्यांगजनों के ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन स्थपित करना, विषय वस्तु का विकास, प्रकाशन और समाचार मीडिया, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना अंतर्राष्ट्रीय पहलों में सहभागिता अथवा एनजीओ अथवा स्वयं सहायता समूहों द्वारा आयोजित विविध कार्यक्रमों में सहयोग करना, वाणिजिक प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए स्वयं सेवा और आउटरीच कार्यक्रम, मनौरंजन एवं पर्यटन, सामुदायिक रेडियों में सहभागिता, मीडिया गतिविधियां, जॉब मेलों सहित दिव्यांगजनों हेतु कौशल विकास एवं रोजगार विकास हेतु जागरूकता अभियान में सहायता करना;दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं पर नियोक्ताओं में संचेतना पैदा करना; जिसमें सुगम्य भवन, सुगम्य परिवहन, सुगम्य वेबसाइटें सहित सुगम्य लेखापरीक्षा कर सार्वभौमिक सुगम्यता के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता करना; सक्षमता सेक्टर के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा देना; दिव्यांगजनों को कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों आदि के माध्यम से सहायता करने हेतु प्रतिभा और कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए खेलकूद तथा एबीलिम्पिक क्रियाकलाप शामिल हैं।

8.3.3.1 योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता

(i) अल्पावधि परियोजनाएं (6 माह की अवधि तक के एकबारगी कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं); वितरण दो किस्तों में निम्नानुसार किया जाएगाः

(क) 75 प्रतिशत – अनुमोदन, स्वीकृति पर, आवश्यक बांड आदि के निष्पादन पर

(ख) 25 प्रतिशत – मदवार व्यय के साथ लेखा की लेखापरीक्षा विवरण, प्रथम किस्त के लिए अंतिम रिपोर्ट और यूसी की प्राप्ति पर

(ii) दीर्घावधि परियोजनाएं (6 माह तथा अधिक अवधि की परियोजनाएं); वितरण दो किस्तों में निम्नानुसार किया जाता हैः

(क) 40 प्रतिशत अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति तथा बैंक गारंटी/बांड भरे जाने पर। 40 प्रतिशत प्रगति समीक्षा, प्रथम किस्त के यूसी की प्राप्ति के बाद।

20 प्रतिशत अंतिम रिपोर्ट, पूर्ण राशि के लिए यूसी; तथा मदवार व्यय के साथ लेखा के लेखापरीक्षित विवरण की प्राप्ति पर

(ख) जब योजना के अंतर्गत कोई कार्य केंद्र/राज्य सरकार के अधीन संस्थाओं द्वारा सीधे ही शुरू किया जाता है, निधि वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार संस्वीकृत तथा जारी की जाएगी।

8.3.3.2. अनुदान/वित्तीय सहायता के लिए पात्र संगठन

(i) स्वयं–सहायता समूह

(ii) एडवोकेसी तथा सेल्फ–एडवोकेसी संगठन

(iii) समाज के रवैये में परिवर्तन लाने तथा उसके संघटन हेतु कार्यरत माता–पिता एवं समुदायिक संगठन

(iv) मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक सहायता सेवा

(v) समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन

(vi) पीडब्ल्यूडी की व्यथा निपटान तथा समाज से अलग–अलग रहने का उन्मूलन करके, सहायता सेवाएं उपलब्ध कराकर श्रम बाजार कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, सहित अक्षमता सेक्टर के क्षेत्र में कार्यरत संगठन

(vii) विभागों, विश्वाविद्यालयों, संस्थानों, कॉलेजों आदि सहित केंद्र/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में संगठन।

8.3.3.3 निधि का उपयोग

(i) योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के लिए दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को वित्तीय उपलब्धियां **अनुबंध–14क (पृष्ठ सं. 200)** पर है।

(ii) जागरूकता सृजन और प्रचार योजना के तहत 31 दिसंबर, 2018 तक पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनजीओ सहित संगठनों को जारी की गई निधियां **अनुबंध–14ख (पृष्ठ सं. 200)** पर हैं।

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री 21 फरवरी, 2018 को ''ब्लांइड क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेताओं के लिए पुरस्कार समारोह'' में क्रिकेट टीम को सम्मानित करते हुए।

श्री रामदास आठवले, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री 21 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेताओं की टीम के साथ।

8.3.4 जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी)

दिव्यांगजनों को जमीनी स्तर पर व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए और जिला स्तर पर बुनियादी ढांचे के क्षमता निर्माण को सुविधाजन बनाने के लिए जागरूकता सृजन पुनर्वास, और पुनर्वास व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की आउटरीच गतिविधियों के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) शुरू किया गया था। "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016) कार्यान्वयन योजना" की योजना स्कीम के अंतर्गत जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र चलाए जाते है।

8.3.4.1 उद्देश्य

(I) प्रारंभिक पहचान और उपाय, (ii) जागरूकता पैदा करना, (iii) सहायक उपकरणों की आवश्यकता/प्रावधान/निर्धारण का आकलन, (iv) चिकित्सीय सेवाएं जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि, (v) सर्जिकल सुधार की रेफरल और व्यवस्था, (vi) छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायता, (vii) कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए ऋण, (viii) शिविर दृष्टिकोण के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण और पहचान, (ix) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) जारी करने में सहायता करना, (x) स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था, (xi) राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए आउटरीच केंद्र के रूप में कार्य करना, (xii) बाधा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना।

8.3.4.2 डीडीआरसी की स्थिति

(i) डीडीआरसी की स्थापना के लिए अनुमोदित जिलों की संख्या – 310

(ii) स्थापित डीडीआरसी की संख्या – 263

(iii) नियमित रूप से कार्यरत डीडीआरसी की संख्या – 62

(iv) डीडीआरसी की कार्यान्वयन एजेंसियां रेड क्रास सोसाइटी या राज्य सरकार के स्वायत्त/अर्धस्वायत्त निकाय या अच्छे ट्रैक रिकार्ड के साथ प्रतिष्ठित एनजीओ हैं।

8.3.4.3 डीडीआरसी की संशोधित योजना

(i) संशोधित डीडीआरसी योजना 1 अप्रैल 2018 से लागू।

(ii) योजना के तहत कर्मचारियों के मानदेय में 2.5 गुना वृद्धि।

(iii) उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान प्रथम वर्ष, अर्थात डीडीआरसी की स्थापना के दौरान 7 लाख रु. से बढ़ाकर 20 लाख रु. तक वृद्धि।

(iv) दो अतिरिक्त पदों का सृजन।

(v) सहायता अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण।

(vi) राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं किए जाने पर स्थान किराए पर लेने का प्रावधान।

(vii) डीडीआरसी के अंतर्गत अनुदान के लिए स्वीकार्य गतिविधियां/घटक।

रू. लाख में

मद	पूर्व–निर्धारित दरें	निर्धारित दरें (*)
कुल मानदेय	8.10	23.40
कार्यालय/आकस्मिक व्यय	2.10	5.25
उपकरण (स्थापना हेतु केवल प्रथम वर्ष के लिए)	7.00	20.00

[विशेष क्षेत्रों में स्थित डीडीआरसी के लिए 20 प्रतिशतः अधिक मानदेय अनुमत होगा]:*

(क) 8 उत्तर–पूर्वी राज्य, (ख) हिमालय क्षेत्र में राज्य (जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश), (ग) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित) – 106 जिले, और (घ) अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिले– 34 जिले।

14 सितंबर, 2018 को डीडीआरसी की संशोधित योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय केंद्रीय मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव और संयुक्त सचिव के साथ

(viii) डीडीआरसी के तहत अनुदान के लिए स्वीकार्य पद

क्र. सं.	पद और योग्यताएं	2.50 के गुणक का उपयोग करने के बाद मानदेय (रु)(*)
1.	नैदानिक मनोचिकित्सक (नैदानिक मनोविज्ञान में एम0फिल0 / दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में 02 वर्षों के अनुभव सहित मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि) ।	20,500
2.	वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट / व्यावसायिक थेरेपिस्ट 5 वर्षों के अनुभव के साथ सम्बद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि ।	20,500
3.	अस्थि विषयक दिव्यांग वरिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट / आर्थोटिस्ट पांच वर्षों के अनुभव के साथ राष्ट्रीय संस्थान से प्रोस्थेटिस्ट और आर्थोटिस्ट में स्नातक उपाधि अथवा 6 वर्षों के अनुभव के साथ प्रोस्थेटिस्ट / आर्थोटिस्ट में डिप्लोमा ।	20,500
4.	2 / 3 वर्षों के अनुभव के साथ प्रोस्थेटिस्ट / आर्थोटिस्ट आईटीआई प्रशिक्षित तकनीशियन	14,500
5.	वरिष्ठ वाक थेरापिस्ट / ऑडियोलोजिस्ट (सम्बद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि / बी0एस0सी (वाक् एवं श्रवण)	20,500
6.	श्रवण सहायक / कनिष्ठ वाक् थेरेपिस्ट – श्रवण यंत्रों की जानकारी / मरम्मत / कर्ण मोल्ड बनाने के साथ वाक् एवं श्रवण में डिप्लोमा	14,500
7.	गतिशीलता प्रशिक्षक – दसवीं + गतिशीलता में सर्टिफिकेट / डिप्लोमा	14,500
8.	बहु उद्देश्यीय पुनर्वास कार्यकर्त्ता (10+2 साथ में सीबीआर / एमआरडब्ल्यू पाठ्यक्रम में डिप्लोमा अथवा दो वर्षों के अनुभव के साथ प्रारम्भिक बाल्यकाल / विशेष शिक्षा में एक वर्षीय पाठ्यक्रम में डिप्लोमा) ।	14,500
9.	लेखाकार सह लिपिक सह भंडारपाल दो वर्षों के अनुभव सहित (बी0काम0 / एसएएस)	14,500
10.	सहायक सह चपरासी सह संदेशवाहक (8वीं कक्षा उत्तीर्ण)	9,500
11.	क्षेत्र एवं प्रचार सहायक (स्नातक)	14,500
12.	व्यावसायिक परामर्शदाता सह कम्प्यूटर सहायक (स्नातक)	14,500

[विशेष क्षेत्रों के लिए 20% अतिरिक्त]*

8.3.4.4 डीडीआरसी की स्थापना

(i) जिला प्रबंधन दल (डीएमटी) का गठन।

(ii) जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं।

(iii) सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा इत्यादि से अधिकारियों को शामिल किया जाता है।

(iv) डीएमटी के कार्य

(क) पंजीकृत कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन।

(ख) जनशक्ति का चयन / तैनाती और उनके कार्य को अंतिम रूप देना।

(ग) डीडीआरसी की गतिविधियों की मानीटरिंग और समन्वयन।

(घ) दिव्यांगजन के पुनर्वास से संबंधित जिले में अन्य गतिविधियों के साथ अभिसरण।

(ङ) डीडीआरसी की संपत्तियों और विभाग की एडिप योजना के तहत प्राप्त सामग्री, यदि कोई हो, की सुरक्षा।

(च) वर्ष में कम से कम 4 बैठकें।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहायता प्रदत्त डीडीआरसी की राज्यवार संख्या एवं जारी की गई राशि **अनुबंध–15 (पृष्ठ सं. 203)** पर है।

***

दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि

9.1 सिंहावलोकन

दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 86 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि का गठन अधिदेशित करती है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए तत्कालीन ट्रस्ट में उपलब्ध निधियों और दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कोष के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि को राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 निधि के उपयोग और प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता हैं। उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिरण विभाग की अध्यक्षता में एक शासी निकाय का गठन किया है जो उक्त निधि के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

9.1.1 निधि के शासी निकाय की पहली बैठक 9 जनवरी, 2018 को हुई थी। शासी निकाय ने राष्ट्रीय निधि के कोष के रूप में 250 करोड़ रूपए निर्धारित किए है। केवल निधि के धन पर उत्पन्न आय का उपयोग निधि के अंतर्गत उठाए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

9.1.2 राष्ट्रीय निधि के शासी निकाय के गठन के बाद विभाग की प्राथमिकता निधि के समुचित कार्य के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करना था। तद्नुसार, निधि का एक नया स्थायी खाता संख्या (पेन) और करदाता पहचान संख्या (टेन) सृजित किया गया है। निधि के संचालन के लिए एक ट्रस्ट डीड निष्पादित की गई है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए के अंतर्गत निधि को पंजीकृत किया गया है, विभाग प्रमाण पत्रों को आयकर अधिनियम, 1961 के 80 जी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया में है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भावी दानकर्त्ताओं से प्राप्त निधियां, दान राशि कर मुक्त मानी जाए।

9.1.3 शासी निकाय के निर्णय के अनुसार दिनांक 09.01.2018 को आयोजित अपनी प्रथम बैठक में निधि के अंतर्गत नवीन योजनाओं और निवेश के प्रकारों के सुझाव देने के लिए संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं सीईओ राष्ट्रीय निधि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति की सिफारिशों के आधार पर शासी निकाय ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत एक योजना का अनुमोदन किया:–

(i) दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित पेंटिंग्स हथकरधा आदि सहित अन्य उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनियों / कार्यशालाओं का आयोजन,

(ii) खेलों अथवा ललित कला / संगीत / नृत्य में राज्य स्तरीय श्रेष्ठ दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय समारोह में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान करना। इस समारोह में दिव्यांगजनों को केवल एक बार ही निधि से सहायता प्रदान की जाएगी।

(iii) राज्यों द्वारा मामला दर मामला आधार पर मूल्यांकन बोर्डों की विशिष्ट सिफारिशों के अनुसार उच्च सहायता वाले व्यक्तियों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करना।

9.2 राष्ट्रीय निधि की स्थिति (31 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार)

(i) सावधि जमा – 247.08 करोड़ रूपए

(ii) बचत खाता (निवल राशि) – 30.01 करोड़ रूपए

(iii) वर्ष 2018–19 के दौरान 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार व्यय – 10.05 लाख रूपए

9.3 भविष्य की कार्रवाईयां

शासी निकाय राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत कार्यक्रमों के विस्तार के लिए और कदम उठाएंगे। धारा 80 (जी) के अंतर्गत एक बार निधि पंजीकृत होने के बाद यह निधि को बढाने के लिए भी देखेगा।

***

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

10.1. सिंहावलोकन

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए इस क्षेत्र में उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों/संस्थानों/राज्यों/जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते है। इस तरह के पुरस्कार संस्थापित करने का उद्देश्य जनभावना का ध्यान ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए आकर्षित करना है जो दिव्यांग है और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोडना है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 03 दिसंबर, को अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रदान किए जाते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न 14 श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं:–

(i) श्रेष्ठ कर्मचारी/स्वरोजगाररत दिव्यांग;

(ii) (क) श्रेष्ठ कर्मचारी एवं (ख) श्रेष्ठ नियोजन अधिकारी एवं एजेंसी;

(iii) (क) श्रेष्ठ व्यक्ति तथा (ख) दिव्यांगजनों हेतु कार्य करने वाला श्रेष्ठ संस्थान;

(iv) आदर्श व्यक्तित्व;

(v) दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ श्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान अथवा नवप्रवर्तन अथवा उत्पाद विकास;

(vi) दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण सृजित करने में किया गया उत्कृष्ट कार्य;

(vii) पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वोत्तम जिला;

(viii) राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम की श्रेष्ठ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी;

(ix) श्रेष्ठ सृजनशील वयस्क दिव्यांगजन;

(x) श्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बच्चा;

(xi) श्रेष्ठ ब्रेल प्रेस;

(xii) सर्वोत्तम ''सुगम्य'' वैबसाइट;

(xiii) सर्वोत्त्म राज्य

(क) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का संवर्धन तथा

(ख) सुगम्य भारत अभियान का कार्यान्वयन; तथा

(xiv) सर्वोत्तम दिव्यांग खिलाडी।

राष्ट्रीय पुरुस्कार विजेताओं के साथ माननीय मंत्री द्वारा शिष्टाचार अभिनदंन

10.2 वर्ष 2017, तक तक पुरस्कार योजना राष्ट्रीय पुरस्कार नियमावली, 2013 द्वारा शासित थी जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 के अनुसार दिव्यांगता की 7 श्रेणियां थी। तथापि, 19 अप्रैल, 2017 से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभाव में आने से नवीन नियम के अंतर्गत विशिष्ट दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़कर 21 हो गयी। तद्नुसार सभी 21 दिव्यांगताओं को दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार दिशा–निदेश, 2018 में शामिल कर लिया गया, जिसे भारत के अति सामान्य राजपत्र में 2 अगस्त, 2018 को अधिसूचित किया गया।

10.3 वर्ष 2018 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची **अनुबंध–16 (पृष्ठ सं. 206)** में है।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरुस्कार विजेता – 2018, संरक्षक, अथिति और अधिकारीगण

***

अध्याय 11

नई पहलें और विभाग की विशेष उपलब्धियां

11.1 सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए निर्मित वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकीय तंत्र में सर्वसुलभ सुगम्यता सर्जन के लिए 3 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) का शुभारम्भ किया। अभियान दिव्यांगता के इस मॉडल पर आधारित है कि दिव्यांगता का कारण गठित समाज का रवैया है न कि व्यक्ति की सीमाएं और बाधिताएं है। शारीरिक, सामाजिक, संरचनात्मक और व्यवहारगत बाधाएं दिव्यांगजनों को सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने से रोकती है। एक बाधामुक्त वातावरण उनको सभी गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने की सुविधा प्रदान करता है और एक स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित जीवन यापन करने को बढ़ावा देता है। अभियान की परिकल्पना एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना है जिसमें दिव्यांगजनों के (पीडब्ल्यूडी) उत्थान और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और प्रतिष्ठित जीवन का नेतृत्व कर सकें।

उपर्युक्त को देखते हुए सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्य, लक्ष्य और प्रगति निर्धारित किए गए हैं :–

11.1.1 निर्मित वातावरण सुगम्यता

सुगम्य सरकारी भवनों के अनुपात में अभिवृद्धि करना

लक्ष्यः

चरण–I : चयनित 50 शहरों में अत्यधिक महत्वपूर्ण 25–50 सरकारी भवनों की सुगम्यता लेखा परीक्षा को पूरा करना और अगस्त, 2019 तक उन्हें पूर्ण रूप से सुगम्य बनाना।

चरण–II : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) सभी राज्यों के राजधानियों के सभी सरकारी भवनों के 50 प्रतिशत भवनों को अगस्त, 2019 तक पूर्ण रूप से सुगम्य बनाना।

चरण–III : सरकारी भवनों के 50 प्रतिशत भवनों की सुगम्यता लेखा परीक्षा पूरा करना

और चरण (I) और चरण (II) में शामिल न किए गए राज्यों के 10 अत्यधिक महत्वपूर्ण शहरों / कस्बों के भवनों को दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण रूप से सुगम्य बनाना।

11.1.2 उपलब्धियां

(i) राज्य सरकारों द्वारा अभिज्ञात किए गए 1662 भवनों की सुगम्य लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई है।

(ii) राज्य नोडल अधिकारियों को 1662 सुगम्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट जमा करा दी गई है।

(iii) निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के आरम्भ होने से योजना (सिपडा) के तहत सहायता अनुदान जारी करने के लिए 1217 भवनों का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है।

(iv) 910 भवनों के लिए 264.91 करोड. रूपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है।

(v) लेखा परीक्षकों को सुगम्य लेखा परीक्षा संचालित करने के लिए लगभग 283 लाख रूपये जारी किए जा चुके हैं।

(vi) राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों को अपने स्तर पर चरण II तथा चरण III कार्यान्वित किया जाना है।

11.1.3 परिवहन प्रणाली सुगम्यता

(i) सुगम्य हवाई अड्डों के अनुपात में वृद्धि करना:

लक्ष्य: सभी अर्न्तराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों को अगस्त, 2019 तक पूर्णरूप से सुगम्य बनाया जाना है। जिसमें से:

माननीय मंत्री, राज्य मंत्री (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) एवं सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की उपस्थिति में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा राजस्थान राज्य को एआईसी के कार्यावन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से पुरस्कृत करते हुए।

सभी 34 अर्न्तराष्ट्रीय हवाई अड्ड़ों और 48 घरेलू हवाई अड्ड़ों पर सुगम्यता विशेषताएं, नामतः रैम्पस, सुगम्य शौचालय, ब्रेल चिह्नों और श्रवण संकेतों, प्रदान की जा चुकी हैं।

(ii) सुगम्य सार्वजनिक परिवहन के अनुपात में अभिवृद्धि करना

लक्ष्य : सरकारी स्वामित्व के 10 प्रतिशत सार्वजनिक वाहनों को अगस्त, 2019 तक पूर्णरूप से सुगम्य बनाया जाना है। जिसके लिए :

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों राज्यों/राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों (एसआरटीयू) को निर्देश जारी किए हैं कि वे सरकारी स्वामित्व के 10 प्रतिशत सार्वजनिक वाहनों को 2018 तक सुगम्य बनाया जाना सुनिश्चित करें।

(ख) देश में 58 एसआरटीयू में 8.4 प्रतिशत बसों में सुगम्यता विशेषताएं उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(iii) सुगम्य रेलवे स्टेशनों के अनुपात में अभिवृद्धि करना :

लक्ष्य : ए1, ए तथा बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों को दिसम्बर 2016 तक पूर्ण रूप से सुगम्य बनाया जाना है और सभी रेलवे स्टेशनों के 50 प्रतिशत रेलवे स्टेशनों को अगस्त 2019 तक पूर्णरूप से सुगम्य बनाया जाना है। जिसमें सेः

ए1, ए और बी श्रेणी के 709 रेलवे स्टेशनों में, 670 स्टेशनों पर सभी अल्प–कालीन सुविधाएं और 639 रेलवे स्टेशनों पर दीर्घ कालीन सुविधाएं प्रदान की जा चुकी है।

11.1.4 सूचना और संचार प्रणाली की सुगम्यता

(i) अन्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सुगम्यता के मानकों को पूरा करने वाले सुगम्य दस्तावेजों और वेबसाइट के अनुपात में अभिवृद्धि करना

लक्ष्यः केन्द्रीय और राज्य सरकार की कम से कम 50 प्रतिशत वेबसाइटों को अगस्त 2019 तक सुगम्य बनाया जाना । जिसके लिएः

(क) 917 वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए 26, 18, 95, 200/– रूपये स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें से 10, 47, 58, 800/– रूपये प्रथम किस्त के रूप में संवितरित किए गए हैं। राज्य सरकारों की 217 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया जा चुका है।

(ख) एमईआईटीवाई को विषय प्रबंधन ढांचे के तहत केन्द्रीय सरकार की 100 वेबसाइटों को सुगम्य बनाना है, अब तक 90 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है।

11.1.5 मुख्य विशेषताएं

(i) विभाग ने दिल्ली को एक आदर्श सुमग्य शहर बनाने के लिए 7 मई, 2018 को हितधारकों की प्रथम संवेदीकरण बैठक आयोजित की। विभाग ने सभी प्रमुख हितधारकों की बैठक का समन्वय करने, उन्हें कानूनी जनादेश के बारे में समझाने के लिए पहल शुरू की है और विभाग इस पूरी यात्रा में पर्यवेक्षी भूमिका का निर्वहन करेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यू), 2016 की धारा 40–46, सभी के लिए सुगम्य वातावरण और सेवाओं के सृजन की परिकल्पना के संबंध में स्पष्ट जनादेश, समयावधि और दण्डात्मक कार्रवाई का पूर्वाभास कराती है।

स्टेक होल्डर्स की प्रथम संवेदिकरण बैठक दिल्ली को एक मॉडल सुगम्य शहर बनाने के लिए 7 मई 2018 आयोजित की गई

(ii) विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिकों और कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के साथ दिव्यांगजनों के हित लाभों के लिए डीएसटी द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रौद्योगिकीय उपाय के व्यावसायिकीकरण के मामलों पर 17.07.2018 को एक बैठक आयोजित की। बैठक को सीओएस की 2 अप्रैल, 2018 को आयोजित बैठक के अनुवर्ती के रूप माना गया था जिसमें सीओएस ने सिफारिश की थी कि डीएसटी और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीओईपीडब्ल्यूडी) संयुक्त रूप से (पीडब्ल्यूडी) दिव्यांगजनों के हित लाभों के लिए डीएसटी द्वारा विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकीय उपाय के व्यावसायिकीकरण की संभावनाओं का पता लगाएं।

(iii) विभाग ने चयनित रेलवे स्टेशनों की लेखा परीक्षा का साक्ष्यांकन करने के लिए योजना और वास्तुकला संस्थान (एसपीए), दिल्ली को नियुक्त किया है। विभाग और एसपीए के साथ 27.07.2018 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह सलाहकारी परियोजना भारत में चयनित रेलवे स्टेशनों के आसपास ए1, ए और बी श्रेणी के 10 प्रतिशत स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं की लेखा परीक्षा का साक्ष्यांकन को कवर करेगी। एसपीए देशभर में ए1, श्रेणी के 8, ए श्रेणी के 33 और बी श्रेणी के 29 रेलवे स्टेशनों की सुगम्यता लेखा परीक्षा संचालित करेगी।

श्रीमती शकुन्ताला डी गामलिन, सचिव और डॉ. पी.एस.एन. राव, निदेशक, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्केटेक्चर, दिल्ली के बीच 10 प्रतिशत मुख्य रेलवे स्टेशनों का सत्यापन लेखा परिक्षा संचालित करने के लिए समझौता ज्ञापन

सुगम्य भारत अभियान के तहत 2018–19 (31 दिसंबर, 2018 को) के दौरान जारी की गई निधियां		
क्र.	संस्था का नाम	जारी की गई कुल राशि (रू में)
1	तेलंगाना सरकार (16 भवन)	4,59,61,816
2	आंध्र प्रदेश सरकार (38 भवन)	7,18,16,500
3	उत्तर प्रदेश सरकार (26 भवन)	2,18,02,898
4	हरियाणा सरकार (19 भवन)	1,64,73,927
5	पश्चिम बंगाल सरकार (9 भवन)	1,50,66,363
6	पश्चिम बंगाल सरकार (17 भवन)	9,54,55,784
7	मेघालय सरकार (13 भवन)	3,25,16,065
8	हरियाणा सरकार (17 भवन)	7,15,28,000
9	झारखंड सरकार (14 भवन)	5,83,42,725
10	पंजाब सरकार (14 भवन)	8,37,74,000
11	मध्य प्रदेश सरकार	25,99,650
12	हिमाचल प्रदेश सरकार (3 भवन)	48,49,380
13	गोवा सरकार (9 भवन)	1,89,04,134
14	गोवा सरकार (21 भवन)	2,55,58,853
15	केरल सरकार (28 भवन)	4,29,98,000
16	कर्नाटक सरकार (16 भवन)	10,21,21,000
17	जम्मू और कश्मीर सरकार (11 भवन)	5,09,05,035
18	अंडमान और निकोबार सरकार (21 भवन)	5,70,59,224
	कुल	81,77,33,354

11.2 अनुसंधान और विकास

11.2.1 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने "दिव्यांगता संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मामलों पर अनुसंधान" पर जनवरी, 2015 में एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना का शुभारम्भ किया है जिसका उद्देश्य है– जीवनचक्र की आवश्यकताओं, व्यक्तियों और उनके परिवारों के समग्र विकास के आधार पर सेवा मॉडल और कार्यक्रमों के अनुसंधान को बढ़ावा देना और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक समक्ष वातावरण तैयार करना तथा दिव्यांगता की रोकथाम और प्रसार में अनुसंधान को बढ़ावा देना और स्वदेशी, उपयुक्त सहायक यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लागू करना।

11.2.2 इस योजना में 2 घटक हैं अर्थात् (i) सहायक तकनीक और उत्पादक विकास उपकरणों का अनुसंधान और विकास और (ii) अध्ययन/शोध/सर्वेक्षण/इंटर्नशिप और दिव्यांगता से संबंधित आंकड़ों का आवधिक संग्रह/राज्य सरकारों, विभाग के तहत राष्ट्रीय संस्थानों से इस योजना के अनुसार अपने प्रस्ताव जमा करने का अनुरोध किया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान विभाग में जुलाई 2017 नए प्रस्ताव प्राप्त प्राप्त हुए थे जिसमें से 2 प्रस्तावों की तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा संचालक समिति के विचारार्थ सिफारिश की गई थी। फिर भी, संचालन समिति के निर्णय के आधार पर इन दो प्रस्तावों पर कुछेक स्पष्टीकरण माँगे गये थे। इसके अतिरिक्त, चल रही दो परियोजनाओं, एक एनआईएमएचएनएस, बैंगलोर में और एक वीआईटी विश्वविद्यालय, चेन्नई द्वारा चलाई जा रही, के संबंध में द्वितीय किस्त की 9.86 लाख रूपये की धनराशि जारी की जा रही है। विगत् 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष 31.12.2018 को, के दौरान अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के तहत जारी की गई निधियों के ब्यौरे **अनुबंध–17 (पृष्ठ सं. 212)** पर हैं।

11.3 दिव्यांगता खेल केन्द्र

11.3.1 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विश्व में अग्रणी देशों के बराबर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से देश में पांच अंचलों अर्थात् केन्द्रीय अंचल (ग्वालियर, मध्यप्रदेश), पूर्वी अंचल (शिलांग, मेघालय), उत्तरी अंचल (जिरकपुर, पंजाब) दक्षिणी अंचल (विशाखापट्टनम, आंध्रप्रदेश) और पश्चिमी अंचल (खेल विभाग के परामर्श से स्थान पर अंतिम निर्णय दिया जा रहा है) में विश्व में दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

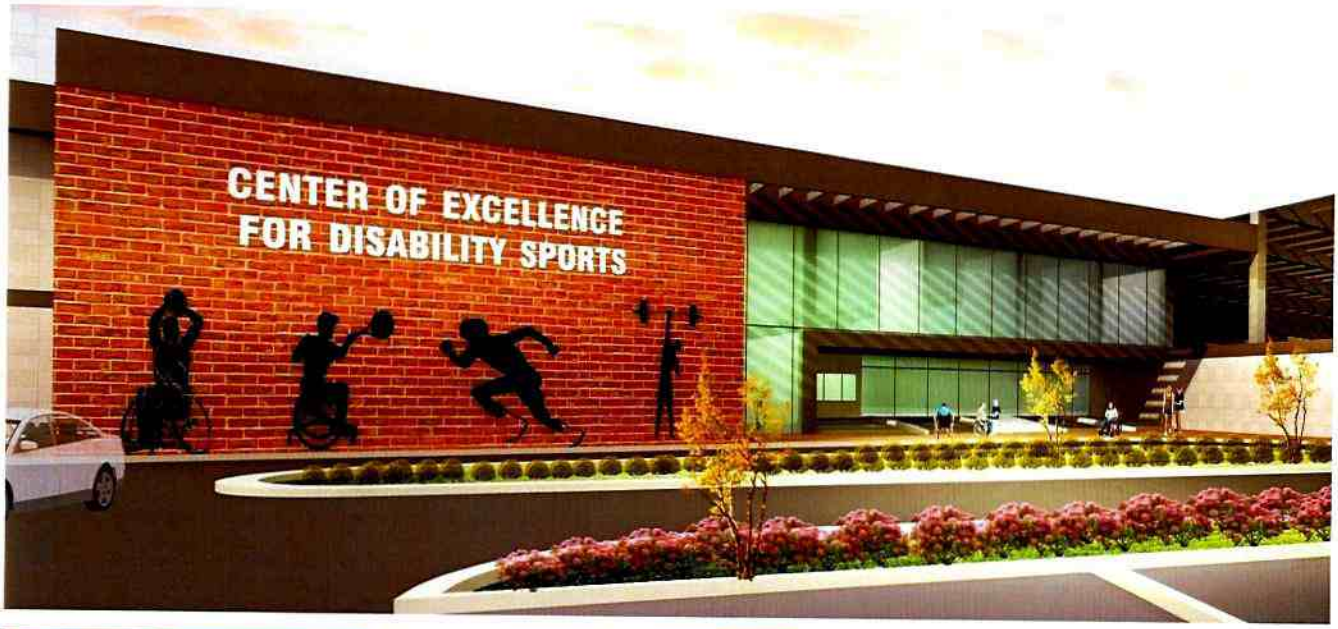

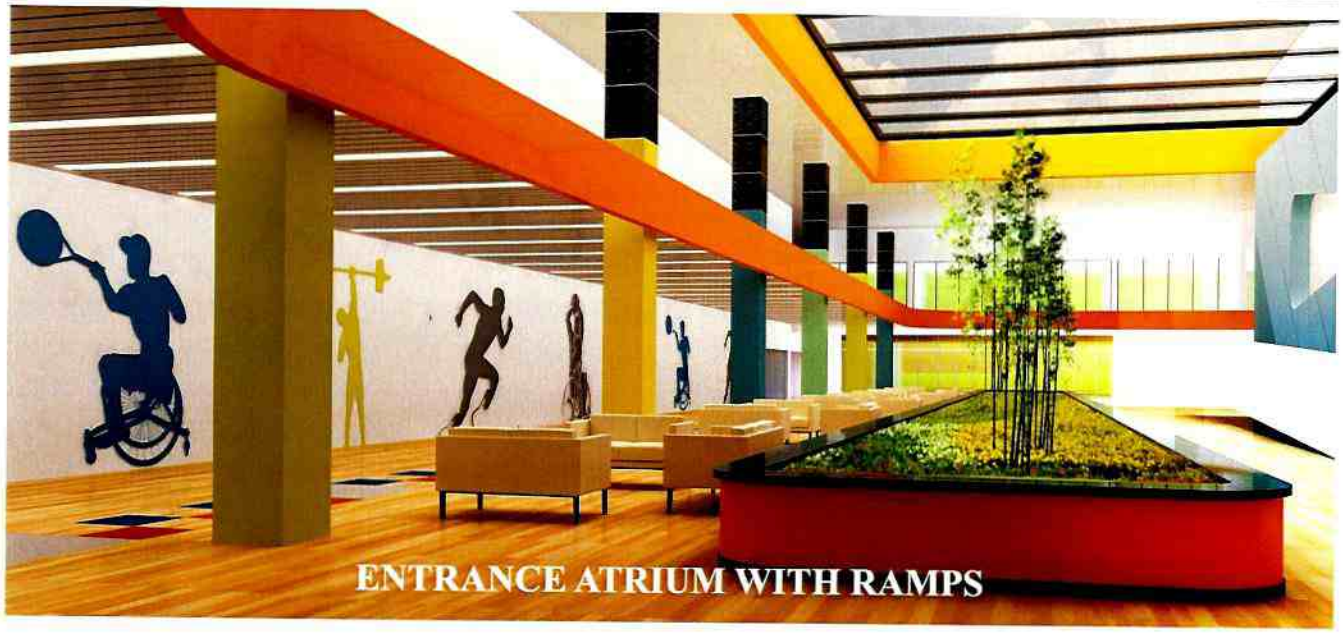

11.3.2 सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में 31 अक्तूबर, 2018 को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) बैठक में विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया गया और सैद्धांतिक रूप में पांच दिव्यांगता खेल केन्द्र स्थापित करने पर सहमति दी है। जबकि व्यय वित्त समिति ने केन्द्रीय अंचल के लिए ग्वालियर में दिव्यांगता खेल केन्द्र का 238.52 रूपए की अनुमानित लागत और पूर्वी अंचल के लिए दूसरा केन्द्र डीपीआर की तैयारी के अधीन शिलांग में स्थापित करने की सिफारिश की है, वर्तमान (14 वें) वित्त आयोग की अवधि के दौरान, शेष तीन केन्द्रों के संबंध में यह सिफारिश की गई कि ग्वालियर और शिलांग में केन्द्रों की स्थापना और संचालन के बाद 15 वें वित्त आयोग के समय विचार किया जाएगा।

11.3.3 मंत्रीमंडल नोट प्रक्रिया के अधीन है।

11.4 इस विभाग द्वारा 'राज्य स्पाईनल इंजरी केन्द्र' की स्थापना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना

11.4.1 राज्य स्पाईनल इंजरी केन्द्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना 31 मार्च, 2015 से कार्यावित की जा रही है। योजना 12 वीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख में योजना के लिए निर्धारित परिव्यय 20.00 करोड़ रूपए सहित शामिल की गई है।

11.4.2 राज्य स्पाईनल इंजरी केन्द्र मुख्य रूप से स्पाईनल इंजरी के व्यापक प्रबंधन के लिए है। योजना के तहत, स्पाईनल इंजरी के उपचार के लिए एक व्यापक प्रबंधन और पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया गया है और राज्य राजधानी/संघ शासित राज्यों के जिला अस्पताल से जोड़े गए हैं, और 12 बैड़ समर्पित है। अब तक एसएमएस मेडिकल कालेज और हास्पिटल, जयपुर में एक चालू है। जिसके लिए 2015–16 के दौरान 2. 89 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। सरकार ने जम्मू के सरकारी मेडिकल कालेज में दो और केंद्रों को मंजूरी दी है, जिसके लिए 2 करोड़ रूपए ओर सरकारी मेडिकल कालेज श्रीनगर में एक और केन्द्र, जिसके लिए 2016–17 के दौरान 1.17 करोड़ रूपए की राशि जारी की है। वर्ष 2017–18 के दौरान सिविल हास्पिटल शिलौंग और आईजी सरकारी जनरल हास्पिटल एवं पीजी संस्थान, पुडुचेरी में दो केन्द्रों को मंजूरी दी गई है और क्रमशः 2.33 करोड़ और 2.43 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। चालू वर्ष के दौरान गांधी मेमोरियल कालेज भोपाल में एक और केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसके लिए 2.82 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

11.4.3 विभाग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्पाइनल इंजूरी रोगियों के इलाज के लिए 25 बैड़ो के रख रखाव के लिए संचालन लागत के रूप में इंडियन स्पाइनल इंजूरी केन्द्र, बसंत कुंज, नई दिल्ली को अधिकतम 2 करोड़ रूपए तक भी अनुदान प्रदान करता है। तथापि, पिछले वर्ष के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।

11.5 सार्वजनिक भागीदारी

11.5.1 दी इंडियन स्पाइनल इंजुरी सेंटर (आईएसआईसी), नई दिल्ली एक गैर–सरकारी संगठन मेंरूदंड की चोट से पीडित लोगों को और संबंधित रोगियों को एक पूरी तरह से पुनर्वास की सेवाएं प्रदान कराता है। इनमें रिकंसट्रक्टिव सर्जरी, स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन, फिजिकल पुनर्वास, मनो–सामाजिक पुनर्वास और पेशेवर पुनर्वास शामिल हैं।

11.5.2 केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, सरकार आईएसआईसी को गरीब मरीजों के उपचार के लिए 25 बैड मुफ्त में देने में सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त केन्द्र गरीब मरीजों को 5 बैड प्रदान करेगा। वर्ष 2017–18 के दौरान आईएसआईसी को किसी प्रकार की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत नहीं की गयी चूंकि विभाग ने प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया जिनके आधार पर योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा और योजना की रूपरेखा के आधार पर नये दिशा–निदेश तैयार किये जाएगे।

11.6 ''ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन'' की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना

सरकार ने दृष्टि बाधितों के लाभ के लिए नवंबर, 2014 में ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन में सहायता की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की है।

11.6.1 उद्देश्य

(i) 18 नई ब्रेल प्रेसों की सीापना

(ii) संघ राज्य क्षेत्रों में 03 लघु स्तरीय ब्रेल प्रेसों की स्थापना

(iii) 12 पुरानी ब्रेल प्रेसों का आधुनिकीकरण

(iv) 03 आधुनिक ब्रेल प्रिटिंग प्रेसों की ब्रेल प्रिटिंग क्षमता को बढाना।

11.6.2 सरकार ने 2014–15 से 2016–17 के दौरान निम्नलिखित ब्रेल प्रेसों को मंजूरी दे दी है:–

नयी ब्रेल प्रेसों की स्थापना	–	06
वर्तमान ब्रेल प्रसों का आधुनिकीकरण	–	11
ब्रेल प्रेसों की क्षमताओं में वृद्धि	–	03

योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान 23 करोड़ रूपए की राशि जारी की गयी।

इस योजना को 2016–17 से आगे जारी रखने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। अब, यह योजना 2017–18 से 2019–20 के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू की जाएगी:–

(i) 12 नए ब्रेल प्रेस को स्थापित करने के लिए

(ii) 01 पुरानी ब्रेल प्रेस का आधुनिकीकरण करना

(iii) संघ राज्य क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर 03 ब्रेल मुद्रण इकाइयां स्थापित करने के लिए।

संशोधित योजना के अंतर्गत, सरकार ने 31 दिसंबर, 2018 तक 6 नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना का अनुमोदन किया है जिसमें से 02 ब्रेल प्रेस 31 दिसंबर, 2018 (2018–19) तक स्थापित और वर्तमान 01 ब्रेल प्रेस का आधुनिकीकरण किया जाना है।

11.6.3 (31 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार) ब्रेल प्रेसों की स्थापना के लिए विभाग द्वारा जारी अनुदान सहायता

वर्ष	बजट आवंटन	जारी अनुदान
2018-19	10 करोड़ रू	2.74 करोड़ रू

जारी निधियों (राज्यवार) का ब्यौरा **अनुबंध–18 (पृष्ठ सं. 215)** पर है।

11.7 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना

मानसिक रोग को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगता के रूप में पहचाना गया है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए आवासीय पुनर्वास सहित सेवाओं का प्रावधान न केवल एक विशेष आवश्यकता है, बल्कि एक कानूनी और वैधानिक दायित्व है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की चिकित्सा का ध्यान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रखा जा रहा है जबकि पुनर्वास के पहलुओं का ध्यान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा रखा जाता है। केन्द्र सरकार ने, तीन वर्ष की अवधि के भीतर 179.54 करोड़ रूपए की कुल अनुमानित लागत से भोपाल–सिहोर हाइवे सहित सिहोर जिले में एनआईएमएचआर स्थापित किए जाने के विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 25 एकड़ भूमि इस विभाग को प्रदान की है। विभाग ने संस्थान स्थापित करने के लिए सीपीडल्यूडी को नियुक्त किया है।

11.8 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) परियोजना

11.8.1 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डाटा बेस तैयार करने के विचार से यूडीआईडी परियोजना को लागू करने और उनमें से प्रत्येक को यूडीआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में है। सॉफ्टवेयर पहले से ही विकसित कर लिया गया है और एनआईसी क्लाउड पर उपलब्ध है।

11.8.2 यह परियोजना दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन मंच भी प्रदान करेगी। किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पूरे देश के वेब पोर्टल के माध्यम से प्रमाणित किए जा सकते हैं। जनगणना, 2011 द्वारा पहचाने गए 2.68 करोड़ दिव्यांगजनों में से देशभर में आज दिनांक तक लगभग एक करोड़ दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए है। यह यूडीआईडी कार्ड के लिए प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। यूडीआईडी परियोजना यह सुनिश्चित करेगी कि सभी दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। यह बाद में पूरे देश में सभी स्तरों पर लाभ वितरण की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर नजर रखने में मद्द करेगा। यह दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ देने में पारदर्शिता, दक्षता को प्रोत्साहित करेगा।

11.8.3 डाटाबेस व्यक्तिगत विवरण, पहचान विवरण, दिव्यांगता विवरण (प्रकार, क्षेत्र, प्रतिशत, प्रमाण पत्र आदि), शिक्षा विवरण, रोजगार विवरण (स्थिति, व्यवसाय, बीपीएल/एपीएल, आय आदि), दिव्यांगता प्रमाण पत्र विवरण, योजना संबंधित विवरण, मतदाता पहचान पत्र और व्यक्ति/अभिभावक/संरक्षक आदि के अन्य आईडी प्रमाण और यूडीआईडी नवीकरण/पुनः जारी/कार्ड वापसी आदि का विवरण रखेगा। सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही पूर्ण कर लिया गया है।

11.8.4 31 दिसंबर, 2018 तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 11.20 लाख यूडीआईडी कार्ड तैयार किए गए हैं। सरकार ने सभी शेष 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः असम, गोवा, हरियाणा, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, लक्ष्यद्वीप और पुडुचेरी में परियोजना को शीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

11.9 दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना

11.9.1 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 दिव्यांगजनों को लाभ प्रदान करता है, जिनके पास चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित 40 प्रतिशत या अधिक किसी में भी दिव्यांगता हो। इस प्रकार एक दिव्यांग जो अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी से दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। विभाग द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

11.9.2 राज्य सरकारें दिव्यांगजनों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तुलनात्मक राज्यवार स्थिति 31 दिसंबर, 2018 तक अर्थात जनगणना, 2011 के अनुसार अनुबंध 19 (पृष्ठ सं. 217) पर दी गई है। दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त के कार्यालय से उपलब्ध आंकडों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2018 तक भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 57.98 प्रतिशत दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

11.10 दिव्यांग युवाओं के लिए वैश्विक आईटी चैलेंज (जीआईटीसी, 2018)

11.10.1 विभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कोरिया सरकार के सहयोग से 08 से 11 नवंबर, 2018 के दौरान प्रथम बार नई दिल्ली में युवा दिव्यांगजनों के लिए वैश्विक आईटी चैलेंज का आयोजन किया। यह प्रतियोगिता दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, गतिविषियक दिव्यांगता तथा बौद्धिक/विकासात्मक दिव्यांगता की श्रेणी में 13 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के लिए थी। इस प्रतियोगिता में 18 देशों अर्थात इंडोनेशिया, चीन, वियतनाम, मलेशिया, थाइलैंड, श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाल,

माननीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर 08.11.2018 को नई दिल्ली में 'दिव्यांग युवकों के लिए वैश्विक आईटी चुनौति, 2018' समारोह का उदघाटन करते हुए

मगोलिया, कंबोडिया, लाओस, फिलिपाइंस, कोरिया, कजाकिस्तान, किर्यगिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, भारत एवं इंग्लैंड के लोगों ने भाग लिया।

11.10.2 भारत ने जून, 2018 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरूक्षेत्र के सहयोग से युवा दिव्यांगों की राष्ट्रीय स्तर की आईटी प्रतिस्पर्धा के आधार पर इस आयोजन में भाग लेने के लिए 12 दिव्यांग युवाओं का चयन किया।

11.10.3 प्रतियोगिता में ई–टूल एंव ई–लाइफ मैपिंग पर एकल प्रतियोगिता तथा ई–लाइफ स्किल तथा ई–क्रियेटिव पर ग्रुप प्रतियोगिताएं शामिल है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में वृद्धि के लिए आईसीटी के उपयोग के संबंध में, इसमें भाग लेने वाले विभिन्न देशों द्वारा उत्तम अभ्यासों के लिए आईटी चैलेंज प्रतियोगिताओं के साथ–साथ आईटी फोरम नामक एक अन्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भारत ने ई–टूल चैलेंज तथा ई–लाइफ मैप चैलेंज की एकल श्रेणी में दो पुरस्कार तथा एक सुपर चैलेंजर पुरस्कार सहित कुल 3 पुरस्कार प्राप्त किये।

11.11 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

11.11.1 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

11.12 देश के पांच क्षेत्रों में विद्यमान बधिर कालेजों के लिए वित्तीय सहायता योजना

11.12.1 उद्देश्य

योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर में एक कालेज सहित देश में निम्नलिखित वर्तमान पांच बधिर कालेजों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है:–

(क) भारत के उत्तरी क्षेत्र में बधिरों के लिए ग्रामीण विकास ओर प्रबंधन कालेज।

(ख) पश्चिमी क्षेत्र में बधिरों के लिए कालेज।

(ग) दक्षिणी क्षेत्र में बधिरों के लिए कालेज।

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र में बधिरों के लिए कालेज

(ङ) पूर्वी क्षेत्र में बधिरों के लिए कालेज।

11.12.2 यदि योजना के सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए अपेक्षित मानदंड पूरा करने वाले उपयुक्त कालेजों का पता नहीं लगता है तो विभाग को योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने के अपेक्षित मानकों को पूरा करने वाले एक क्षेत्र में दो बधिर कालेजों की पहचान की छूट होगी। योजना को आरंभ में 29 जनवरी, 2015 को अनुमोदित किया गया था और संशोधित योजना 01 अगस्त, 2018 को अधिसूचित की गयी।

11.12.3 योजना में, देश के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबंद्ध एक कालेज को, उसकी वर्तमान आधारभूत संरचना के विस्तार, यंत्रों/उपकरणों, कार्यालय यंत्रों, कंप्यूटरों, फर्नीचर–फिक्सचर आदि की खरीद के लिए तथा कालेज संकाय, स्टॉफ और संकेत भाषा द्विभाषियों के वेतन और भत्तों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

11.13 केन्द्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के कार्यकर्ताओं का सेवा प्रशिक्षण और संवेदनशीलता

11.13.1 इस योजना का उद्देश्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रमुख कार्यकारियों को प्रशिक्षित करना और उन्हें संवेदनशील बनाना है। स्थानीय निकाय और अन्य सेवा प्रदाता, राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर की कार्यशाला के माध्यम से बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में दिव्यांगता क्षेत्र का सामना करने वाले नए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवेदनशील बनाना है। प्रशिक्षण का उद्देश्य दिव्यांग की क्षमताओं के बारे में कर्मचारियों ओर समकक्ष समूहों में जागरूकता बढाने, दिव्यांगता संबंधी कानूनों के बारे में जागरूकता, दिव्यांगजनों के लाभ के लिए विकास कार्यक्रम/योजनाएं होगा। यह प्रशिक्षण पंचायत स्तर/ब्लॉक स्तर के प्रमुख कार्यकर्ताओं और दिव्यांगता क्षेत्र से संबंधित जिला स्तर पर है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के अंतर्गत पुनर्वास परिषद की योजना इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8700 प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

11.13.2 वित्तीय / वास्तविक प्रगति

वर्ष	वित्तीय / वास्तविक (यूनिट दर्शाये)			उपलब्धि
	संशोधित अनुमान	व्यय	वित्तीय / वास्तविक लक्ष्य	
2015–16	2.00	2.00	पूर्ण बजट आवंटन का उपयोग किया गया।	3736 मुख्य पदधारी प्रशिक्षित किए गए हैं।
2016–17	2.00	1.26	पूर्ण बजट आवंटन का उपयोग नहीं किया गया।	2500 मुख्य पदधारी प्रशिक्षित किए गए है।
2017–18	2.00	1.46	पूर्ण बजट आवंटन का उपयोग नहीं किया गया।	2464 मुख्य पदधारी प्रशिक्षित किए गए है।
2018–19	2.00	शून्य	शून्य	लगभग 3000 मुख्य पदधारी प्रशिक्षित किए गए

11.14. समावेशी और सर्वसुलभ डिजाइन के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआईआईयूडी)

11.14.1 मंत्रालय ने सर्वसुलभ डिजाइन के समावेशी एजेंडे कार्यसूची पर समावेशी और सर्वसुलभ डिजाइन (एनआईआईयूडी) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जो दिव्यांगजनों तक पहुंच के उच्चतर महत्व के माध्यम से प्रत्येक द्वारा पर्यावरण की सुगम्यता पर ध्यान देगा।

11.14.2 विभाग ने, एनआईआईयूडी स्थापित करने के लिए इस विभाग के साथ सहयोग एवं समन्वय के लिए इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटरड डिजाइन बास्टन, यूएसए की पहचान की। प्रारूप कैबिनेट नोट विचारधीन है।

11.15. ऑस्ट्रेलिया सरकार और भारत सरकार के मध्य दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू)

11.15.1 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 जिसने दिव्यांगजनों के अधिकारों और हकदारियों की सीमाओं का विस्तार किया है, इसके प्रभाव में आने के पश्चात विभाग इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु तंत्र (मकैनिज्म) विकसित करने और संसाधनों को सक्रिय करने के अथक प्रयास कर रहा

है। विभाग दिव्यांगता क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर भी ध्यान दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस संबंध में विभाग के साथ कार्य करने में अपना सहयोग प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है। तद्नुसार केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से विभाग ने भारत के माननीय राष्ट्रपति के दिनांक 22 नवंबर, 2018 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया।

11.15.2 समझौता ज्ञापन (एमओयू) में दोनों देशों के मध्य निम्नलिखित क्षेत्रों में रूपरेखा तैयार की गयी:–

(i) दिव्यांगता नीति और सेवाओं की सुपुर्दगी।

(ii) शीघ्र पहचान और मानसिक रोग सहित अन्य विविध दिव्यांगताओं के निवारण और रोकथाम के लिए हस्तक्षेप।

(iii) सामुदायिक आऊटरीच, शिक्षा और प्रशिक्षण।

(iv) दिव्यांगता क्षेत्र में निवेश को किस प्रकार बढावा दिया जा सकता है इस विषय पर पारस्परिक जानकारी।

(v) नीतिगत संवाद कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन में प्रभावी रूप से शामिल होने के लिए दिव्यांगजनों की क्षमता का निर्माण।

(vi) दिव्यांगता क्षेत्र का कोई अन्य विषय जिस पर दोनों सहयोगी पूर्णतः सहमत हो।

11.16 सांख्यिकी सेल

विभाग का सांख्यिकी सेल, विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागों और रिपोर्टिंग संगठनों के पाठन उपलब्ध डाटा आवर्धन करता है। सांख्यिकी कक्ष का प्राथमिक कार्य विभाग की प्रत्येक योजना के बारे में आंकडे बनाए रखना है। वर्तमान में विभाग का सांख्यिकीय सेल मौजूदा आंकडों में अंतरालों की पहचान करने और मंत्रालय में नियोजन, मानीटरिंग और निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करने और इसके कुशल केन्द्रीयकृत सांख्यिकीय डाटाबेस के विकास और प्रबंधन को मजबूत बनाने का परामर्श देना है। वर्तमान में विभाग का सांख्यिकीय सेल, वर्तमान आंकडों के अंतरालों तथा विभिन्न प्रभागों की आवश्यकताओं और विभाग की अन्य समग्र अपेक्षाओं को पूरा

करने के विचार से विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों के प्रभावी केन्द्रीकृत सांख्यिकीय आंकडों के प्रबंधन एवं विकास की पहचान में लगा है।

11.17 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

11.17.1 विभाग ने 29 अक्टूबर, 2018 को 11 बजे सम्मेलन कक्ष में सत्य निष्ठा प्रतिज्ञा के साथ दिनांक 29 अक्टूबर से 03 नवंबर, 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। इस अवसर पर विभाग ने 30, 31 अक्टूबर और 01 नवंबर, 2018 के दौरान ''भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ'' विषय पर निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया:–

(i) निबंध लेखन प्रतियोगिता (ii) नारा लेखन प्रतियोगिता (iii) वस्तुनिष्ठ प्रश्नात्मक प्रतियोगिता

11.17.2 इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कुल 67 प्रतिभागियों में से 03 प्रोत्साहन पुरस्कार विजेता सहित कुल 18 अभ्यर्थियों अर्थात प्रत्येक प्रतियोगिता में 06 को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार विजेता घोषित किया गया। प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं को दिनांक 17.01.2019 को विभाग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित समारोह में संयुक्त सचिव, सुश्री डौली चक्रवर्ती द्वारा पुरस्कृत किया गया।

दिनांक 17 जनवरी, 2019 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में सुश्री डौली चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा श्री किशोर बाबूराव सुरवाड़े, उप महानिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2018 के दौरान आयोजित प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता

***

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित कार्य

भारत सरकार नियमावली के अनुसार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित विषय (कार्य आवंटन), इस प्रकार हैं:–

1. निम्नलिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–I के अंतर्गत – संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची में आते है:

   दान में दी गई राहत वस्तुओं/आपूर्तियों के कर–मुक्त आयात हेतु भारत–यू.एस., भारत–यू. के., भारत–जर्मन, भारत–स्वीडन तथा भारत–स्वीट्जरलैंड की आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामले।

2. निम्नलिखित विषय जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–III को समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं (केवल विधायन के संबंध में):

   ''सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर''

3. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, निम्नलिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–II समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं–राज्य सूची अथवा सूची–III–जहां तक ऐसे क्षेत्रों के संबंध में वे विद्यमान हैं:

   ''दिव्यांगजनों को रोजगार हेतु सहायता; सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर''।

4. दिव्यांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के संबंध में नोडल विभाग की भांति कार्य करना:

टिप्पणी: दिव्यांगजनों से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजन तथा समन्वय के लिए दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग नोडल विभाग होगा। तथापि, इस समूह के संबंध में

क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समग्र प्रबंधन और निगरानी आदि का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित नोडल उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

5. दिव्यांगजनों के पुनर्वास तथा सामाजिक, शैतिक और आर्थिक सषक्तिकरण के लिए लक्षित विशेष योजनाएं, जैसे सहायक यंत्रों और उपकरणों की आपूर्ति, छात्रवृत्तियां, आवासीय विद्यालय, कौषल प्रशिक्षण, रियायती ऋण और स्वरोजगार के लिए सब्सिडी आदि।

6. पुनर्वास व्यावसायिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण।

7. विभाग से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और करार, जैसे संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन।

8. विभाग को आवंटित विषयों के संबंध में जागरूकता सृजन, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण।

9. विभाग को आवंटित विषयों के संबंध में धर्मार्थ अनुदान तथा स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन और विकास।

10. अधिनियम/विधान/नीतियां

    (i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34);

    (ii) स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु–दिव्यांगताग्रस्त जनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44);

    (iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49)।

11. सावंधिक निकाय

    (i) भारतीय पुनर्वास परिषद।

(ii) दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त।

(iii) स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एंव बहु–दिव्यांगताग्रस्त जनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास।

12. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / स्वायत निकाय

(i) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम – कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत।

(ii) कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर।

13. राष्ट्रीय संस्थान

(i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली।

(ii) राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता।

(iii) राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन संस्थान, देहरादून।

(iv) राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान, सिकंदराबाद।

(v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई।

(vi) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक।

(vii) राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगताग्रस्त जन सषक्तिकरण संस्थान, चैन्नई।

(viii) भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली।

***

अनुबंध - 2

दिव्यांगजनों की राज्यवार जनसंख्या

2011 की जनगणना के अनुसार

क्र.स.	राज्य	वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या
1.	आंध्र प्रदेश	12,19,785
2.	अरूणाचल प्रदेश	26,734
3.	असम	4,80,065
4.	बिहार	23,31,009
5.	छत्तीसगढ़	6,24,937
6.	दिल्ली	2,34,882
7.	गोवा	33,012
8.	गुजरात	10,92,302
9.	हरियाणा	5,46,374
10.	हिमाचल प्रदेश	1,55,316
11.	जम्मू और कश्मीर	3,61,153
12.	झारखंड	7,69,980
13.	कर्नाटक	13,24,205
14.	केरल	7,61,843
15.	मध्य प्रदेश	15,51,931
16.	महाराष्ट्र	29,63,392
17.	मणिपुर	58,547
18.	मिजोरम	15,160
19.	मेघालय	44,317

20.	नागालैंड	29,631
21.	ओडिशा	12,44,402
22.	पंजाब	6,54,063
23.	राजस्थान	15,63,694
24.	सिक्किम	18,187
25.	तमिलनाडु	11,79,963
26.	तेलंगाना	10,46,822
27.	त्रिपुरा	64,346
28.	उत्तर प्रदेश	41,57,514
29.	उत्तराखंड	1,85,272
30.	पश्चिम बंगाल	20,17,406
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,660
32.	चंडीगढ़	14,796
33.	दमन और द्वीप	2,196
34.	दादर और नगर हवेली	3,294
35.	लक्षद्वीप	1,615
36.	पुडुचेरी	30,189
	कुल	**2,68,14,994**

***

01 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजना की संरचना का विवरण

क्र. सं.	मौजूदा योजना	मौजूदा		संशोधित संरचना	संरचना		
		स्थापित लागत (रू.)	मासिक आवर्ती निधियां (रू.)		स्थापित लागत (रू.)	मासिक आवर्ती निधियां (रू.)	आवश्यक स्टॉफ
1	दिशा (प्रारंभिक उपाय और विद्यालय तैयारी योजना)	1.55 लाख	4,500/-	दिशा–सह विकास योजना (बैच साइज 40)	1.55 लाख	रू. 3500/-तक (रू.3000/- + यात्रा @ रू. 500/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी) अधिकतम 30 योग्य बीपीएल लाभार्थी के लिए दिशा–निर्देशो के अनुसार भोश के लिए अनुपात स्थिति समान रहेगी।	(1) शीघ्र हस्तक्षेप थेरेपिस्ट / ओटी / पीटी: कोई दो (2) विशेष प्रशिक्षक / व्यावसायिक प्रशिक्षक: कोई एक (3) सलाहकार: सप्ताह में 3 बार (4) देखभालकर्त्ता: 02 (5) आय : 02
2	विकास (10 + वर्षों के लिए दिवस देखभाल योजना)	1.95 लाख	4,850/-				
3	समर्थ सह घरौंदा योजना (आवासीय)	2.90 लाख	7,000/-	समर्थ–सह घरौंदा (आवासीय देखभाल योजना) (बैच साइज 30)	1.90 लाख	रू. 5,000/- अधिकतम 20 योग्य बीपीएल लाभार्थी के लिए	(1) ओटी : 01 (2) पीटी: 01 (3) विशेष प्रषिक्षक / व्यावसायिक प्रषिक्षक : कोई एक (4) देखभालकर्त्ता: 03 (5) आय : 02 (6) रसोईया : 01
4	घरौंदा (वयस्कों के लिए सामुहिक गृह)	2.90 लाख	10,000/-				
5	'निरमया' (स्वास्थ्य बीमा योजना)				यह बिल्कुल समान है		

6	सहयोगी (देखभाल कर्त्ताओं को प्रषिक्षण योजना)	1.00 लाख	1) प्रषिक्षु लागतः - प्राथमिक - अग्रिम 2) प्रषिक्षु छात्रवृत्तिः - प्राथमिक - अग्रिम	 रू. 4200 रू. 8000 रू. 5000 रू. 10000	**50,000/-**	**1) प्रशिक्षु लागत (प्राथमिक–2000 एवं अग्रिम–रू. 3000)** **2) प्रशिक्षु छात्रवृत्ति (प्राथमिक–3000 एवं अग्रिम–रू. 5000)**
7	ज्ञान प्रभा (एजुकेषलन सर्पोट)			योजना बंद है, विभाग द्वारा समान योजना कार्यान्वित की जा रही है		
8	प्ररेणा (मार्केटिंग सहायता)			योजना संषोधित होनी है		
8	प्ररेणा (मार्केटिंग सहायता)			योजना संषोधित होनी है		
9	संभव (सहायक यंत्र एवं उपकरण)			योजना संषोधित होनी है		
10	बढते कदम (जागरूकता, और सामुदायिक अंतक्रिया योजना)			प्रत्येक पंजीकृत संगठन वित्तीय वर्ष में केवल 1 कार्यक्रम		

***

एलिम्को द्वारा नये उत्पाद

(क) केन वाकिंग टेट्रापॉड (टीडी 2 पी 02 0 00द्ध

यह अस्थि दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक के चलने के लिए सहायक है।

कुल आयामः–

लंबाई पूरी तरह कम किया गया 680 ±5मिमी

लंबाई पूरी तरह से विस्तारित 880±5 मिमी

(ख) केन वाकिंग टेट्रापॉड (टीडी 2 पी 04 0 00)

यह अस्थि दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक के चलने के लिए सहायक है।

कुल आयामः–

लंबाई पूरी तरह कम किया गया 680 ±5मिमी

लंबाई पूरी तरह से विस्तारित 880±5 मिमी

(ग) वाकर फोल्डेबल (कम वजनी) (टीपी 1 पी 09 0 00द्ध

यह कम वजन वाला वाकर फोल्डेबल है और अस्थि दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक उपयोगकर्ता के लिए बहुत आरामदायक है। यह एल्यूमीनियम सामग्री से बना है जो इसे हल्का बनाता है और फोल्डेबल डिजाइन ले जाने में सहजता प्रदान करता है।

(घ) सीपी व्हील चेयर (डीलक्स)

(ङ) एलिम्को नी ब्रेस

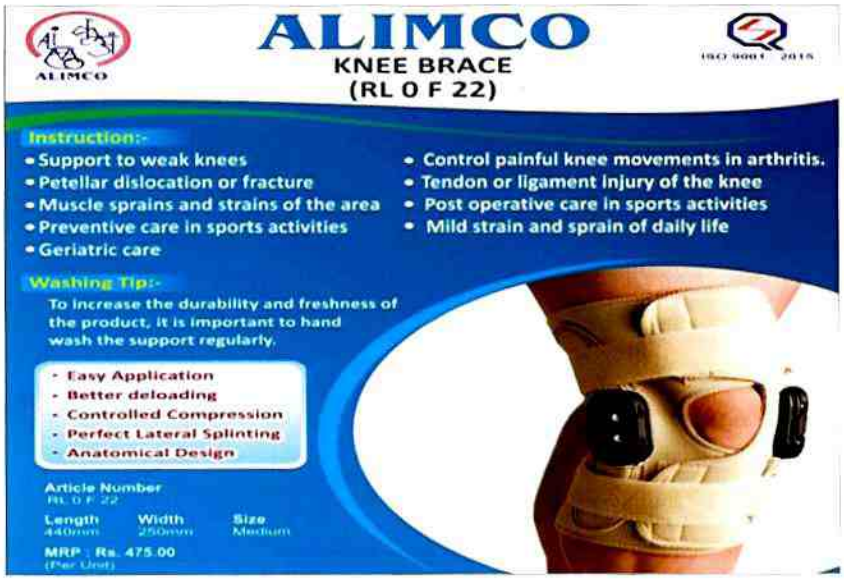

***

सफलता की कहानी

1. राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम

(i) श्री मोहन भाटी 40: दिव्यांगता (ओएच) वाले दिव्यांगजन हैं और फरीदाबाद, हरियाणा के एक छोटे से गाँव से हैं। उनके पिता एक छोटे किसान हैं। उन्हें अपने करीबी रिश्तेदार के माध्यम से राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के बारे में पता चला। उन्होंने हरियाणा पिछड़ा वर्ग कमजोर वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण निगम (एचबीसीडब्ल्यूएसकेएन) के माध्यम से एनएचएफडीसी की रियायती ऋण योजनाओं के तहत ऋण के लिए आवेदन किया, जो राज्य में एनएचएफडीसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी है। उन्हें अपनी साइबर कैफे की दुकान शुरू करने के लिए 1,50,000/– रुपये का ऋण दिया गया था। इस ऋण के साथ, उनकी आय रु 15,000 प्रति माह तक हो गई। वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गया है और अपने परिवार का सहयोग भी कर रहा है

(ii) श्री रवि अरोड़ा 100% दिव्यांगता के साथ एक दिव्यांगजन हैं और फरीदाबाद, हरियाणा के सुदूर इलाके से हैं। उनके पिता की एक छोटी सी दुकान है। श्री रवि अरोड़ा को फरीदाबाद में एनएचएफडीसी के कौशल प्रशिक्षण केंद्र में मोबाइल रिपेयरिंग में कौशल प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद, उन्हें एनएचएफडीसी की रियायती ऋण योजनाओं के तहत एक मोबाइल दुकान स्थापित करने के लिए 1,00,000/– की ऋण सहायता प्रदान की गई। इससे उन्हें 20,000 रुपये प्रति माह तक कमाने में मदद मिली है। वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गया है और अपने परिवार का सहयोग कर रहा है।

2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान

जन्मजात अंग की कमी के प्रति दृष्टिकोण अपने चेहरे पर आषा का भाव लिए दिनांक 05 अक्टूबर, 2017 को, दो व्यक्ति अपने दो बच्चों के साथ पीडीयूएनआईपीपीडी आए, उनमें से एक बच्चे को पिता ने लिया हुआ था और दूसरे को मां ने उठा रखा था। यह दिल्ली का एक आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार था। प्रोस्थेटिस्ट और आर्थोटिस्ट टीम ने अच्छी तरह से दोनों बच्चों का मूल्यांकन किया और दोनों बच्चों को लाजिटूडनल जन्मजात कमी से पीड़ित पाया। चार वर्षीय प्रांजल नामक बड़े लड़के के दायी तरफ के अंग में दोनों पिंडलियों की हड्डी और टांग के अगले भाग की हड्डी (फिबूला) लाजिटूडनल जन्मजात कमी थी और दो वर्षीय कुसुम नामक लड़की में टिबिया की द्विपक्षीय (बाइलैटरल) लांजिटूडनल कमी थी और दोनों पैरों की बहु अंगुली (पालीडैक्टल) फिबूला ग्रस्त थी।

आयु को देखते हुए सर्जन ने सर्जरी करने से मना कर दिया परन्तु चुनौती यह थी कि यदि शुरू से ही उनका इलाज नहीं किया गया तो शरीर के ऊपरी भाग में गति की अप्राकृतिक स्थिति के कारण प्रतिपूरक विकृति के विकास की संभावना हो सकती थी।

Longitudinal deficiency of lower extremity

हमने दोनों के लिए संषोधित विस्तार प्रोसथेसिस का निर्माण करने का निर्णय लिया जिससे एक प्राकृतिक चाल आती है, उन्हें सीधा खड़ा रहने में सहायता देती है, यह वजन में भी हल्की है क्योंकि बच्चे को प्रोस्थेटिक को कुषलता से उठाना पड़ता है।

दोनों के लिए पालीप्रोपलीन सीट बनाई गई और इसे पालीयुरेथन फोम ब्लाक द्वारा बढ़ाया गया और अन्त में एपाक्सी रेजिन द्वारा लेमिनेटिक किया गया। प्रोस्थेसिस के साथ समान घेरे में और समान घेरे के बाहर चलने का सही प्रषिक्षण दिया गया था।

परिणाम

(i) स्टेंड के साथ स्वतंत्र रूप से चलने–फिरने और सीधा चलने का सफल प्रषिक्षण।

(ii) महत्वपूर्ण विकास को सहकर्मी समूह और स्कूल संबंधित प्रदर्षन के साथ सफल एकीकरण करते हुए सामान्य बनाना।

(iii) परामर्ष और नियमित अनुवर्ती की महत्ता पर जोड़ने पर जोर देने के माध्यम से अभिभावक को सशक्त हुए।

Gait training with modified Extension Prosthesis

3. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

श्री निरंजन पाणि, आकाशवाणी, कटक, फोन नम्बर– 9853303743, बाई कोहनी के नीचे से दिव्यांग हैं, वे अपनी काया और आत्मविष्वास द्वारा एकदम तन्दुरूस्त और मजबूत हैं, परन्तु अपने अविकसित बांयें हाथ की कमी के कारण वे सदैव असुरक्षा की भावना से घिरे रहते हैं। वे पिछले दषक से संस्थान आ रहे हैं और प्रत्येक तीन वर्ष में बांयी कोहनी के नीचे निर्दिष्ट किए गए प्रोस्थेसिस उपकरण प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में सामान्यतया वे अपने सभी दैनिक क्रिया–कलापों को एक साधारण सक्षम आदमी की तरह बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा करते हैं। वर्तमान में वे आकाषवाणी, कटक में एमटीएस के रूप में कार्य कर रहे हैं और सामान्य व्यक्ति की तरह प्रोस्थेसिस के माध्यम से सभी कार्यालयी कामों को ध्यानपूर्वक पूरा कर रहें हैं।

अतः, संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवा श्री निरंजन और उसके परिवार के चेहरे पर सबसे अधिक उल्लसित मुस्कान पैदा करती है।

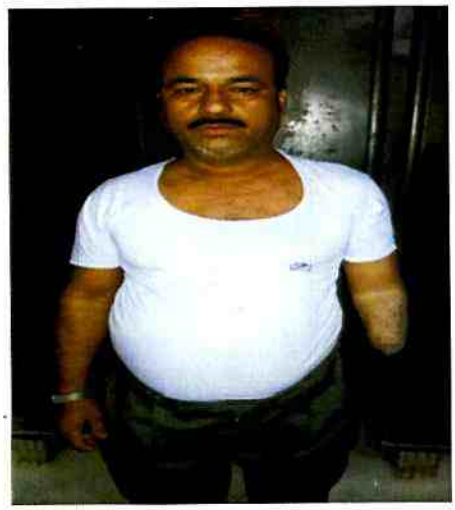

फिटिंग से पहले

फिटिंग के बाद

4. राष्ट्रीय गतिविशील दिव्यांगजन संस्थान

ग्रामीण बंगाल के एक युवा और ऊर्जावान व्यक्ति गोपालदास, शांतिप्रिय व्यावसायिक और सामाजिक जीवन जी रहे थे। वे औपचारिक षिक्षा की बजाय प्रायोगिक कार्यों में रूचि रखते थे, अतः उन्होंने स्कूल में 5 वीं कक्षा तक की की पढ़ाई पूरी की और नल साजी (प्लम्बिंग) को व्यावसाय के रूप में चुना पर एक अकस्मात् असावधानी ने उनके जीवन को डगमगा दिया। जब वे लगभग 20 वर्ष के थे, 25 अक्टूबर, 2011 को दुर्घटनाग्रस्त, अर्थात् पेड़ से नीचे गिर गए, हो गए थे, जिससे उनकी रीढ़ में गम्भीर चोटें आई। उन्हें आर.जी. कर मैडिकल कॉलेज और अस्पताल में दाखिल कराया गया, उनमें पक्षाघात के लक्षण देखे गए, वे पूर्ण रूप से बिस्तर पर थे और शरीर के नीचे के हिस्से में कोई हलचल नहीं थी।

दो वर्ष तक आर.जी. कार अस्पताल में उपचार चलाने के बाद और बहुत ही कम सुधार देखने पर, उनका परिवार सहायता के लिए रामकृष्ण मिषन, बारासात गया, उन्होंने उसे एनआईएलडी, में भर्ती रहे। इस अवधि के दौरान

एनआईएलडी की पुनर्वास टीम उसे परामर्ष और निर्देषन सहित सामाजिक एकता और आजीविका के लिए आवष्यक चिकित्सीय उपचार, उपचारात्मक उपाय प्रदान किए गए। इन अमूर्त लाभों के अलावा एडिप योजना के तहत एनआईएलडी द्वारा उसे आर्थोसिस और एलबो क्रेचिस भी प्रदान किए गए थे।

डॉक्टरों और एनआईएलडी की पुनर्वास टीम के व्यवस्थित परामर्श और निर्देषन के बाद, वह एनआईएलडी द्वारा उपलब्ध कराए गए आर्थोसिस और क्रेचिस की सहायता से चलने में सक्षम हो गए।

उसे एनआईएलडी की पुनर्वास टीम की सहायता से राजीव गांधी प्रतिष्ठान, नई दिल्ली से दिनांक 20 अगस्त, 2017 को मोटरयुक्त ट्राई–साइकिल प्राप्त हुई। इस नई गतिषीलता सहायता की सुविधाओं से उसके व्यावसायिक और सामाजिक सरोकारों की अभिवृद्धि ने उसे अपने पहले (दुर्घटना से पहले) के जीवन की स्थिति में लौट आने में सहायता दी।

निस्संदेह यह मामला दिव्यांगजनों के लिए एक प्रेरणा है क्योंकि गोपाल और उसका परिवार आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पहलुओं के सन्दर्भ में पूर्ण अनिष्चितता की स्थिति से गुजर रहा था। इसलिए उसकी आत्म–चिकित्सा, अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए किए गए लगातार प्रयास और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सुदृढ़ विष्वास और एनआईएलडी टीम को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहायता से वे एक खुषहाल और सफल परिवार और व्यावसायिक जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं।

5. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

(i) कक्षा XII के मेहराज ने नेत्रहीन फुटबाल टूर्नामेंट में भाग लेकर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरूआत की। वे 19–21 सितम्बर 2018 तक कोच्चि, केरल में आयोजित आस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ खेले।

(ii) कक्षा XI के गम्भीर चौहान ने 27 अप्रैल से 01 मई 18 तक कोच्चि, केरल में आयोजित राष्ट्रीय नेत्रहीन फुटबाल चैम्पियनषिप में भाग लिया और गोलकीपर के रूप में दूसरी टीम को हराया एवं उन्हें श्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला।

(iii) संस्थान ने नेत्रहीन दिव्यांग मॉडल स्कूल के दो छात्रों ने 26–28 जून 2018 तक कुरूक्षेत्र में आयोजित वैष्विक आईटी चुनौती में अपनी उपलब्धियों से संस्थान का नाम रोषन किया। ई–डिजायन चुनौती समूह प्रतियोगिता में मास्टर प्रतीक जिंदल नामक एक छात्र प्रथम सीन पर रहे। वे 11–11–2018 को नई दिल्ली में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय वैष्विक आईटी चुनौती प्रतियोगिता के लिए भी चयनित किए गए। यह मास्टर जिंदल के लिए एक अद्भुत क्षण था कि वे इस बड़ी प्रतियोगिता का हिस्सा बने।

6. अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान

(i) सेवरी, मुम्बई के वर्षीय श्रवण बाधित श्री रूपेश मेल हमारी केस फाईल संख्याल 95/ 1970 के तहत हमारे ग्राहक में से एक हैं जिनकी योग्यता एचएससी है। श्री रूपेश अपने मित्र के साथ रोजगार के लिए व्यावसायिक परामर्श और कैरियर निर्देशन की जानकारी के लिए एवाईजेएनआईएसएचडी में आए। एवाईजेएनआईएसएचडी द्वारा नौकरी से जुड़े प्रशिक्षण और तदनन्तर मुम्बेई में प्लेसमेंट के लिए सार्थक शिक्षा ट्रस्ट में भेजा गया और उनके 2 माह के प्रशिक्षण के पूरा होने पर वे 01 मई 2018 को मैक्स एपैरल प्राइवेट लिमिटेड में ग्राहक सेवा कार्यकारी के रूप में रखे गए।

नियोक्ता की प्रतिपुष्टि (फीडबैक) से यह पाया गया कि वे एक परिश्रमी नौजवान हैं और उनकी कार्य–निष्पादन अत्यधिक संतोषजनक है। उनके नियोक्तार द्वारा यह भी बताया गया कि श्री रूपेश अपने कार्य–स्थल पर बहुत खुश हैं और वे निष्पादन में सुधार लाने के लिए सीखने के दौरान रूचि लेते हैं।

(ii) सुश्री सुमालता एक श्रवण बाधित महिला हैं। वे इंटर पास हैं, वे बहुत ही सीधी–सादी पृष्ठभूमि वाले परिवार से संबंध रखती हैं। उनके पिताजी एक किसान हैं और माँ एक गृहिणी हैं। वह प्रति माह वजीफे के रूप में 1500/ – रूपये वजीफे के रूप में कमाती हैं जिसमें से वे अपने परिवार की खुशहाली के लिए मदद करना चाहती हैं। सुश्री

सुमालता हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों में से एक हैं, जो हमारे एक प्रशिक्षित प्रशिक्षण साझेदार जीएएनए, हैदराबाद के माध्यम से प्रशिक्षित है, उन्होंने मनगालागिरि केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त लिया है।

उन्होंने मनगालागिरी केन्द्र से उनको प्रतिमाह 9000/– रूपए वेतन और आवास की सुविधा सहित केएफसी में बिक्री (सेल्स) एसोसिएट के रूप में रखा गया है। यह पता चला है कि उनमें काफी आत्मविश्वास आया है कि वे अपने परिवार की सहायता कर रही है।

7. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

श्रेयांस गर्दन का अधिक हिलना, कदमों पर कम नियंत्रण, बैठने में अक्षम, बिना सहारे के खड़ा होने में असमर्थ और दुर्बल मांसपेषीय टोन वाले मुख्य लक्षणों के साथ आया। वह अपनी गर्दन सिर को बांह के एक तरफ बहुत अधिक हास्यास्पद लगने वाली झुकने की स्थिति में रखता था। उसके हाथों की पकड़ बहुत खराब थी। उसकी माँ ने यह भी जानकारी दी कि उसे खाना–खाने में भी सहायता की जरूरत पड़ती है। प्रारम्भिक जाँच और मूल्यांकन के दौरान यह भी देखा गया कि उसके दोनों घुटनों के पीछे की नस और अडक्टर बहुत तंग थे तथा दानों घुटने मुड़े हुए थे जिससे पैर की उंगलियों पर खड़ा होता था। वह अपना नाम तक भी नहीं जानता बता सकता था और न ही बोल सकता था।

थैरेपी के 6 माह के बाद सुधार : विस्तृत एवं व्यापक मूल्यांकन के बाद, प्रारम्भिक तैयारी कार्यक्रम की योजना बनाई गई जिसमें उपयुक्त स्थिति और नियन्त्रण करने की तकनीकें और ध्यान में सुधार करने की सुविधा के लिए आंख–हाथ समन्वय के फैलाव वाली गतिविधियां, अनर्गल बातों को कम करने के लिए मौखिक–मोटर काम–काज के विस्तार वाली थैरेपी, चेहरे का अभ्यास, संतुलन वाला अभ्यास (जिम बाल थैरेपी), निष्क्रिय और सक्रिय अभ्यास, चलने में सहायता देने वाला घुटना टखना पांव आरथोसिस खपच्ची (केएएफओ) का रातभर बांधे रखना शामिल की गई है।

थैरेपी उपाय के शुरू करने के बाद आष्चर्यजनक सुधार देखा गया। उसकी गर्दन का हिलना बन्द हो गया, वह बिना किसी सहारे के बैठने में सक्षम हो गया, 5 मिनट के लिए जब उसे बिना किसी सहायता के छोड़ दिया जाता था, तो वह खड़ा होने में भी सक्षम हो गया, धीरे–धीरे उसने केलियर्स और कम से कम सहायता से चलना शुरू कर दिया। उसकी मांसपेषियों का काफी हद तक विकास हो गया, वह अपनी गर्दन को सीधा रखने की स्थिति में सक्षम है। वह आंषिक सहायता से झूला झुलाने में भी सक्षम है। उसके ध्यान सामने वाले की आंखों से सीधे आंख मिलाकर खराब स्थिति से बेहतर हो गया और वह अब अपना नाम बताने लगा और मुस्कुराहट के साथ ही और बॉय भी बोलना शुरू कर दिया। उसके हाथों की क्रिया प्रणाली में सुधार हो रहा है क्योंकि वह खाने वाली सूखी सामग्री को उठाने में सक्षम है और वह किसी प्रौढ़ व्यक्ति की देख–रेख में कम से कम सहायता के कभी–कभी स्वयं खा सकता है। वह

अब 10 मिनट के लिए कोने की स्थिति में अथवा मेज की सहायता की स्थिति में बिना किसी सहायता के और अपने घुटनों को मोड़े बिना खड़ा होने में सक्षम है। उसकी हिलने की स्थिति बन्द हो गयी है और वह अब अपने भाइयों के साथ सक्रिय रूप से खेल रहा है।

8. राष्ट्रीय बहु दिव्यांगता ग्रस्तजन सशक्तिकरण संस्थान

मास्टर ए. कृतिक उम्रः 10 साल 5 महीने ससडाइअग्नो उसमें स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार के लक्षण थे। उसमें वाक दोष, समाजीकरण की कमी और व्यवहारपरक समस्याएं जैसे कि अतिक्रियाशीलता, आत्म हानिकारक व्यवहार प्रदर्शित करना और मॉ के प्रति आक्रामक और मारक व्यवहार के लक्षण बताएं गए थे।

समय से पहले सीजेरियन शिशु, नवजात पीलिया होना, दौरा विकार (सीशर डिसआर्डर) तैयारी (उपाय): निम्नलिखित मूल्यांकन उपकरण पर आधारित स्वलीनता के मूल्यांलकन के लिए भारतीय पैमाना (आईएसएए) सामाजिक परिपक्वता वाईनलेंड पैमाना (वीएसएमएस) मानसिक मंदता ग्रस्त भारतीय बच्चों के लिए व्यवहारपरक मूल्यांकन पैमाना (बीएसआईसी–एमआर)

उसके सम्पूर्ण मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए उसकी मां उसे क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक विभाग में लाई। रोगी में स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार के लक्षण पाए गए। 7 वर्ष की आयु से उसकी अतिक्रियाशीलता का फार्माक्लेजिकल उपचार शुरू किया गया और 9 वर्ष की आयु पर मनोरोग परामर्श के बाद उपचार बन्द कर दिया गया। प्रारंभ में, वह मूल्यांकन समय के दौरान बहुत असहयोगी था। उसकी मां ने यह जानकारी दी कि उसे घर और थैरेपी सत्रों में सम्भालना बहुत मुश्किल था।

आईपीएमडी के मनोरोग चिकित्सरक के साथ परामर्श करने पर उसे सुझाव दिया गया कि सभी दवाइयां बन्द कर दी जाएं और उसकी अतिक्रियाशीलता में कमी लाने के लिए शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी गई। वह एनआईईपीएसडी से पिछले 6 माह से सहायक सेवाएं जैसे कि व्यवहारपरक बदलाव, व्यापवसायिक थैरेपी और वाक थैरेपी प्राप्त कर रहा था।

प्रारंभ में वह मूल्यांकन/थैरेपी के दौरान वह एकदम से सहयोगी नही था। वह अशांत देखने को मिलता था और स्वेयं को चोट पहुंचाने वाले व्यवहार से संलग्न देखा जाता था। उसकी व्यवहारपरक समस्यों को पहचाने के लिए बीएएससीआईसी– एमआर (भाग–बी) के प्रयोग से व्यवहारपरक मूल्यांकन किया गया और उपयुक्त व्यवहारपरक प्रबंधन योजना विकसित की गई। उसे 6 माह के लिए सप्ताह में दो बार व्यवहारपरक प्रबंधन उपचार दिया गया। इस उपचार का उद्देश्य था उसके ध्यान–केन्द्रित कौशल में सुधार लाना और व्यवस्थित क्रिया–कलापों के माध्यम से अनुपयुक्त व्यवहार में कमी लाना। उसकी सीखने की शैली के लिए उपयुक्त गतिविधि सारिणी, पर्यावरण अनुकूलन, उपयुक्त कौशल व्यवहार की शिक्षा देना और विभेदक सुदृढ़ीकरण जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया। इन तकनीकों को उनकी मॉ को भी दिखाया गया और इन तकनीकों को घर में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इन तकनीकों को लगातार कार्यान्वित करने के बाद थैरेपी के निम्नलिखित परिणाम थे:

(i) अतिक्रियाशीलता स्तर में कमी

(ii) ध्यान और एकाग्रता में सुधार

(iii) जमकर बैठने की आदत में सुधार

(iv) स्वयं को घायल करने वाले व्यवहार (आत्मन–मारक) में कमी

(v) उसके व्यवहारगत मामलों का संभालने में मां में आत्मनविश्वास आना।

9. सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजना

(i) सुश्री स्वर्णाजली धयगुडे श्रवण बाधित हो गई थी जिसके कारण वह सुन अथवा बोल नहीं पाई। 2.5 वर्ष की उम्र में एडिप योजना के अंतर्गत उसकी कोकलियर इंप्लांट सर्जरी की गई थी। एडिप कोकलियर इंप्लांट योजना के अंतर्गत उसने भारती विद्यापीठ, एवाईजेएनआईएसएचडी के पैनलबद्ध चिकित्सा केन्द्र में नियमित चिकित्सा सत्रों में भाग लिया था। आज 4 वर्ष एवं 6 माह की उम्र के बाद 1.5 वर्षों के प्रत्यारोपण के बाद, वह स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम है। कहानी सुनाती है, गीत गाती है और किसी अन्य सामान्य बच्चे की तरह फोन पर बातचीत भी करती है। वह माता–पिता, रिष्तेदार और दोस्तों के साथ स्वयं संवाद करती है, सवाल पूछती है और सबके साथ बातचीत करती है। अब वह पुणे में नियमित रूप से आंगनबाडी प्ले स्कूल में भाग ले रही है।

(ii) मास्टर सुषांत परश्पुरामइटकर श्रवण बाधित हो गए थे जिसके कारण वह सुन अथवा बोल नहीं पा रहे थे। 4.5 वर्ष की उम्र में एडिप योजना के अंतर्गत उसकी कोकलियर इंप्लांट सर्जरी की गई थी। एडिप कोकलियर इंप्लांट योजना के अंतर्गत उसने कोकलियर इंप्लांट इंफेंट सेंटर के.डी.एन. श्रुति स्कूल (जेयूएचयू), एवाईजेएनआईएसएचडी के पैनलबद्ध चिकित्सा केन्द्र में नियमित चिकित्सा सत्रों में भाग लिया था। आज 7 वर्ष की उम्र के बाद 2.5 वर्षों के प्रत्यारोपण के बाद, वह स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम है, किसी अन्य सामान्य बच्चे की तरह

गीत गाता है। वह परिवार, दोस्तों और रिष्तेदार के साथ स्वयं संवाद करता है, सवाल पूछता है और सबके साथ बातचीत करता है। उसने शैक्षिक कौषल वार्तालाप, पठन एवं लेखन हासिल किया है। वह अब केजी–2 में अध्ययन कर रहा है। वह कोकलियर इंप्लांटेषन वाक् और भाषा चिकित्सा की मद्द से सांस्कृतिक गतिविधियां और खेलों में भाग लेता है, उसकी सीखने के कौषल में सुधार हुआ है और अभिभावक उसके सुधार को देखकर खुष हैं।

***

राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा संचालित दीर्घकालिक पाठयक्रमों (एक या एक वर्ष से अधिक की अवधि) का विवरण

पीडीयूएनआईपीपीडी द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के ब्यौरे

क्र.सं.	कोर्स	प्रवेश क्षमता
1.	शारीरिक थेरेपी स्नातक	54
2.	व्यावसायिक चिकित्सा स्नातक	54
3.	प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स स्ना तक	31
4.	प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स परास्नातक	09
	कुल	**148**

स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिशा द्वारा संचालित दीर्घ अवधि प्रशिक्षण पाठयक्रमों का विवरण

दीर्घ अवधि प्रशिक्षण पाठयक्रमों का विवरण :

क्र.सं.	पाठयक्रम का नाम	कोर्स अवधि	सीटों की संख्या
1.	फिजियोथेरेपी में स्नातक (बीपीटी)	4 ½ वर्ष	62
2.	व्यायवसायिक थेरेपी में स्नातक (बीओटी)	4 ½ वर्ष	62
3.	प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स स्नातक (बीपीओ)	4 ½ वर्ष	46
4.	फिजियोथेरेपी में परास्नातक (एमपीटी)	2 वर्ष	15
5.	व्यायवसायिक थेरेपी में परास्नातक (एमओटी)	2 वर्ष	15
6.	प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स परास्नातक (एमपीओ)	2 वर्ष	10
7.	नेशनल बोर्ड में डिप्लोमेट (डीएनबी) (पीएमआर)	2 वर्ष	04

क्र.सं.	राष्ट्रीय संस्थान का नाम	पाठयक्रम का नाम	पाठयक्रम की अवधि	सीट की संख्या
1.	राष्ट्रीय लोकोमोटर डिसेबिलिटीज संस्थान (दिव्यांगजन), कोलकाता	राष्ट्रीय बोर्ड डिपलोमा (पीएम एंड आर)	03 वर्ष	04+04
		फिजियोथेरेपी परास्नातक (अस्थि रोग)	02 वर्ष	06
		व्यावसायिक चिकित्सा (अस्थि रोग) डॉक्टरेट	02 वर्ष	06
		प्रोस्थेटिक्स और ओर्थोटिक्स डॉक्टरेट	02 वर्ष	06
		फिजियोथेरेपी स्नातक	4 ½ वर्ष	52
		व्यावसायिक चिकित्सा स्नातक	4 ½ वर्ष	51
		प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स स्नातक	4 ½ वर्ष	34
		एम.एससी नर्सिंग	02 वर्ष	10
		पीजीडीडीआरएम	01 वर्ष	15

एनआईईपीवीडी, देहरादून द्वारा चलाए जा रहे दीर्घ अवधि (एक या एक से अधिक वर्ष अवधि के लिए) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विवरण

(क) एनआईईपीवीडी मुख्यालय में

क्र.सं.	पाठयक्रम का नाम	कोर्स अवधि	सीटों की संख्या
एचआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम			
1.	एमएड विशेष शिक्षा (वीआई)	2 वर्ष	20
2.	बीएड विशेष शिक्षा (वीआई)	2 वर्ष	150
3.	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (वीआई)	2 वर्ष	550
4.	पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोतर डिप्लोमा	1 वर्ष	15
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम			
1.	कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	1 वर्ष	21
2.	जैपनीज मेडिकल मैनवल थेरेपी में प्रैक्टिशनर्स कोर्स	2 वर्ष	30
3.	ब्रेल आशुलिपि (हिन्दी)	1 वर्ष	16

(ख) क्षेत्रीय केंद्र – चेन्नई में

क्र.सं.	पाठयक्रम का नाम	कोर्स अवधि	सीटों की संख्या
एचआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम			
1.	बीएड विशेष शिक्षा (वीआई)	2 वर्ष	50
2.	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (वीआई)	2 वर्ष	50
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम			
1.	ब्रेल स्टेनोग्राफी और सचिवीय सहायता में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	1 वर्ष	15

(ग) सीआरसी, सुंदरनगर

क्र.सं.	पाठयक्रम का नाम	कोर्स अवधि	सीटों की संख्या
1.	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (वीआई)	2 वर्ष	60
2.	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (एमआर)	2 वर्ष	60
3.	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (एचआई)	2 वर्ष	60
4.	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (सीपी)	2 वर्ष	60

वर्ष 2018–19 के दौरान एवाईजेएनआईएसएचडी द्वारा संचालित दीर्घकालिक पाठयक्रमों के ब्यौरे

क्र.सं.	पाठयक्रम का नाम	कोर्स अवधि	सीटों की संख्या
	एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई में पाठ्यक्रम		
1.	पीएच.डी. (विशेष एवं एचजी)	3 + वर्ष	20
2.	पीएच.डी. (विशेष शिक्षा)	3 + वर्ष	20
3.	ऑडियोलॉजी, वाक– भाषा पैथोलॉजी निष्णाात	2 वर्ष	19
4.	शिक्षा परास्नातक (श्रवण बाधित)	1 वर्ष	23
5.	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच–लैंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	43
6.	शिक्षा स्नातक (श्रवण बाधित)	1 वर्ष	39
7.	डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर कोर्स	1 वर्ष	15
8.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सर्टिफिकेट कोर्स (हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले व्यक्तियों के लिए)	1 वर्ष	25
	आरसी, कोलकाता में पाठयक्रम		
9.	ऑडियोलॉजी, वाक– भाषा पैथोलॉजी निष्णात	2 वर्ष	15
10.	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी, वाक– भाषा पैथोलॉजी	4 वर्ष	31
11.	बैचलर ऑफ एजुकेशन (श्रवण बाधित)	2 वर्ष	23
12.	बैचलर ऑफ एजुकेशन (श्रवण बाधित) डिस्टेंस मोड	2 वर्ष	40
13.	शिक्षा में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा – डीएचएच)	2 वर्ष	31

14.	डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर कोर्स	1 वर्ष	15
15.	कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा	1 वर्ष	20
	आरसी, सिकंदराबाद में पाठयक्रम		
16.	विज्ञान परास्नातक (ऑडियोलॉजी, वाक– भाषा पैथोलॉजी)	2 वर्ष	15
17.	शिक्षा परास्नातक (श्रवण बाधित)	2 वर्ष	10
18.	बैचलर ऑफ साइंस (ऑडियोलॉजी, वाक– भाषा पैथोलॉजी)	4 वर्ष	33
19.	शिक्षा स्नातक (श्रवण बाधित)	2 वर्ष	31
20.	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (डीएचएच)	2 वर्ष	31
	आरसी, नोएडा में पाठयक्रम		
21.	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी, वाक– भाषा पैथोलॉजी	4 वर्ष	21
22.	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (डीएचएच)	2 वर्ष	30
23.	श्रवण, वाक और भाषा में डिप्लोमा	1 वर्ष	20
24.	डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर कोर्स	1 वर्ष	15
25.	श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर एप्ली केशन में सर्टिफिकेट कोर्स	1 वर्ष	20
	आरसी, जनला, ओडिशा में पाठयक्रम		
26.	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (डीएचएच)	2 वर्ष	31
27.	श्रवण, वाक और भाषा में डिप्लोमा	1 वर्ष	30
28.	शिक्षा स्नातक – विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित)	2 वर्ष	30

नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ द इंपावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद द्वारा चलाए जा रहे दीर्घकालिक पाठयक्रमों के ब्यौरे

क्र.सं.	पाठयक्रम का नाम	कोर्स अवधि	सीटों की संख्या
	एनआईईपीआईडी मुख्यालय, सिकंदराबाद		
1.	पुनर्वास मनोविज्ञान में एम.फिल (एमआर)	2	14
2.	विशेष शिक्षा (एमआर) में एमएड	2	25
3.	प्रारंभिक उपाय (इंटरवेंशन) में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा	1	20
4.	विशेष शिक्षा (एमआर) में बी.एड.	2	30
5.	बचपन विशेष शिक्षा (एमआर) में डिप्लोमा	1	25
6.	विशेष शिक्षा (एमआर) में डी. एड.	2	25
	क्षेत्रीय केंद्र, नोएडा		
1.	विशेष शिक्षा (एमआर) में बी.एड.	2	30
2.	विशेष शिक्षा (एमआर) में डी. एड.	2	30
	रीजनल सेंटर, नवी मुंबई		
1.	विशेष शिक्षा (एमआर) में बी.एड.	2	25
2.	अरली चाइल्डाहुड स्पेशल एजूकेशन (एमआर) में डिप्लोमा	2	25
	क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता		
1.	विशेष शिक्षा (एमआर) में बी.एड.	2	30
2.	विशेष शिक्षा (एमआर) में डी.एड.	2	27

नेशनल इंस्टीटयूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज एनआईईपीएमडी, चेन्नई द्वारा चलाए जा रहे दीर्घकालिक पाठयक्रम (एक या एक वर्ष से अधिक की अवधि) का विवरण

क्र.सं.	पाठयक्रम का नाम	कोर्स अवधि	सीटों की संख्या
1.	विशेष शिक्षा में डी.एड.(एएसडी)	2 वर्ष	25
2.	विशेष शिक्षा में डी.एड.(सीपी)	2 वर्ष	25
3.	विशेष शिक्षा में डी.एड.(डीबी)	2 वर्ष	30
4.	विशेष शिक्षा में डी.एड.(एमडी)	2 वर्ष	25
5.	बीपीटी	4 ½ वर्ष	25
6.	बीओटी	4 ½ वर्ष	25
7.	बी–एएसएलपी	4 वर्ष	20
8.	विशेष शिक्षा में बी.एड.(एएसडी)	2 वर्ष	30
9.	विशेष शिक्षा में बी.एड.– (डीबी)	2 वर्ष	30
10.	विशेष शिक्षा में बी.एड.(एमडी)	2 वर्ष	20
1 1.	विशेष शिक्षा में एम.एड.(एएसडी)	2 वर्ष	20
12.	विशेष शिक्षा में एम.एड.(एमडी)	2 वर्ष	20
13.	एम.फिल (क्लिनिकल साइकोलॉजी)	2 वर्ष	06
14.	पीजीडीडीटी (एमडीः पी एंड एन)	1 ¼ वर्ष	25
15.	पीजीडीईआई	1 वर्ष	15
16.	सीसीसीजी	दस माह	25
17.	केयर गिविंग कोर्स – एडवांस्ड	06 माह	30
18.	केयर गिविंग कोर्स – प्राइमरी	03 माह	30

***

एडिप योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा आयोजित शिविर, उपयोग की गई निधि एवं लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या का राज्य वार ब्यौरा

रूपए लाख में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2015-16			2016-17			2017-18			2018-19 (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)		
		शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधि	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधि	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधि	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गई निधि	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	37	795.56	9,623	20	642.12	3,180	20	420.16	5,812	14	494.96	4,045
2.	बिहार	5	105.80	1,115	15	205.62	2,178	58	444.58	9,049	22	681.96	8,051
3.	छत्तीसगढ़	62	425.03	4,092	50	297.76	4,034	16	45.87	1,588	2	9.62	116
4.	गोवा	3	8.96	137	3	3.76	166	4	54.68	989	3	44.96	430
5.	गुजरात	31	113.49	1,616	19	1,731.26	28,082	151	2,167.83	50,687	15	606.37	5,934
6.	हरियाणा	16	473.02	8,991	24	848.49	12,453	40	452.96	7,944	32	555.96	7,048
7.	हिमाचल प्रदेश	14	59.61	3,655	138	81.01	2,306	39	52.71	1,372	24	60.03	1,088
8.	जम्मू और कश्मीर	11	126.54	1,770	20	222.59	3,154	29	167.81	3,296	25	208.20	3,457
9.	झारखंड	4	22.79	242	3	77.04	806	6	106.97	1,604	9	43.95	471
10.	कर्नाटक	20	676.98	5,377	28	453.60	6,520	35	353.56	5,713	26	463.74	6,495
11.	केरल	8	239.35	2,636	9	228.68	3,106	121	349.40	7,788	11	268.72	4,258
12.	मध्य प्रदेश	189	2,251.79	29,999	145	1,663.46	16,699	128	979.23	14,652	50	604.97	6,998
13.	महाराष्ट्र	343	1,846.86	27,325	119	1,244.36	18,996	105	1,319.71	21,337	115	1,433.57	17,684
14.	ओडिशा	179	557.79	15,421	167	897.64	13,757	135	702.2	11,864	54	225.35	4,394
15.	पंजाब	116	842.46	21,936	33	565.25	9,882	96	276.62	7,788	16	270.10	3,561
16.	राजस्थान	44	624.94	12,568	38	539.81	9,754	15	856.93	9,904	35	1,000.47	10,588
17.	तमिलनाडु	48	394.68	10,047	65	353.32	9,538	92	589.83	11,377	25	530.06	9,344
18.	उत्तर प्रदेश	326	2,869.4	45,364	185	4,072.05	71,375	175	1,906.03	38,749	153	25,56.41	29,100
19.	उत्तराखंड	34	301.52	7300	33	311.2	8,888	37	290.25	6101	26	143.33	2,751
20.	पश्चिम बंगाल	206	1,163.02	13,988	129	1,149.95	25,199	144	732.64	17,602	40	547.98	6,873
21.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	8	10.64	368	5	20.41	570	0	0	0
22.	चंडीगढ़	0	0	0	2	22.61	223	2	0.75	14	1	2.43	93

23.	दादर एवं नगर हवेली	1	0.95	58	2	2.13	70	2	1.63	85	0	0	0
24.	दमन एवं द्वीप	1	2.46	35	2	3.08	82	2	6.94	64	0	0	0
25.	दिल्ली	19	361.09	7,451	56	571.89	8,828	23	355.86	3,366	19	287.27	2,009
26.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	9	11.22	266	1	4.89	86
27.	पुडुचेरी	0	0	0	3	20.11	259	2	7.12	298	2	36.46	574
28.	अरूणाल प्रदेश	1	12.92	354	3	8.45	335	2	28.48	439	2	31.79	423
29.	असम	147	599.27	10,136	62	542.96	12,876	44	884.02	21,092	136	200.42	3,866
30.	मणिपुर	3	92.31	358	5	563.14	6827	11	162.47	2464	11	140.34	1,526
31.	मेघालय	3	26.26	122	9	98.28	1,422	2	8.19	164	2	135.38	1,935
32.	मिजोरम	0	2.84	31	10	38.55	636	2	23.82	282	4	11.92	69
33.	नागालैंड	0	17.44	22	3	16.49	432	2	15	387	1	5.45	16
34.	सिक्किम	10	23.11	420	0	0	0	2	22.99	523	2	18.24	313
35.	त्रिपुरा	49	61.37	1,367	23	235.34	3,031	4	138.61	2,326	3	161.02	2,053
36.	तेलंगाना	4	377.85	2,028	16	335.56	4833	26	444.17	5,175	8	426.63	3,084
कुल		**1934**	**15477.46**	**245584**	**1447**	**18058.20**	**290295**	**1586**	**14401.91**	**272731**	**889**	**12212.95**	**148733**

***

एडिप योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार) विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/एलिम्को/राज्य निगम/डीडीआरसी/एनजीओ/डीडीआरसी आदि) को जारी की गई निधियां

जारी की गई निधियां (रू. लाख में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	शिविर गतिविधिं	मुख्यालय गतिविधिं	एडिप–ए सएसए	कोकलियर इंप्लांट	जिन राज्यों में शिविर गतिविधियों के लिए निधि जारी की गयी
1.	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, **(एलिम्को)**, कानपुर, उत्तर प्रदेश	7,550.00	1,150.00	3,000.00	2,000.00	संपूर्ण भारत
2.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन संस्थान, देहरादून, 116, रायपुर रोड़, देहरादून–248001	100.00	200.00	-	-	संपूर्ण भारत
3.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	150.00	100.00	-	-	संपूर्ण भारत
4.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित संस्थान, मुंबई, के.सी. मार्ग, बांद्रा रिक्लेमेशन, बांद्रा, मुंबई–400050	150.00	150.00		300.00	संपूर्ण भारत
		-	-	-	60.00	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र
5.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) कटक, ओडिशा	80.00	160.00	-	-	संपूर्ण भारत
6.	राष्ट्रीय गतिविषयक दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता, बी.टी. रोड़, बान–हुगली, कोलकाता–700090 (एनआईएलडी)	325.00	50.00	-	-	संपूर्ण भारत
		50.00	-	-	-	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र

7.	समेकित क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी), देवनगिरी, देवराज यूआरएस लेआउट, बी–ब्लॉक, देवनगिरी–577006, कर्नाटक	40.00	10.00	-	-	कर्नाटक
8.	समेकित क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी), भोपाल, मध्य प्रदेश	20.00	30.00	-	-	मध्य प्रदेश
9.	नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर, 483, सैक्टर 4, हिरन मगरी, उदयपुर, राजस्थान	-	400.00	-	-	राजस्थान
10.	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), उत्तरी त्रिपुरा	15.00	15.00			त्रिपुरा
	कुल	**8,480.00**	**2,265.00**	**3,000.00**	**2,360.00**	

***

माननीय सांसद और अन्य विशिष्ट नागरिकों से एडिप योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 2018–19 (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार) के दौरान आयोजित विशेष शिविरों का विवरण।

क्र.सं.	शिविर का स्थान	लाभार्थियों की संख्या	सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की लागत (रू. लाख में)	शिविर की तारीख
1.	नवादा, बिहार	353	27.65	14.04.2018
2.	पुणे, महाराष्ट्र	1,465	113.00	19.05.2018
3.	फतेहपुर, उत्तर प्रदेश	1,467	119.76	23.05.2018
4.	नामची, सिक्किम	184	12.97	30.05.2018
5.	जूनागढ, गुजरात	2,532	178.78	31.05.2018
6.	गाजिपुर एवं झोरबाड, मोहमदाबाद, उत्तर प्रदेश	1,984	148.58	02.06.2018
7.	किनवत जिला, नंदीड हिंगोली, महाराष्ट्र	626	54.08	04.06.2018
8.	महबूबनगर, तेलंगाना	1,049	76.77	05.06.2018
9.	ईटानगर, अरूणाल प्रदेश	423	27.46	07.06.2018
10.	अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा	2,012	132.29	08.06.2018
11.	मेनपुरी, जसवंतनगर, उत्तर प्रदेश	1,511	123.23	09.06.2018

12.	सदर ईटावा एवं भरतहना, उत्तर प्रदेश	544	49.39	09.06.2018
13.	तिरूपूर, तमिलनाडु	2,317	175.16	14.06.2018
14.	बक्सर, बिहार	432	38.43	15.06.2018
15.	राजनगर, मधुवन, बिहार	292	21.70	21.06.2018
16.	कोटा एवं बूंदी, राजस्थान	516	41.97	23.06.2018
17.	झांझारपुर, मधुवनी, बिहार	172	11.92	26.06.2018
18.	विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	93	34.41	26.06.2018
19.	खुशी नगर, उत्तर प्रदेश	512	32.91	27.06.2018
20.	देवनगिरी, कर्नाटक	977	71.82	28.06.2018
21.	राजमुद्री, आंध्र प्रदेश	248	17.98	02.07.2018
22.	सतना, मध्य प्रदेश	356	77.98	02.07.2018
23.	राहली, खुराई विधान सभा निवार्चन क्षेत्र (खुराई एवं मालथन) सागर, मध्य प्रदेश में	253	32.19	09.07.2018

24.	महाराजगंज, उत्तर प्रदेश	637	51.50	11.07.2018
25.	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	155	20.79	14.07.2018
26.	टिकमगढ, मध्य प्रदेश	957	118.02	15.072018
27.	होशंगाबाद, मध्य प्रदेश	157	11.76	20.07.2018
28.	चित्तोर, आंध्र प्रदेश	1,077	135.45	21.07.2018
29.	डुबराजपुर एवं ग्रांडन रीच (पश्चिम मेदनीपुर), पश्चिम बंगाल	1,907	107.85	22.07.2018
30.	गया, बिहार	118	8.85	06.08.2018
31.	भागलपुर, बिहार	86	6.48	10.08.2018
32.	टोहना फतेहबाद, हरियाणा	911	71.11	11.08.2018
33.	कोलर एवं चिकबालपुर, कर्नाटक	326	25.16	11.08.2018
34.	आरारिया, बिहार	338	25.05	13.08.2018
35.	महबुबाबाद, तेलंगाना	723	55.00	13.08.2018
36.	वारंगल, तेलंगाना	622	47.62	14.08.2018
37	अंबाला, हरियाणा	933	61.99	27.08.2018
38.	इंदोरी, हरियाणा	477	61.38	27.08.2018
39.	महेसना, गुजरात	2,791	220.38	28.08.2018

40.	नार्थ परगना, पश्चिम बंगाल	1,820	111.65	28.08.2018
41.	जहीराबाद, जिला, मेढ़क, तेलंगाना	1,230	82.00	04.09.2018
42.	गोदिया, महाराष्ट्र	2,317	172.10	06.09.2018
43.	अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	102	8.31	12.09.2018
44.	मुंगेर, बिहार	187	14.54	18.09.2018
45.	सुपोल, बिहार	199	16.67	19.09.2018
46.	नगिना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश	817	87.93	20.09.2018
47.	मुज्जफरनगर, उत्तर प्रदेश	1,364	143.61	20.09.2018
48.	दनीयावन, खरभैया (पटना) एवं बंकीपुर (पटना), बिहार	169	10.60	22.09.2018
49.	कठिहर, बिहार	91	7.15	24.09.2018
50.	मेदीपुरा, बिहार	229	20.15	27.09.2018
51.	रतलाम, मध्य प्रदेश	719	94.64	28.09.2018
52.	कल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र	630	56.51	30.09.2018
53.	मलथौन, सागर, मध्य प्रदेश	284	41.43	02.10.2018

54.	मिश्रिख, (हरदोई) एवं संडी, उत्तर प्रदेश	838	65.78	02.10.2018
55	मेरठ, उत्तर प्रदेश	112	41.52	12.10.2018
56.	हाजिपुर, बिहार	1,041	92.34	13.10.2018
57.	लातुर एवं अहमदपुर, महाराष्ट्र	645	51.38	16.10.2018
58.	बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	563	47.13	25.10.2018
59.	बस्ती, उत्तर प्रदेश	617	48.38	25.10.2018
60.	सहरसा, बिहार	829	63.78	27.10.2018
61.	पटना, बिहार	252	15.21	29.10.2018
62.	उत्तर कन्नड, कर्नाटक	1,267	77.14	29.10.2018
63.	त्रिसुर, केरल	1,638	120.19	29.10.2018
64.	बरनाल, पंजाब	885	65.00	30.10.2018
65.	मोतीहर, ईस्ट चंपारण, बिहार	475	39.35	31.10.2018
66.	कैसरगंज, उत्तर प्रदेश	11	2.00	02.11.2018
67.	बेतिया, वेस्ट चंपारण, बिहार	213	15.23	03.11.2018

68.	सिनुंटा, चंबा, हिमाचल प्रदेश	47	3.08	03.11.2018
69.	रेवर (जलगांव), महाराष्ट्र	771	57.64	15.11.2018
70.	बुलडाना नंदुरा एवं कामगांव, महाराष्ट्र	710	46.36	16.11.2018
71.	मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश	552	39.97	19.11.2018
72.	अमेठी, उत्तर प्रदेश	990	83.87	19.11.2018
73.	पुडुचेरी	582	35.66	27.11.2018
74.	झानाबाद, बिहार	338	28.04	01.12.2018
75.	मूयरभंज, ओडिशा	1,064	73.32	1.12.2018
76.	बल्लारपुर (वोरिया एवं कोरापना) चंद्रपुर, महाराष्ट्र	978	78.55	03.12.2018
77.	दसौंडा सिंह वाला (मलेरकोटला), समरला (लुधियाना) एवं सुमन (संगरूर), पंजाब	927	72.13	05 एवं 16 दिसंबर,2018
78.	लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश	1,883	164.89	06.12.2018
79.	पौडी गढ़वाल, उत्तराखंड	229	13.52	07.12.2018

80.	विजयनगर, आंध्र प्रदेश	971	77.56	07.12.2018
81.	नूह (मेवात), हरियाणा	739	61.00	07.12.2018
82.	गोवा (दक्षिण)	446	35.64	08.12.2018
83.	सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	758	63.58	12.12.2018
84.	नार्थ–वेस्ट दिल्ली	485	106.61	14.12.2018
85.	किशनगंज, बिहार	742	42.98	20.12.2018
86.	कोपाल, कर्नाटक	128	10.22	21.12.2018
87.	गुडगांव (गुरूग्राम)	190	26.23	22.12.2018
88.	पन्ना, मध्य प्रदेश	56	5.46	27 .12.2018
89.	मालापुरम, केरल	1,372	94.45	30.12.2018
	कुल	**67,035**	**5,481.30**	

***

एडिप योजना के अंतर्गत विगत चार वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार) के दौरान दिव्यांगजनों यंत्र एवं उपकरण वितरित करने के लिए एनजीओ / वीओ / डीडीआरसी एवं राज्य निगम को जारी निधियां

क्र.सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	आंध्र प्रदेश	रावकेला इंटीग्रेटिड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सोसाइटी, राउकेला, नूजविद–521201, कृष्णा जिला	12.00	-	-	-	-
		एस.के.आर. पिपुल्स वेलफेयर सोसाइटी, ए.पी.एस.आर.टी.सी. बस स्टेशन के पीछे, चिमाकुर्ती–523226, प्रकाशम	10.50	-	-	-	-
		उमा एजुकेशन एंड टेक्निकल सोसाइटी ककींडा (जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी)) ईस्ट गोदावरी जिला), डीडीआरसी–ककींडा–533001	-	15.00	-	7.50	-
2.	असम	डिकरौंग वैली इंवायरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, गांव नं. 1, बरपत्थर, डाकखाना गोसीवरी, लखीमपुर, असम	9.57	-	-	-	-
		वुडविची, डाकखाना, लक्सरीबुंग, जिला–हैलाकंडी, असम पिन कोड–788155	10.00	-	33.74	-	-
		स्टूडेंट वेलफेयर मिशन, असम, डाकखानना–पाठशाला, पी.एस. –पाठशाला, जिला–बरपेटा, पिन कोड–781325	22.50		-	-	-
		जलुगुटी अग्रगामी महिला समिति, जलुगुटी, मोरीगांव, गांव एवं डाकखाना–जलुगुटी, सी.डी. ब्लॉक, कपिली, जिला मोरीगांव, असम	-	-	10.00	-	-

		ह्यूमिटी फाउंडेशन, 2न., डुलाजन गाम, डाकखाना–आनंदपरा, डिबरूगढ, असम–786692, डिबरूगढ	5.00	-	-	-	-
		नार्थ ईस्ट वोलेंट्री एसोसिएशन आफ रूरल डेवलपमेंट (एनईवीएआरडी) देखिन गांव, कहिलीपारा, गुवाहटी–19	15.00	-	-	-	-
		देवग्राम वेलफेयर सोसाइटी, वार्ड नं. 1 पीएचजी पथ देरगांव, गोलाघाट, पिन कोड–785614, असम	4.00	-	-	-	-
		रूपाही कोहिनूर क्लब, रूपाही तीनाली, रूपाही, नगांव, असम	-	-	5.00	-	-
3.	छत्तीसगढ़	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), राजनंदगांव, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ पिन कोड–491414	10.00	-	-	-	-
4.	दिल्ली	अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, एन–192, ग्रेटर कैलाश–1 नई दिल्ली	22.50	-	19.5	15.00	-
		इंडियन स्पाइनल इंजुरी सेंटर, सैक्टर–सी, बसंत कुंज, नई दिल्ली–110070, नई दिल्ली	30.00	-	-	-	-
5.	दादर एवं नगर हवेली	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, रेड क्रास हाउस, सिलवासा–396230, दादर एवं नगर हवेली	8.25	-	-	-	-
6.	गोवा	महात्मा गांधी सेवा संघ, प्रवहनी, गर्वमेंट लाइब्रेरी समर्थ नगर औरंगाबाद के नजदीक, पिन कोड–431002	6.00	-	-	-	-

7.	गुजरात	ब्लांइड पिपुल्स एसोसिएशन, डॉ. विक्रम साराभाई रोड, बस्तरपुर, अहमदाबाद–380015	-	26.25	-	20.00	-
		मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, के.जी. पटेल चिल्ड्रन अस्पताल, जलाराम मार्ग, खैरीबंग, वडोदरा–390018	16.05	-	-	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), सी.एस.एस. विभाग, एस.एस.जी. अस्पताल, वडोदरा–390001	10.00	-	15.00	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), ओ ब्लॉक, सिविल अस्पताल, सिविल अस्पताल कैंपस, असरवा, अहमदाबाद, गुजरात	10.00	-	5.00	10.00	-
		ब्लांइड वेलफेयर काउसलिंग, पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने, दाहोद, गुजरात पिन कोड–389151	7.50	-	-	-	-
		जयश्री मारूति नंदन किसान विकास एजुकेशन ट्रस्ट, दाहोद, गुजरात	10.50	-	18.75	10.00	-
		श्रीमद राजचंद्रा अस्पताल, धर्मपुर, वलसाड–396050	3.75	-	-	-	-
		श्री ब्रहम समाज सेवा ट्रस्ट, 402, सपना अर्पाटमेंट, आदर्श हाई स्कूल रोड, एस.टी. स्टेंड के नजदीक, पटन–384265	30.00	-	20.00	20.00	-
		वी–वन सोसाइटी, भूमिजा कॉप्लेक्स, बीएमसी प्राइमेरी स्कूल सं. 6 के नजदीक, थ्राउ द लेन रेड चर्च के सामने, फतेहगंज बरोडा जिला वडोदरा–39002, गुजरात	4.00	-	-	-	-
		श्री राम भक्त संस्कार मंडल,एट एंड पीओः आइएलओएल टीए. हिम्मतनगर, जिला सबरकाडा, गुजरात	1.00	-	-	-	-

		भारत विकास परिषद विकलांग केन्द्र, 22, बेसमेंट जयदीप टावर, एनआर, धरीनधर देरसर, बसंत गजेंद्रा गडकर ओवर ब्रिज, वसना, अहमदाबाद–380007, गुजरात	5.00	-	-	-	-
		मानव कल्याण मंडल, 4–गंगा जमुना सरस्वती टावर, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट, गुजरात, पिन कोड–360007	5.00	-	-	-	-
		आशीर्वाद ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड, सेयला, पुलिस स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, सेयला, जिला सुरेंद्रनगर, गुजरात	-	5.00	-	-	-
		रोगी कल्याण समिति गर्वमेंट स्पाइनल इंस्टीट्यूट एंड फिजियोथैरेपी कालेज, सिविल अस्पताल कैंपस, असरवा, अहमदाबाद–380016, गुजरात	-	8.00	-	-	-
		सूर्योदय खादी मिशन, 7–निविध फ्लेट, भूलबाई, पार्क सोसाइटी, कनकरिया रोड, अहमदाबाद, गुजरात	-	4.50	-	-	-
		डीडीआरसी, राजकोट, पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल पुराना आपातकालीन वार्ड, राजकोट, गुजरात	-	5.00	-	-	-
		समपरत एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, बिकहार रोड, विजयपुर पटिया, पलसवा, जंगरा, गुजरात	-	-	4.00	-	-
		डिसेबिल्ड वेलफेयर ट्रस्ट, गुजरात, श्री साई राम समर्थ रैजिडेंशी के नजदीक, बी/एच सरदयातन स्कूल, लखीवियू गार्डन के सामने, उमरा, सूरत–395007, गुजरात	-	-	8.00	10.00	-
		श्री लोक सेवा सार्वजनिक ट्रस्ट, राम कृष्णा कालोनी, मयूरी गारेज के नजदीक, डॉ. राजाराम प्लॉट के सामने, बी/एच जी.के. जर्नल अस्पताल, भूज–कूच, गुजरात	-	-	5.00	-	-

		अंधजन कल्याण ट्रस्ट, अंबा विदी, जूनागढ़ रोड, धोरजी–360410, जिला, राजकोट गुजरात (इंडिया)	-	10.00	-	-	-
8.	हरियाणा	आईआरसीएस, जिला शाखा फरीदाबाद, रेड क्रास भवन, सैक्टर–12, फरीदाबाद, हरियाणा	-	15.00	7.5	5.00	-
9.	हिमाचल प्रदेश	जिला रेड क्रास सोसाइटी, उपायुक्त कार्यालय, दी माल सोलन, डाकखाना सोलन–173212, हिमाचल प्रदेश	1.50	-	-	-	-
		इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, मंडी, हिमाचल प्रदेश	5.00	-	-	-	-
		इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, कांगडा, हिमाचल प्रदेश	-	-	10.00	-	-
10.	झारखंड	मुक्ति संस्थान, अंब्रीट कंपाउंड, पुरूलिया रोड, रांची–834001, झारखंड	5.25	-	-	-	-
11.	कर्नाटक	ऑल इंडिया जैन यूथ फाउंडेशनस (आर), महावीर लिंब सेंटर, किमस प्रिमेसिस विद्यानगर धारवाड हुबली कर्नाटक, पिन कोड–580031	-	11.30	-	7.50	-
		आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग (एआईआईएसएच–एडिप योजना ए/सी), मैसूर, कर्नाटक	-	-	-	25.00	-
12.	केरल	केरल स्टेल हैंडिकैप्ड पर्सनस वेलफेयर कार्पोरेशन लिमिटेड, तिरूवेंदपुरम, केरल	90.00	-	-	-	-
		नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हेयरिंग, (एनआईएसएच), करीमनल, तिरूवेंद्रम, केरल	50.00	-	50.00	-	-
13.	मध्य प्रदेश	दीन दयाल अंत्योदय मिशन फॉर डीडीआरसी बालाघाट, बालाघाट, जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र, जिला पंचायत प्रसार बालाघाट–481001, बालाघाट, मध्य प्रदेश	6.75	-	-	6.84	-

		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), (आईआरसीएस) दामोह, पुराना कलेक्ट्रेट कैंपस (सीएमओ कार्यालय के पीछे) दामोह मध्य प्रदेश–470661	15.00	-	-	7.50	-
		इंडियन रेड क्रास सोसाइटी (आईआरसीएस), ग्वालियर, रेड क्रास बिल्डिंग कमल रजा अस्पताल के पीछे, ग्वालियर	-	-	4.5	-	-
		मोबिलिटी एड सेंटर, इंदौर, मध्य प्रदेश ए/एल–140 सुखलिया, महावीर स्टोर के सामने, इंदौर–452010	-	-	-	-	-
		इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, (डीडीआरसी), जबलपुर, मध्य प्रदेश	6.00	-	-	5.00	-
		डीडीआरसी (सर्वोदय समाज कल्याण समिति), खरगोनी, जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र, जिला अस्पताल कैंपस खरगोनी–451001	5.00	-	-	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र डीडीआरसी, रतलाम, शिविल अस्पताल कैंपस, एलोट, जिला रतलाम–457001, मध्य प्रदेश	7.50	-	-	-	-
		आशा ग्राम ट्रस्ट, बरवानी, मध्य प्रदेश पिन कोड :– 451551	-	13.85	30.00	22.50	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), राजगढ़	-	-	15.00	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), सतना, मध्य प्रदेश	-	-	5.00	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), मंदसौर, मध्य प्रदेश	-	-	5.00	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), देवास	-	-	4.62	-	-
		मंगलम शिवपुरी, मध्य प्रदेश	-	-	6.67	-	-

		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), सिहोर, मध्य प्रदेश	-	-	3.36	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र पोस्ट बाक्स नं. 36, कल्याणपुरी रोड रंगपुरा जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश–457661 झाबुआ, मध्य प्रदेश	12.00	-	-	10.76	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), जिला अस्पताल, दतिया, मध्य प्रदेश	-	-	-	5.00	-
14.	महाराष्ट्र	अपंग जीवन विकास संस्थान, भूमिपुत्र कालोनी, काग्रेंस नगर, अमरावती, महाराष्ट्र–444601	25.00	-	18.75	10.00	-
		अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, एस.न. 51/2, एस.आर.पी. गेट नं. 2 के नजदीक, विकास नगर, वानावडी गांव, पुणे–411040	10.00	-	-	-	-
		महात्मा गांधी सेवा संघ, सरकारी पुस्तकालय समर्थ नगर के नजदीक औरंगाबाद पिन कोड–431012	94.00	-	50.00	37.50	-
15.	मिजोरम	स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ मिजोरम फलकलंद विंग, जेमवॉक, आईजोल, मिजोरम	2.00	-	-	-	-
16.	मेघालय	सोसाइटी फॉर इंपलीमेंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन सर्विस फॉर पर्सनस विद डिसेबिल्टी शिलौंग, स्टेट रिर्सोस एफ 256 सेंटर, सिविल अस्पताल, शिलौंग, मेघालय	36.67	-	-	-	-
17.	नागालैंड	चैरी बलोससम सोसाइटी, लाइरी चाउ, कोहिमा, नागालैंड–797001	11.75	-	-	-	-
		यांकी मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, यांकी, नागालैंड	6.60	-	-	-	-

18.	ओडिशा	सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन सर्विस एंड रिसर्च (सीआरएसआर), **एट–पथरडी डाकखाना–चारमपा** जिला–भद्रक–756101, ओडिशा	-	-	25.00	-	-
		रिजनल रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, आरआरआरसी, नियर आर. जी.एच. पनपोस रोड़, राउकेला–769004, ओडिशा	-	-	25.00	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), एट/डाकखानाः फुलबनी, कंडामल, ओडिशा, पिन कोड–762001	-	6.8	-	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), समबलपुर, ओडिशा	-	-	19.00	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), कालाहंडी	-	-	12.00	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), मयूरभांजी	-	-	24.4	-	-
19.	पंजाब	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, जिला शाखा, संगरूर, सगरूर, पंजाब	10.20	-	-	-	-
		भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट, डाकखाना–विकलांग सहायता केन्द्र, सी–ब्लॉक, ऋषि नगर, लुधियाना–पंजाब	-	29.93	32.36	20.00	-
		गुरू नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, मंडी मौलानापुर दिखा जिला, लुधियाना, पंजाब	-	-	7.50	5.00	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), भटिंडा, 100 फुट मेन रोड, गुरू नानक स्कूल के सामने, संत नगर, भटिंडा, पिन कोड–151001	-	8.00	-	-	-
20.	राजस्थान	भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	-	100.00	100.00	75.00	-

		नारायण सेवा संस्थान, सेवाधाम, 483, हिरन मार्ग, सैक्टर–4, उदयपुर–313002	448.00	-	400.00	200.00	400.00
		ज्ञानराम जमनालाल सैनी मावन सेवा समिति, 67/56ए, नियर मडारा बस स्टेंड, नई संगनीर रोड़, मानसरोबर, जयपुर, राजस्थान	-	-	4.00	5.00	-
		जोधपुर मानव सेवा संस्थान, बी–40, आस्था केसव नगर, अशोक उद्यान के सामने पल रोड़ जोधपुर, राजस्थान	-	-	-	3.75	-
21.	सिक्किम	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), गंगटोक, एमजी मार्ग एसटीएनएम अस्पताल ईस्ट गंगटोक पिन–737101	14.66	15.75	15.75	-	-
22.	त्रिपुरा	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), टी.एस. जिला अस्पताल कॉप्लेक्स, डाकखाना–राधाकिशोरिपुर, पी.एस. –आर.के.पुर, उदयपुर, साउथ त्रिपुरा	6.80	-	-	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), नार्थ त्रिपुरा	-	-	-	-	30.00
23.	उत्तर प्रदेश	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), पीलीभीत, नियर रेशम उद्योग कचेरी रोड़, पीलीभीत–262001, उत्तर प्रदेश	7.24	-	-	-	-
		कल्याणम करोति, कल्याण धाम, सरस्वती कुंड, मसनी, मथुरा–281003	16.50	-	-	-	-
		मंगलम, मंगलम सदन, इंदिरा नगर, लखनऊ	-	8.00	-	-	-

		प्रभात ग्रामोद्ययोग सेवा संस्थान, गांव एवं डाकखाना रेवती, तहसील अनवाला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश, बरेली, उत्तर प्रदेश	12.00	-	-	-	-
		सरस्वती एजुकेशनल सोसाइटी, हरथला, सोनकपुर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	9.95	-	-	-	-
		उपासना जन कल्याण समिति, डीडीआरसी, रामपुर गांव मधुपुरी, डाकखाना–डिगोइ, ओनला, बरेली–243301, उत्तर प्रदेश	12.00	-	-	-	-
		रावत शिक्षा, समिति, रावत शिक्षण समिति, चावरा गेट जलेसर अड्डा हाथरस, महा माया नगर, यू.पी. उत्तर प्रदेश	5.00	-	-	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) (आईआरसीएस), चरगांव, गोरखपुर	-	-	7.50	-	-
24.	पश्चिम बंगाल	विकास भारती वेलफेयर सोसाइटी, 20/1बी, लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता–700001	4.85	-	-	-	-
		विक्रमनगर उधान संघ, गांव–विक्रमनगर, डाकखाना–हरिया, ब्लॉक–खजूरी–I, जिला–मेदनीपुर	20.04	-	-	-	-
		ग्रीन वर्ल्ड, इच्छापुर एच.आई.टी. रोड़, कमरदंगा (बलिगोला), हावडा–711104, पश्चिम बंगाल	4.25	-	-	-	-
		कुल	**1,229.63**	**282.38**	**1026.90**	**543.85**	**430.00**

***

अनुबंध - 11

वर्ष 2018–19 के दौरान सिपडा योजना के अंतर्गत बाधामुक्त वातावरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गयी अनुदान सहायता

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रयोजन	जारी की गई कुल राशि (रू. में)
1.	तेलंगाना सरकार	हैदराबाद में 16 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए अंतिम किश्त	459.62
2.	आंध्र प्रदेश सरकार	38 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए अंतिम किश्त	718.16
3.	उत्तर प्रदेश सरकार	26 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त के रूप में	218.03
4.	हरियाणा सरकार	19 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए अंतिम किश्त	164.74
		फरीदाबाद में 17 भवनों में बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए	715.28
5.	पश्चिम बंगाल सरकार	9 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त के रूप में	150.66
		17 भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए अंतिम किश्त	954.56
6.	मेघालय सरकार	शिलौंग में 13 भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त के रूप में	325.16
7.	झारखंड सरकार	रांची में 14 भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त के रूप में	583.43
8.	पंजाब सरकार	लुधियाना में 14 भवनों में बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए प्रथम किश्त	837.74
9.	मध्य प्रदेश सरकार	बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए अंतिम किश्त	26.00
		नगर निगम गरहोकोटा, सागर के कार्यालय में 2 लिफ्टो के प्रतिस्थापन के लिए	10.00
		534 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए	105.94

10.	हिमाचल प्रदेश सरकार	लोक सेवा आयोग भवन, निगम विहार, शिमला में बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए	27.28
		शिमला में 2 भिन्न राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए प्रथम किश्त	21.21
11.	पंजाब सरकार	बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त (3 रैंप एवं 1 लिफ्ट)	47.91
		फरीदकोट के डीएसी में 2 लिफ्टों के निर्माण के लिए	34.09
12.	गोवा सरकार	पणजी में 9 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए	189.04
		पणजी में 21 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए	255.59
13.	राजस्थान सरकार	दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय को सशक्त बनाने के लिए	6.03
14.	केरल सरकार	तिरूवेंद्रम में 28 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए	429.98
15.	कर्नाटक सरकार	16 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए	1,021.21
16.	जम्मू और कश्मीर सरकार	11 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए	509.05
17.	अंडमान और निकोबार प्रशासन	19 भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त	502.15
		पोर्ट ब्लेयर में 2 भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए	68.44
	कुल		**8,331.30**

***

अनुबंध - 12

(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)

(क) वर्ष 2018–19 के दौरान सिपडा योजना के अंतर्गत बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए संस्थानों / संगठनों को जारी अनुदान सहायता

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रयोजन	जारी की गई कुल राशि (रू. लाख में)
1.	तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम	बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए द्वितीय एवं अंतिम किश्त	88.60
2.	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	यूनिवर्सिटी में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए	225.17
3.	जीसस एंड मैरी कॉलेज, नई दिल्ली	3 लिफ्टों को लगाने के लिए द्वितीय एवं अंतिम किश्त	34.37
	कुल		**348.14**

(ख) वर्ष 2018–19 के दौरान सिपडा योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जारी अनुदान सहायता

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रयोजन	जारी की गई कुल राशि (रू. लाख में)
1.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, महाराष्ट्र	2675 दिव्यांगजनों के लिए प्रथम किश्त	230.87
2.	बेलुगा सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	कौशल विकास कार्यक्रम के लिए प्रथम किश्त	8.98
3.	मधुमय श्रीलेखा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, सिक्किम	दिव्यांगजनों के कौशल परिषद को मूल्यांकन एवं प्रमाणिकरण शुल्क का भुगतान	3.00
4.	थ्रेडज इंफोरमेशन टैक्निलोजी प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश	1500 दिव्यांगजनों के लिए प्रथम किश्त	1,59.92
5.	मधुमय श्रीलेखा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, पश्चिम बंगाल (एनईआर)	300 दिव्यांगजनों के लिए द्वितीय किश्त	50.47

6.	एनएचएफडीसी, नई दिल्ली	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 15800 दिव्यांगजनों के लिए प्रथम किश्त	1,618.85
7.	निष्ठा इंस्टीट्यूट आफ स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पश्चिम बंगाल	480 दिव्यांगजनों के लिए प्रथम किश्त	22.19
8.	साई प्रसार ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	430 दिव्यांगजनों के लिए प्रथम किश्त	18.32
9.	बांकुरा स्कूल आफ होटल मेनेजमेंट, पश्चिम बंगाल	10000 दिव्यांगजनों के लिए द्वितीय किश्त	100.15
10.	गाडस फाउंडेशन नर्सिंग एजुकेशनल सोसाइटी, कुरनूल	240 दिव्यांगजनों के लिए प्रथम किश्त	8.34
11.	सीआरसी, नैल्लोर	30 दिव्यांगजनों के लिए प्रथम किश्त	1.58
12.	साई स्वयं सोसाइटी फॉर दी हेयरिंग इंपायर्ड	90 दिव्यांगजनों के लिए प्रथम किश्त	8.61
	कुल		**2,256.81**

(ग) वर्ष 2018–19 के दौरान सिपडा योजना के अंतर्गत सीआरसी को जारी अनुदान सहायता

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रयोजन	जारी की गई कुल राशि (रू. लाख में)
1.	सीआरसी सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश	सीआरसी सुंदरनगर को प्रथम किश्त	103.50
		सीआरसी सुंदरनगर को द्वितीय किश्त	77.00
		सीआरसी सुंदरनगर को तीसरी किश्त	97.50
		सीआरसी सुंदरनगर को चौथी किश्त	22.50
2.	सीआरसी देवनगिरी, कर्नाटक	सीआरसी देवनगिरी को प्रथम किश्त	40.00
		सीआरसी देवनगिरी को द्वितीय किश्त	33.00
3.	सीआरसी नैल्लोर, आंध्र प्रदेश	सीआरसी नैल्लोर को प्रथम किश्त	35.66
		सीआरसी नैल्लोर को निर्माण के लिए	375.00

		सीआरसी नैल्लोर को द्वितीय किश्त	17.55
		सीआरसी नैल्लोर को तीसरी किश्त	21.81
4.	सीआरसी लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सीआरसी लखनऊ को प्रथम किश्त	68.00
		सीआरसी लखनऊ को छात्रावास (लडके एवं लडकियां) के निर्माण के लिए	467.70
		सीआरसी लखनऊ को द्वितीय किश्त	26.00
		सीआरसी लखनऊ को तीसरी किश्त	71.25
5.	सीआरसी कोझिकोड, केरल	सीआरसी कोझिकोड को प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए	400.00
		सीआरसी कोझिकोड को प्रथम किश्त	65.00
		सीआरसी कोझिकोड को द्वितीय किश्त	120.00
6.	सीआरसी पटना, बिहार	सीआरसी पटना के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए	423.36
		सीआरसी पटना को प्रथम किश्त	60.00
7.	एसवीएनआईआरटीए आर, ओडिशा	व्यावसयिक प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के लिए प्रथम किश्त	531.66
8.	सीआरसी गुवाहटी, असम	सीआरसी गुवाहटी को प्रथम किश्त	45.25
		सीआरसी गुवाहटी को द्वितीय किश्त	90.50
		सीआरसी गुवाहटी को तीसरी किश्त	20.00
		सीआरसी गुवाहटी में शैक्षणिक भवन के निर्माण के लिए	50.00
9.	सीआरसी अहमदाबाद, गुजरात	सीआरसी अहमदाबाद को प्रथम किश्त	30.00
		सीआरसी अहमदाबाद को द्वितीय किश्त	20.00
10.	सीआरसी भोपाल, मध्य प्रदेश	सीआरसी भोपाल को प्रथम किश्त	20.00
		सीआरसी भोपाल को द्वितीय किश्त	110.00

11.	सीआरसी नागपुर, महाराष्ट्र	सीआरसी नागपुर को प्रथम किश्त	57.50
		सीआरसी नागपुर को द्वितीय किश्त	33.20
12.	सीआरसी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	सीआरसी गोरखपुर में भवनों के निर्माण के लिए	588.00
13.	सीआरसी श्रीनगर जम्मू और कश्मीर	सीआरसी श्रीनगर को प्रथम किश्त	225.00
14.	सीआरसी राजनंदगांव, छत्तीसगढ़	सीआरसी राजनंदगांव को प्रथम किश्त	30.00
		सीआरसी राजनंदगांव को द्वितीय किश्त	43.42
	कुल		**4,419.36**

(घ) वर्ष 2018–19 के दौरान सिपडा योजना के अंतर्गत डीडीआरसी परियोजना के लिए जारी अनुदान सहायता

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रयोजन	जारी की गई कुल राशि (रू. लाख में)
1.	डीडीआरसी, बालाघाट, मध्य प्रदेश	वर्ष 2016–17 के लिए सहायता अनुदान की द्वितीय एवं अंतिम किश्त	3.27
2.	डीडीआरसी, रामपुर, उत्तर प्रदेश		3.39
3.	डीडीआरसी, बदांयु, उत्तर प्रदेश	प्रथम किश्त	4.15
		पूर्ण एवं अंतिम किश्त	0.58
		प्रथम किश्त	17.03
4.	डीडीआरसी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश	प्रथम किश्त	2.84
5.	डीडीआरसी, अहमदाबाद, गुजरात	प्रथम किश्त	2.51
		द्वितीय किश्त	2.51
		वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की प्रथम किश्त	8.91
		वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की पूर्ण एवं अंतिम किश्त	2.36
6.	डीडीआरसी, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	प्रथम किश्त	2.95

7.	डीडीआरसी, पश्चिमी खासी हिल्स (नौनगस्टन), शिलौंग, मेघालय	प्रथम किश्त	1.99
8.	बुडविच, हैलाकंडी, असम (डीडीआरसी, चाचर)	प्रथम किश्त	5.77
9.	डीडीआरसी, जबलपुर, मध्य प्रदेश	द्वितीय किश्त	1.69
10.	डीडीआरसी, उज्जैन, मध्य प्रदेश	द्वितीय एवं अंतिम किश्त	1.45
11.	डीडीआरसी, झाबुआ, मध्य प्रदेश	प्रथम किश्त	2.84
12.	डीडीआरसी, बालाघाट, मध्य प्रदेश	प्रथम किश्त	5.12
13.	डीडीआरसी, जालोर, राजस्थान	प्रथम किश्त	1.19
14.	डीडीआरसी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	वर्ष 2016–17 के लिए डीडीआरसी ग्वालियर को पूर्ण एवं अंतिम किश्त	4.47
		वर्ष 2017–18 के लिए डीडीआरसी ग्वालियर को पूर्ण एवं अंतिम किश्त	4.12
15.	डीडीआरसी, दामोह, मध्य प्रदेश	वर्ष 2016–17 के लिए डीडीआरसी दामोह को सहायता अनुदान की द्वितीय किश्त	0.11
		वर्ष 2017–18 के लिए डीडीआरसी दामोह को सहायता अनुदान की प्रथम किश्त	1.34
16.	डीडीआरसी, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश	वर्ष 2016–17 के लिए डीडीआरसी ईस्ट गोदावरी के लिए सहायता अनुदान की द्वितीय किश्त	4.64
		वर्ष 2017–18 के लिए डीडीआरसी ईस्ट गोदावरी के लिए सहायता अनुदान की प्रथम किश्त	4.59
17.	डीडीआरसी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश	प्रथम किश्त	3.48
18.	डीडीआरसी, उज्जैन, मध्य प्रदेश	प्रथम किश्त	5.29
19.	डीडीआरसी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	प्रथम किश्त	5.16
20.	डीडीआरसी, पश्चिमी चंपारण, बिहार	प्रथम किश्त	1.32
21.	डीडीआरसी, मालदा, पश्चिम बंगाल	द्वितीय किश्त	2.10
22.	डीडीआरसी, रीवा, मध्य प्रदेश	प्रथम किश्त	4.59
23.	डीडीआरसी, जबलपुर, मध्य प्रदेश	प्रथम किश्त	4.61
		प्रथम किश्त	12.67

		द्वितीय किश्त	1.54
24.	डीडीआरसी, देवास, मध्य प्रदेश	वर्ष 2017–18 के लिए डीडीआरसी देवास को द्वितीय एवं अंतिम किश्त	0.57
25.	डीडीआरसी, राजगढ़, मध्य प्रदेश	वर्ष 2016–17 के लिए डीडीआरसी राजगढ़ को द्वितीय एवं अंतिम किश्त	0.49
26.	डीडीआरसी, मोहबुबाबाद, उत्तर प्रदेश	प्रथम किश्त	3.09
27.	डीडीआरसी, जम्मू और कश्मीर	प्रथम किश्त	4.16
28.	डीडीआरसी, इंफाल पश्चिमी मणिपुर	प्रथम किश्त	5.80
	डीडीआरसी, मंदसौर, मध्य प्रदेश	प्रथम किश्त	5.76
		पूर्ण एवं अंतिम किश्त	2.85
		द्वितीय किश्त	0.17
29.	डीडीआरसी, नागपुर, महाराष्ट्र	प्रथम किश्त	0.96
30.	डीडीआरसी, गुना, मध्य प्रदेश	प्रथम किश्त	0.40
31.	डीडीआरसी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	प्रथम किश्त	11.56
	कुल		**166.39**

(ङ) 2018–19 के दौरान सिपडा योजना के तहत यूडीआईडी परियोजना के लिए जारी सहायता अनुदान

क्र. सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि (रू. लाख में)
1.	उप निदेशक समाज कल्याण, रायपुर, छत्तीसगढ़	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	27.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	2.50
2.	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, मिजोरम	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	8.00

		यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
3.	नियामक समाज सुरक्षा यूडीआईडी, गुजरात	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	31.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	2.50
		यूडीआईडी परिय ोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
4.	केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन, केरल	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	14.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	6.00
5.	एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए वित्तीय कॉर्पस फंड, पंजाब	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	22.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
6.	निदेशक एससी/ओबीसी और एमए, हिमाचल प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	12.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
7.	झारखंड राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	24.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	2.84
8.	यूडीआईडी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
9.	दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
10.	लेखा अधिकारी दिव्यांगता कल्याण आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	36.00

		यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	2.50
		यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	2.50
11.	यूपी डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
12.	वेसबाइल कोर. टेक. प्रा. लिमिटेड डीडीआरसी गंगटोक, सिक्किम	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	14.43
		यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	2.90
13.	स्टेट कमिश्नर फॉर डिफरेंटली एबल्ड, तमिलनाडु	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	2.84
14.	महाप्रबंधक, एसआईडीआर, ओडिशा	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	2.05
15.	राजस्थान आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी, जयपुर, राजस्थान	यूडीआईडी प रियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
16.	मेसर्स दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय का कार्यालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता और जनजातीय मामले विभाग, अरुणाचल प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	23.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	22.00
17.	मेसर्स वेसतिसेरेल टेक. प्रा. लिमिटेड चेन्नई	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
18.	अवर सचिव, दिव्यांगजन आयुक्त, जम्मू और कश्मीर	भुगतान	4.67
		यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
19.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अंबेडकरनगर, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	22.00
		यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
20.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
21.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00

22.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुरुओ, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
23.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
24.	सीएमओ कार्यालय, औरिया, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
25.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
26.	अद्वितीय दिव्यांगता पहचान परियोजना, गोराधपुर, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
27.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मातापुर, जौम्पस, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
28.	सीएमओ, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
29.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
30.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
31.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
32.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
33.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
34.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
35.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
36.	नितिन मोहन, त्रिपुटी एससी दिल्ली सरकार	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
37.	बहुमुखी कार्ड प्रौद्योगिकी प्रा. लिमिटेड, चेन्नई	यूडीआईडी कार्ड की छपाई और डिस्पैच	28.25
38.	परियोजना समन्वयक एनपीआरपीडी, कर्नाटक	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00

	परियोजना समन्वयक एनपीआरपीडी, कर्नाटक	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	30.00
39.	दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय, मेघालय	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
40.	राजस्थान आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी, जयपुर, राजस्थान	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	2.60
41.	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय और दिव्यांग कल्याण विकास निदेशालय, मध्य प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	51.00
42.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी हापुड़, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
43.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
44.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाजाहपुर, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
45.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
46.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शामली, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
47.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
48.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
49.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, थान जीबी नगर, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
50.	यूडीआईडी परियोजना	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
51.	डॉ. प्रताप सिंह, सीएमओ, ललितपुर, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
52.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
53.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी इन्फ्रा स्ट्रक्चर	1.00
	कुल		**478.58**

(च) 2018–19 के दौरान सिपडा योजना के तहत एआईसी के लिए जारी अनुदान सहायता			
क्र. सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि (रू. लाख में)
1.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई), नई दिल्ली	एआईसी के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना के लिए जनशक्ति अधिप्राप्ति	59.09
		एआईसी के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना के लिए जनशक्ति अधिप्राप्ति के लिए भुगतान	63.82
		एआईसी के तहत विकसित किए जा रहे एमआईएस में सात नए रूपों की पहुंच सुविधाओं और विकास को शामिल करने के लिए	6.57
2.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली	चयनित रेलवे स्टेशनों का सत्यापन लेखा परीक्षा कार्यान्वित करने हेतु	32.56
3.	सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) के तहत सलाहकार शुल्क	मार्च महीने का भुगतान	0.35
		अप्रैल महीने का भुगतान	0.35
		मई महीने का भुगतान	0.35
		जून महीने का भुगतान	0.35
		जुलाई महीने का भुगतान	0.31
		अगस्त महीने का भुगतान	0.34
		सितंबर महीने का भुगतान	0.35
		अक्टूबर महीने का भुगतान	0.35
		नवंबर महीने का भुगतान	0.35
	कुल		**165.14**

(छ) 2018–19 के दौरान सिपडा योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए जारी सहायता अनुदान			
क्र. सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि (रू. लाख में)
1.	इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली	आईएसएलआरटीसी की डीफ–एनपी प्रोजेक्ट	9.47
2.	एनपीसी, नई दिल्ली	कौशल प्रशिक्षण की तृतीय पक्ष निगरानी	5.81
3.	एनआईईपीवीडी, देहरादून, उत्तराखंड	सिमुलेशन केंद्र की स्थापना के लिए सहायता अनुदान की दूसरी और अंतिम किस्त	176.00
4.	पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआई), नई दिल्ली	17 वें राष्ट्रीय पैरा एथलीट और 16 वें स्विंगिंग, 2017 के लिए उनके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	48.00
5.	एम/एस कॉलेज डिजाइन प्रा. लिमिटेड मुंबई	ग्वालियर में दिव्यांगता के लिए केंद्र की स्थापना के लिए डीपीआर तैयार करना	38.05
6.	कॉलेज डिजाइन प्रा. लिमिटेड मुंबई	केंद्र की स्थापना के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु	22.83
	कुल		**300.16**

***

अनुबंध - 13 (क)

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में (31.12.2018 तक) डीडीआरसी के तहत प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19 (31.12.2018 तक)	
		प्राप्त	स्वीकृत*	प्राप्त	स्वीकृत*	प्राप्त	स्वीकृत*	प्राप्त	स्वीकृत*
1.	आंध्र प्रदेश	62	68	73	73	63	72	7	65
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1	0	0	0	0
3.	असम	20	16	13	15	16	14	0	3
4.	बिहार	0	7	5	6	8	6	0	4
5.	छत्तीसगढ़	8	7	3	6	3	5	0	5
6.	दिल्ली	19	21	14	14	2	13	0	4
7.	गोवा	0	1	0	1	1	0	0	0
8.	गुजरात	17	19	28	17	26	16	21	13
9.	हरियाणा	29	17	22	18	26	20	13	17
10.	हिमाचल प्रदेश	6	4	5	6	5	5	5	3
11.	जम्मू और कश्मीर	1	2	1	1	2	1	1	2
12.	झारखंड	1	2	0	1	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	9	8	7	9	4	6	0	4
14.	केरल	64	41	60	56	52	51	0	44
15.	मध्य प्रदेश	25	31	34	23	28	26	5	19
16.	महाराष्ट्र	51	28	31	29	28	29	2	14
17.	मणिपुर	49	30	44	37	43	37	0	37

18.	मेघालय	6	6	6	7	1	4	0	3
19.	मिजोरम	2	2	2	2	2	2	2	3
20.	नागालैंड	1	1	0	0	2	0	1	0
21.	ओडिशा	50	48	46	49	51	46	38	31
22.	पंजाब	14	6	11	11	10	11	0	6
23.	राजस्थान	36	30	25	27	27	26	0	19
24.	सिक्किम	1	0	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	17	28	27	22	32	21	0	18
26.	त्रिपुरा	3	1	2	4	1	1	0	1
27.	उत्तर प्रदेश	58	51	52	52	61	52	16	29
28.	उत्तराखंड	4	9	7	0	7	5	6	4
29.	पश्चिम बंगाल	60	41	40	37	25	36	0	30
30.	तेलंगाना	55	61	64	64	52	55	4	56
31.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	5	1	1	4	4	2	3	4
	कुल	**673**	**587**	**623**	**592**	**582**	**562**	**124**	**438**

** इन संख्याओं में पिछले वर्षों के आगे लाए गए प्रस्तावों की संख्या भी शामिल है।*

***

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष 2018–19 में (31.12.2018 तक) डीडीआरसी के तहत जारी राज्यवार निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (31.12.2018 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	826.83	763.14	1,101.15	652.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.74	9.64	1.58	0
3.	असम	88.92	94.01	88.98	24.3
4.	बिहार	62.03	25.16	80.58	35.88
5.	छत्तीसगढ़	47.49	17.51	24.30	38.8
6.	दिल्ली	197.81	82.16	196.37	27.69
7.	गोवा	8.87	4.89	0.00	0
8.	गुजरात	47.24	32.2	58.85	45.91
9.	हरियाणा	117.94	116.24	119.50	75.85
10.	हिमाचल प्रदेश	20.53	24.16	24.84	46.79
11.	जम्मू और कश्मीर	9.58	3.25	0.68	4.86
12.	झारखंड	2.45	0.94	0.00	0
13.	कर्नाटक	77.52	96.73	83.86	50.53
14.	केरल	362.25	446.16	574.32	370.5
15.	मध्य प्रदेश	132.69	99.75	148.04	92.76
16.	महाराष्ट्र	141.47	221.47	321.64	73.08
17.	मणिपुर	284.38	270.91	448.30	371.09

18.	मेघालय	45.86	65.16	23.21	35.08
19.	मिजोरम	11.25	7.38	9.44	9.54
20.	नागालैंड	0.41	0	0.00	0
21.	ओडिशा	445.1	329.31	526.93	254.07
22.	पंजाब	46.23	68.95	86.58	20.95
23.	राजस्थान	139.18	136.12	188.63	107.77
24.	सिक्किम	0	0	0.00	0
25.	तमिलनाडु	234.29	98.77	216.42	202.83
26.	त्रिपुरा	1	12.09	2.84	0.27
27.	उत्तर प्रदेश	550.16	376.19	557.57	355.19
28.	उत्तराखंड	41.47	28.01	26.52	18.06
29.	पश्चिम बंगाल	304.34	361.66	384.90	183.31
30.	तेलंगाना	750.13	700.88	685.37	588.36
31.	अंडमान और निकोबार	0	0	0.00	0
32.	चंडीगढ़	0	0	0.00	0
33.	दादर और नगर हवेली	0	0	0.00	0
34.	दमन और दीव	0	0	0.00	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0
36.	पुदुचेरी	14.83	7.16	18.36	18.31
	कुल	**5,018.99**	**4,500.00**	**5,999.77**	**3,704.01**

***

अनुबंध - 13 (ग)

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष 2018–19 में डीडीआरसी के तहत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (31.12.2018 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	5,645	5,284	5,635	4,269
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	341	206	249	113
4.	बिहार	413	521	406	270
5.	छत्तीसगढ़	281	372	258	270
6.	दिल्ली	1,444	811	1,329	324
7.	गोवा	138	86	0	0
8.	गुजरात	672	456	680	742
9.	हरियाणा	642	824	945	583
10.	हिमाचल प्रदेश	68	49	105	131
11.	जम्मू और कश्मीर	0	58	28	43
12.	झारखंड	58	70	0	0
13.	कर्नाटक	684	518	866	306
14.	केरल	2,829	3,302	3,170	2,820
15.	मध्य प्रदेश	1,075	1,016	1,320	1,430
16.	महाराष्ट्र	874	845	1085	645
17.	मणिपुर	1,329	1,287	1,992	1,970

18.	मेघालय	492	462	485	560
19.	मिजोरम	215	221	42	33
20.	नागालैंड	29	0	0	0
21.	ओडिशा	2,462	2,183	2,822	1,527
22.	पंजाब	416	976	830	273
23.	राजस्थान	1,030	1,051	1,353	1,900
24.	सिक्किम	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	1,528	959	1,087	1,511
26.	त्रिपुरा	30	140	70	25
27.	उत्तर प्रदेश	4,130	4284	3,874	3,243
28.	उत्तराखंड	474	319	248	201
29.	पश्चिम बंगाल	2,711	2,466	1,840	1,829
30.	तेलंगाना	5,334	5,524	4,874	4,699
31.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0
32.	चंडीगढ़	0	0	0	0
33.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0
34.	दमन और दीव	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	117	108	106	264
	कुल	**35,461**	**34,398**	**35,699**	**29,981**

***

जागरूकता सृजन एवं प्रचार योजना

14 (क) 31 दिसंबर, 2018 की स्थिति अनुसार विगत तीन वर्श और चालू वर्श की वित्तीय उपलब्धियां

वर्ष	बी.ई. आवंटन (रू. करोड़ में)	आर.ई. आवंटन (रू. करोड़ में)	जारी की गई राशि (रू. करोड़ में)
2015-16	5.00	4.00	2.61
2016-17	3.00	3.00	2.70
2017-18	3.00	3.00	1.74
2018-19 (31.12.2018 को)	3.00	2.00	0.56

14 (ख) जागरूकता सृजन और प्रचार योजना के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 31.12.2018 तक गैर सरकारी संगठनों सहित संगठनों को जारी की गई निधियां

क्र.सं.	संगठनों का नाम	जारी की गई राशि (रु. लाख में) 2015–16	जारी की गई राशि (रु. लाख में) 2016–17	जारी की गई राशि (रु. लाख में) 2017–18	जारी की गई राशि (रु. लाख में) 2018–19 (31.12.2018 तक)
1	सुरभि फाउंडेशन, मुंबई, महाराष्ट्र	35.00	-	-	-
2	गौतमी फाउंडेशन, ओंगोल, आंध्र प्रदेश	2.50	-	-	-
3	भार्या नेत्रहीन कल्याण परिषद, दिल्ली	3.75	-	-	-
4	दिव्यांग कल्याण ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सूरत, गुजरात	7.50	-	-	-
5	समर्थ ट्रस्ट, नई दिल्ली	16.07	1.75	-	-
6	सांई स्वयं सोसायटी, नई दिल्ली	3.75	-	-	-
7	शिशु सरोती, बक्सा, असम	0.78	-	-	-
8	स्कोर फाउंडेशन, नई दिल्ली	4.00	-	-	-
9	एसीएमआई, बेंगलुरु, कर्नाटक	1.50	-	-	-
10	समर्थम ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बेंगलुरु, कर्नाटक	5.00	20.00	-	-
11	किलीकिली, बेंगलुरु, कर्नाटक	1.13	-	-	-

12	ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन, नई दिल्ली	1.50	-	-	-
13	बुद्ध शिक्षा फाउंडेशन, नई दिल्ली	7.50	-	2.50	-
14	सिक्किम स्पाइसिट सोसायटी, सिक्किम	3.75	-	-	-
15	इंडियन हेरिटेज सोसाइटी, नई दिल्ली	4.40	-	-	-
16	इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन, लखनऊ, यूपी	9.44	8.00	-	10.00
17	अल्पना, नई दिल्ली	10.00	10.00	-	6.00
18	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्याीग संस्थान, नई दिल्ली	6.82	163.96	67.73	-
19	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडिकैप्ड, सिकंदराबाद, तेलंगाना (एनआईएमएच)	22.00	7.80	7.48	-
20	परिवार, नई दिल्ली	3.75	-	-	-
21	स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग एंड रीसर्च, कटक, ओडिशा	7.47	3.38	3.50	-
22	दयाल सिंह कॉलेज	-	4.50	-	-
23	नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली	15.00	-	31.05	-
24	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	1.88	-	-	-
25	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	7.35	-	-	-
26	नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली	80.00	-	-	-
27	विवेक विकलांग सहारा, नई दिल्ली	-	1.25	-	-
28	सार्थक, नई दिल्ली	-	4.68	-	-
29	एसजेएनपीजी कॉलेज	-	4.50	-	-
30	एनटी. एक्सजएवीआईईआर, मुंबई	-	6.54	0.46	-
31	एनआईटी, कुरुक्षेत्र	-	10.18	9.19	-
32	फिक्की, नई दिल्ली	-	7.20	-	-
33	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन मल्टिपल डिसएबिलिटीज (एनआईईपीएमडी)	-	3.34	-	-
34	एनआईवीएच, देहरादून	-	5.96	-	-
35	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल	-	2.48	0.83	-

36	दिव्यांगजन कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार	-	4.48	-	-
37	अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, मुंबई	-	-	2.25	0.75
38	महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट (पंजाब)	-	-	18.00	18.00
39	दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास सेवा के कार्यान्वयन हेतु राज्य सोसायटी (एसएसआईआरपीडी), शिलोंग, मेघालय	-	-	3.51	-
40	गॉड्स फाउंडेशन नर्सिंग एजुकेशन सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	-	-	2.25	-
41	संथी प्रोफेशनल एजुकेशनल सोसायटी, आंध्र प्रदेश	-	-	2.25	-
42	सेन्हा शैक्षिक ग्रामीण विकास, आंध्र प्रदेश	-	-	2.25	-
43	नडगा जनिथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी, मध्य प्रदेश	-	-	3.45	-
44	ह्यूमिनिटि सोसायटी, आंध्र प्रदेश	-	-	2.25	-
45	विकलांग सहारा समिति, नई दिल्ली	-	-	3.56	-
46	डेफ लीडर फाउंडेशन, टीवीएस नगर कोयम्बटूर	-	-	1.50	-
47	ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, अहमदाबाद	-	-	2.81	-
48	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली	-	-	2.25	-
49	सहयोग कुष्ठागना ट्रस्ट	-	-	5.00	-
50	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर	-	-	-	7.35
51	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन मल्टिपल डिसएबिलिटीज (एनआईईपीएमडी), चेन्नई	-	-	-	4.81
52	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज, सिकंदराबाद	-	-	-	9.38
	कुल	**261.83**	**269.99**	**174.06**	**56.28**

***

पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष 2018–19 के दौरान वित्त पोषित डीडीआरसी की राज्यवार संख्या

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19 (03.01.2019 तक)	
		राशि	डीडीआरसी सं	राशि	डीडीआरसी सं	राशि	डीडीआरसी सं	राशि	डीडीआरसी सं	राशि	डीडीआरसी सं
1.	आंध्र प्रदेश	10,12,257	2	0	0	9,32,290	2	4,23,700	1	9,22,700	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	5,16,690	1	3,87,190	1	0	0	0	0
3.	असम	6,10,020	1	38,39,415	4	30,37,751	3	17,77,130	4	576,600	1
4.	बिहार	5,51,315	1	99,600	1	5,71,422	2	0	0	1,31,850	1
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	2,10,689	1	5,90,098	1	2,07,587	1	0	0	17,60,795	1
9.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	34,40,000	2	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	4,91,781	1	23,08,514	2	3,75,000	1	0	0	4,16,160	1
12.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	ओडिशा	0	0	0	0	9,02,244	3	0	0	0	0
22.	पंजाब	0	0	9,12,598	2	4,73,595	1	7,79,357	1	0	0
23.	राजस्थान	7,81,502	2	2,41,269	1	5,91,184	2	22,31,470	3	1,18,793	1
24.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	11,02,861	1	8,44,510	1	5,07,565	1	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	40,50,882	6	98,84,006	11	58,19,588	12	90,01,166	15	34,67,010	5
28.	उत्तराखंड	9,15,103	2	4,23,300	1	4,23,300	1	23,17,600	2	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	18,81,465	2	12,49,762	2	2,76,575	1	0	0	2,10,460	1
30.	तेलंगाना	17,20,000	1	0	0	0	0	2,09,326	1	0	0
31.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0	0	1,07,961	1	0	0	0	0
	कुल	**25,11,4638**	**33**	**28,71,5178**	**41**	**24,76,7422**	**52**	**2,43,23,053**	**41**	**16,77,0511**	**31**

***

वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की सूची

I. सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी / स्वयं नियोजित

(i) गतिविषयक दिव्यांगता (गतिविषयक दिव्यांग, बहुदुष्पोषषण दिव्यांगता, बौनापन तेजाबी आक्रमण पीड़ित,कुष्ठ रोग मुक्त, प्रमस्तिष्क घात)

(क) सुश्री पूजा अग्रवाल

(ख) सुश्री इंद्रजीत नंदन

(ग) सुश्री ज्योति अमृतलाल शाह

(घ) श्री सुरेश चंद्र शांतिलाल ललन

(ङ) डॉ. प्रमोद कुमार सिंह

(च) डॉ. एस थांगवेल

(ii) दृष्टि दिव्यांगता (दृष्टिहीनता निम्न दृष्टि)

(क) सुश्री मोना गोयल

(ख) श्री प्रतिक राजीव जिंदल

(ग) श्री भूपेंद्र त्रिपाठी

(iii) श्रवण बाधित (बधिर, कम सुनने वाला)

(क) सुश्री ओली मिश्रा

(ख) सुश्री रिंकू मैथ्यूज

(ग) श्री दीपक बहादुर

(घ) श्री आशीष मधुकर पाटिल

(ङ) श्री सुदर्शन कुमार

(iv) बौद्धिक दिव्यांगता (पहले मानसिक मंदता के रूप में जाना जाता था)

(क) सुश्री शिवानी गुप्ता

(ख) श्री हरीश विज

(ग) श्री भारत एस

(v) रक्त विकार के कारण दिव्यांगता (हेमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिक्कल कोशिका रोग)

(क) श्री जितेंद्र शर्मा

(vi) बहु दिव्यांगताएं (दिव्यांगता की उक्त व्यापक श्रेणियों में से किसी दो या उससे अधिक को शामिल करते हुए)

(क) सुश्री आर. सुगन्या

(ख) श्री एम. कार्तिकेयन

II. सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमेंट अधिकारी / एजेंसी

सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता

(क) मैसर्स शिववासु इलैक्ट्रनिक्स

सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी / एजेंसी

(क) एनएबी रोजगार विभाग

(ख) आर. हरि, लेमन ट्री होटल लिमिटेड

III. सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत और संस्थान

सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत

(क) सुश्री मंजुला कल्याण

(ख) श्री कारमो डेब्रिट्टो नोरोनहा

(ग) डॉ. योगेश दुबे

सर्वश्रेष्ठ संस्थान

(क) अभय मिशन

(ख) माता भागवन्ती चड्ढा निकेतन

(ग) मोंटफोर्ट सेंटर फॉर एजुकेशन

IV. प्रेरणा स्रोत

(i) गतिविषयक दिव्यांगता (गतिविषयक दिव्यांग, बहुदुष्पोषण दिव्यांगता, बौनापन तेजाबी आक्रमण पीड़ित,कुष्ठ रोग मुक्त, प्रमस्तिष्क घात)

(क) सुश्री आर धन्या

(ख) सुश्री एकता भयान

(ग) श्री विस्वास के.एस.

(घ) श्री ललित कुमार

(ii) **दृष्टि दिव्यांगता (दृष्टिहीनता निम्न दृष्टि)**

(क) सुश्री मधु सिंघल

(ख) डॉ. किरण कुमारी

(ग) श्री सीए भूषण नंदकिशोर तोषनीवाल

(घ) श्री कार्तिक साहनी

(ङ) श्री मानवेंद्र सिंह पटवाल

(iii) **श्रवण बाधित (बधिर, कम सुनने वाला)**

(क) सुश्री निष्ठा डूडेजा

(ख) श्री मोहित कुमार पासवान

(iv) विकासात्मक विकार (स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, विशिष्ट विद्या दिव्यांगता)

(क) सुश्री रूसाली जेना

(ख) श्री अक्षय एन भटनागर

(vi) **बौद्धिक दिव्यांगता (पहले मानसिक मंदता के रूप में जाना जाता था)**

(क) सुश्री अनंदिता दत्ता

(ख) श्री कौशिक बनर्जी

(vii) **चिरकारी तंत्रिका दशाएं(बहु स्केलेरोसिस पार्किंसंस रोग)**

(क) डॉ. आशीष चोपड़ा

(viii) **बहु दिव्यांगताएं (दिव्यांगता की उक्त व्यापक श्रेणियों में से किसी दो या उससे अधिक को भाामिल करते हुए)**

(क) श्री आर. श्रीराम श्रीनिवास

(ख) मेजर देवेंद्र पाल सिंह

V. दिव्यांगजनों का जीवन सुधारने के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त– अनुसंधान या नवप्रवर्तन या उत्पाद विकास

(क) प्रो रवि पूवैयाह

(ख) श्री अमित लाडी

(ग) श्री सुब्रत कुमार हल्दर

VI. दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ कार्य

(क) जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश

(ख) नगर निगम, इंदौर, मध्य प्रदेश

(ग) नगर निगम, नागदा , मध्य प्रदेश

(घ) आईबीएम कर्नाटक

VII. पुनर्वास सेवा सुधारने में सर्वश्रेष्ठ जिला

(क) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु

(ख) लखनऊ जिला , उत्तर प्रदेश

VIII. राष्ट्रीय हैंडिकेप्ड वित्त और विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य चैनलिंग एजेंसी

(क) केरल स्टेट हैंडिकेप्ड पर्सनस वेलफेयर कार्पोरेशन

IX. उत्कृष्ट, सृजनशील वयस्क दिव्यांग

(क) श्रीमती मायांलंबम सुमती, मणिपुर

(ख) श्री छत्रपाल (जे.पी. सराफ) जम्मू–कश्मीर

X. सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बच्चा

(क) सुश्री प्रेरणा

(ख) सुश्री उर्जस्वती रॉय

(ग) श्री पार्थ सांघी

(घ) मास्टर स्वयं विलास पाटिल , महाराष्ट्र

XI. सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस

(क) राजकीय ब्रेल प्रेस, निशातगंज, लखनऊ

XII. सर्वश्रेष्ठ सुगम्य वेबसाइट

(क) पिंपरी चिंचवाड नगर निगम, पुणे, महाराष्ट्र

(ख) मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, पुणे ।

XIII. (i) **दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य**

(क) तेलंगाना राज्य

(ii) **सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य**

(क) राजस्थान राज्य

XIV. सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी

(क) सुश्री कंचनमाला डी पांडे

(ख) सुश्री सोनाली धर्मेंद्र ठक्कर

(ग) श्री प्रकाश जयरमैय्या

(घ) श्री वीरेंद्र सिंह

***

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरएंडडी घटक के तहत जारी निधियों का विवरण
2016–17

एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	जारी की गई राशि
अमल ज्योति इंजिनिरिंग कॉलेज, केरल	निचले अंगों के पक्षाघात वाले लोगों के लिए रोबोट मोबिलाइजर का विकास	रू 4,76,000/-
तमन्ना, दिल्ली	मजबूती और कमजोरियों को दूर करने में बौद्धिक रूप से दिव्यांग और ऑटिस्टिक व्यक्तियों के लिए आभासी प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम की भूमिका पर अध्ययन	रू 2,04,000/-
वीआईटी विश्वविद्यालय, चेन्नई	डिस्लेक्सिया के संबंध में कोमर्बिडिटी कारकों के प्रभावों को समझना – समग्र संज्ञानात्मक व्यवहार उपाय	रू 4,89,920/-
शिशुसरोथी, गुवाहाटी	असम में दिव्यांगजनों की रोजगार जरूरतों का पता लगाने के लिए सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइलः कामरूप जिला (मेट्रो) का एक अध्ययन	रू 1,33,800/-
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई	सूचना / एक क्लिक	रू 4,50,000/-
एनआईएमएचएएनएस, बैंगलोर	मानसिक रूग्णता वाले व्यक्तियों के कार्य निष्पादन पर रोजगार कार्यक्रम की व्यवहार्यता जांच	रू 6,00,000/-
विजन फाउंडेशन, दिल्ली	चयनित सीएसआर पात्र कंपनियों में लगाई गई दिव्यांगता के स्तर की निगरानी और दिव्यांगता विभाग के कार्यक्रमों में शामिल होने के कारण डेटा बेस का विकास ।	रू 2,40,000/-
कुल		रू 25,93,720/-

2017-18:-

एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	जारी की गई राशि
अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	ऊपरी अंग (एएईडीयू) के लिए एंथ्रोपोमिमेटिक असिस्टेंट इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों का विकास	रू. 6,79,000 /-
रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय, कोयंबटूर	माध्यमिक स्तर पर दृश्य हानि वाले छात्रों के विज्ञान सीखने में कौशल में सुधार के लिए अनुकूलित विज्ञान प्रयोगों का विकास	रू. 2,05,500 /-
एनआईएमएचएएनएस (द्वितीय किस्त)	मानसिक रूग्णता वाले व्यक्तियों के कार्य निष्पादन पर रोजगार कार्यक्रम की व्यवहार्यता जांच	रू. 6,00,000 /-
वीआईटी विश्वविद्यालय	डिस्लेक्सिया के संबंध में कोमर्बिडिटी कारकों के प्रभावों को समझना – समग्र संज्ञानात्मक व्यवहार उपाय।	रू. 2,44,960 /-
(द्वितीय किस्त)	बौद्धिक दिव्यांगता वाले पोस्ट–माध्यमिक और पूर्व–व्यावसायिक छात्रों के बीच कार्य क्षमताओं का आकलन करने के लिए टूल किट का विकास	रू. 94,200 /-
एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद (द्वितीय किस्त)	बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए कामुकता शिक्षा पैकेज – (माता–पिता, देखभाल करने वाले व्यक्तियों और बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक परिचय पुस्तिका)	रू. 4,00,000 /-
एनआईईपीआईडी (द्वितीय किस्त)	इंटेलिजेंस के एक भारतीय टेस्ट का विकास	रू. 8,00,000 /-
एनआईईपीआईडी (द्वितीय किस्त)	सूचना / एक क्लिक	रू. 4,50,000 /-

टीआईएसएस, मुंबई (द्वितीय किस्त)	असम में दिव्यांगजनों की रोजगार जरूरतों का पता लगाने के लिए सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइलः कामरूप जिला (मेट्रो) का एक अध्ययन	रू. 1,33,800 /-
शिशुसरोथी, गुवाहाटी (द्वितीय किस्त)	दिव्यांगजनों में सोमाटोटाइप, शारीरिक प्रयासों और शारीरिक गतिविधि की धारणा पर अध्ययन पर प्रमुख शोध	रू. 1,60,000 /-
कुल		रू. **37,67,460 /-**

2018-19:-

तमाना (द्वितीय किस्त)	मजबूती और कमजोरियों को दूर करने में बौद्धिक रूप से दिव्यां ग और ऑटिस्टिक व्यक्तियों के लिए आभासी प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम की भूमिका पर अध्ययन	रू. 1,02,000 /-
अमर ज्यो ति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोचीन (द्वितीय किस्त)	निचले अंगों के पक्षाघात वाले लोगों के लिए रोबोट मोबिलाइजर का विकास	रू. 4,16,000 /-
कुल		रू. **5,18,000 /-**

***

ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता वृद्धि के लिए सहायता हेतु योजना के तहत जारी निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	सरकारी संस्थान/संगठन का नाम	राज्य	जारी अनुदान गैर आवर्ती	जारी अनुदान आवर्ती
	नए ब्रेल प्रेस की स्थापना के लिए			
1.	सीआरसी सुंदरनगर, सुंदरनगर	हिमाचल प्रदेश	-	रू. 13,57,904
2.	ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	रू. 66,90,832	-
3.	राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग कल्याण संघ (एनएडब्यूयांदपीएच)	महाराष्ट्र	रू. 65,20,747	-
	ब्रेल प्रेस की क्षमता वृद्धि के लिए			
4.	नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, दिल्ली	दिल्ली	-	रू. 10,57,518
5.	अखिल भारतीय परिसंघ, दिल्ली	दिल्ली	-	रू. 04,67,092
	ब्रेल प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए			
6	सेंट्रल ब्रेल प्रेस, एनआईईपीवीडी, देहरादून	उत्तराखंड	---	रू. 20,96,434
7.	राजस्थान नेत्रहीन कल्यान संघ, जयपुर	राजस्थान	-	रू. 1,93,516
8.	रामकृष्ण मिशन क्षेत्रीय प्रेस, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	-	रू. 3,47,572

9.	मित्राज्योति चेरिटेबल ट्रस्टई, बैंगलोर	कर्नाटक	-	रू.4,02,300
10.	समाज कल्यातण निदेशालय, छत्तीसगढ़ सरकार, विलासपुर	छत्तीसगढ़	-	रू.1,33,362
11.	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, अहमदाबाद	गुजरात	-	रू. 9,17,476
12.	ब्लाइंड, बेहरामपुर के लिए रेड क्रॉस स्कूल	ओडिशा	रू. 72,53,000	-
	कुल		रू. 2,48,69,979/-	रू. 65,70,874/-

***

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यवार दिव्यांगजनों की कुल संख्या (2011की जनगणना के अनुसार)	जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की संख्या	प्रतिशत %
1.	अंडमान एंव निकोबार	6,660	3,346	50.24
2.	आंध्र प्रदेश	12,19,785	9,38,220	76.91
3.	अरूणाचल प्रदेश	26,734	2,907	10.87
4.	असम	4,80,065	3,09,587	64.48
5.	बिहार	23,31,009	14,19,000	60.87
6.	चंडीगढ़ (यू.टी.)	14,796	23,635	159.74
7.	छत्तीसगढ़	6,24,937	3,40,649	54.50
8.	दादर एवं नगर हवेली (यू.टी.)	6,578	3,289	50
9.	दमन एवं द्वीप (यू.टी.)	2,196	1,557	70.9
10.	दिल्ली (यू.टी.)	2,34,882	1,61,080	68.57
11.	गोवा	33,012	19,202	58.16
12.	गुजरात	10,92,302	5,51,658	50.5
13.	हरियाणा	5,46,374	3,39,190	62.08
14.	हिमाचल प्रदेश	1,55,316	89,404	57.56
15.	जम्मू एवं कश्मीर	3,61,153	1,79,385	49.67

16.	झारखंड	7,69,980	4,58,024	59.48
17.	कर्नाटक	13,24,205	10,76,000	81.25
18.	केरल	7,61,843	3,14,777	41.31
19.	लक्ष्द्वीप (यू.टी.)	1,615	1,302	80.61
20.	मध्य प्रदेश	8,10,368	लागू नहीं	लागू नहीं
21.	महाराष्ट्र	29,63,392	16,11,628	54.38
22	मणिपुर	54,110	25,826	47.72
23.	मेघालय	44,317	37,239	84.028
24.	मिजोरम	15,160	11,290	74.47
25.	नागालैंड	29631	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	ओडिशा	12,44,402	8,42,250	67.68
27.	पुडुचेरी (यू.टी.)	30,189	28,107	93.10
28.	पंजाब	6,54,063	3,82,081	58.41
29.	राजस्थान	15,63,694	4,79,458	30.66
30.	सिक्किम	18,187	8,707	47.87
31.	तमिलनाडु	11,79,963	11,59,021	98.22
32.	तेलंगाना	10,46,822	6,54,403	62.51
33.	त्रिपुरा	64,346	76,831	लागू नहीं
34.	उत्तर प्रदेश	41,57,514	20,60,903	49.57
35.	उत्तराखंड	1,85,272	1,12,162	60.53
36.	पश्चिम बंगाल	20,17,406	12,43,095	61.61

***

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित किए अनुसार शब्दावली।

(क) "अपील प्राधिकारी" से, यथास्थिति, धारा 14 की उप–धारा (3) या धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित या धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "समुचित सरकार" से, –

(i) केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित, किसी स्थापन या छावनी अधिनियम, 2006, के अधीन गठित किसी छावनी बोर्ड के संबंध में, केन्द्रीय सरकार;

(ii) कोई राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापना या छावनी बोर्ड से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी के संबंध में, राज्य सरकार, अभिप्रेत है;

(ग) "रोध" से ऐसा कोई कारक अभिप्रेत है जिसमें संसूचनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावर्णात्मक, संस्थागत, राजनैतिक, सामाजिक, भाव संबंधी या अवसंरचनात्मक कारक सम्मिलित हैं जो समाज में दिव्यांगजनों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकते हैं;

(घ) "देख–रेख कर्ता" से माता–पिता और कुटुंब के अन्य सदस्यों सहित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संदाय करने पर या उसके बिना, किसी दिव्यांगजन को देख–रेख, सहारा या सहायता देता है;

(ड.) "प्रमाणकर्ता प्राधिकारी" से धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "संसूचना" में संसूचना के उपाय और रूप विधान, भाषाएं, पाठ का प्रदर्श, उत्कीर्ण लेख,

स्पर्शनीय संसूचना, संकेत, बड़ा मुद्रण, पहुंच योग्य मल्टीमीडिया, लिखित, श्रव्य, वीडियो, दृश्य, प्रदर्शन, संकेत भाषा, सरल भाषा, ह्यूमन–रीडर, संवर्धित तथा अनुकल्पी पद्धति और पहुंच योग्य जानकारी और संसूचना प्रौद्योगिकी सम्मिलित है;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से धारा 49 के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) दिव्यांगता के संबंध में "विभेद", से दिव्यांतगता के आधार पर कोई विभेद, अपवर्जन, निर्बंधन अभिप्रेत है जो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल या किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के संबंध में अन्य, व्यक्तियों के साथ किसी सामान्य आधार पर मान्यता, उपभोग या प्रयोग हासिल करने या अकृत करने का प्रयोजन या प्रभाव है और जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के विभेद और युक्तियुक्त सुविधाओं का प्रत्याख्यान भी है;

(झ) "स्थापन" के, अंतर्गत कोई सरकारी और प्राइवेट स्थापन भी है;

(ञ) "निधि" से धारा 86 के अधीन गठित राष्ट्रीय निधि अभिप्रेत है;

(ट) "सरकारी स्थापन" से केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय अभिप्रेत है और जिसमें सरकार का कोई विभाग भी सम्मिलित है;

(ठ) "उच्च सहायता" से शारीरिक, मानसिक और अन्यथा ऐसी गहन सहायता अभिप्रेत है जो दैनिक क्रियाकलाप के लिए संदर्भित दिव्यांगजन द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में जिसके अंतर्गत शिक्षा, नियोजन, कुटुंब और सामुदायिक जीवन और व्यवहार तथा रोगोपचार भी हैं, पहुंच सुविधाएं और भागीदारी के लिए स्वतंत्र और बुद्धिमान विनिश्चय लेने के लिए अपेक्षित हो सकेगी;

(ड) "सम्मिलित शिक्षा" से ऐसी शिक्षा पद्धति अभिप्रेत है जिसमें दिव्यांगता और दिव्यांगता

रहित छात्र एक साथ विद्या ग्रहण करते हैं और शिक्षण और विद्या की पद्धति, विभिन्न प्रकार के दिव्यांग छात्रों की विद्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित रूप से अनुकूलित की गई है;

(ढ) "सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" के अंतर्गत सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी सेवा और नव परिवर्तन भी हैं जिसके अंतर्गत टेलीकाम सेवाएं, वेब आधारित सेवाएं, इलैक्ट्रानिक और मुद्रण सेवाएं, डिजिटल और परोक्ष सेवाएं भी हैं;

(ण) "संस्था" से दिव्यांगजनों के लिए प्रवेश, देख–रेख, संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और किसी अन्य क्रियाकलाप के लिए कोई संस्था अभिप्रेत है;

(त) "स्थानीय प्राधिकरण" से संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) और खंड (च) में यथापरिभाषित नगरपालिका या पंचायत, छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन गठित छावनी बोर्ड, और नागरिक क्रियाकलापों का प्रशासन करने के लिए संसद् या किसी राज्य विधान–मंडल के अधिनियम के अधीन स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(थ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" या ''अधिसूचित"पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा;

(द) "संदर्भित दिव्यांगजन" से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत, विनिर्दिष्ट चालीस प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित नहीं की गई है और इसमें ऐसा दिव्यांगजन भी सम्मिलित है जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत मापन योग्य संदर्भ में परिभाषित की गई है;

(ध) "दिव्यांगजन" से ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रुकावट उत्पन्न होती है;

(न) "उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाला दिव्यांगजन" से धारा 58 की उपधारा (2) के

खंड (क) के अधीन प्रमाणित संदर्भित दिव्यांगजन अभिप्रेत है, जिसे उच्च सहायता की आवश्यकता है;

(प) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(फ) "प्राइवेट स्थापन" से कोई कंपनी, फर्म, सहकारी या अन्य सोसाइटी, संगम, न्यास, अभिकरण, संस्था, संगठन, संघ, कारखाना या ऐसा कोई अन्य स्थापन जो समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(ब) "सार्वजनिक भवन" से कोई सरकारी या निजी भवन जो अत्यधिक जनता द्वारा उपयोग किया जाता है या उनकी पहुंच में है, जिसके अंतर्गत शैक्षिक या व्यावसायिक प्रयोजनों के कार्य स्थल, वाणिज्यिक क्रियाकलापों, सार्वजनिक सुविधाओं, धार्मिक, सांस्कृतिक, अवकाश या मनोरंजन क्रियाकलापों, चिकित्सीय या स्वास्थ्य सेवाओं, विधि प्रवर्तन अभिकरणों, सुधारात्मक या न्यायिक फोरम, रेलवे स्टेशनों या प्लेटफार्मों, सड़क परिवहन बस स्टेंडों या टर्मिनल, विमानपत्तनों या जलमार्गों के लिए उपयोग किए जाने वाले भवन भी हैं;

(भ) "सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं" के अंतर्गत वृहत् स्तर पर जनता को सेवाएं प्रदान करने के सभी रूप आते हैं जिसके अंतर्गत आवास, शिक्षा या वृत्तिक प्रशिक्षण, नियोजन और वृत्तिक उन्नयन, विक्रय स्थल या विपणन केन्द्र, धार्मिक, सांस्कृतिक, अवकाश या मनोरंजन, चिकित्सा, स्वास्थ्य और पुनर्वास, बैंककारी, वित्त और बीमा, संचार, डाक और सूचना, न्याय तक पहुंच, सार्वजनिक उपयोगिताएं, परिवहन भी हैं;

(म) "युक्तियुक्त आवासन" से दिव्यांगजनों के लिए अन्य व्यक्तियों के समान अधिकारों के उपभोग या उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, किसी विशिष्ट दशा में, अननुपातिक या असम्यक् बोझ अधिरोपित किए बिना, आवश्यक और समुचित उपांतरण तथा समायोजन अभिप्रेत हैं;

(य) "रजिस्ट्रीकृत संगठन" से संसद् या किसी राज्य विधान–मंडल के अधिनियम के अधीन

सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत दिव्यांगजनों का कोई संगम या दिव्यांगजन संगठन, दिव्यांगजनों के माता–पिता का संगम, दिव्यांगजनों और कुटुंब के सदस्यों का संगम या स्वैच्छिक या गैर–सरकारी या पूर्त संगठन या न्यास, सोसाइटी या दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली नॉन प्रोफिट कंपनी अभिप्रेत है;

(यक) "पुनर्वास" से दिव्यांगजनों को, अनुकूलतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या सामाजिक कार्य के स्तरों को प्राप्त करने और उनको बनाए रखने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट है;

(यख) "विशेष रोजगार कार्यालय" से

(i) ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो दिव्यांगजनों में से कर्मचारियों को लगाना चाहते हैं;

(ii) ऐसे संदर्भित दिव्यांगजन के संबंध में जो नियोजन चाहते हैं;

(iii) ऐसी रिक्तियों के संबंध में जिन पर संदर्भित दिव्यांगजन नियोजन चाहते हैं, नियुक्त किए जा सकेंगे, रजिस्टर रखते हुए या अन्यथा सूचना एकत्रित करने या सूचना देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित कोई कार्यालय या स्थान अभिप्रेत है;

(यग) "विनिर्दिष्ट दिव्यांगता" से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं अभिप्रेत हैं;

(यघ) "परिवहन प्रणाली" के अंतर्गत सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, अंतिम मील तक संबद्धता के लिए सह–अभिवहन प्रणाली, सड़क और गली अवसंरचना आते हैं;

(यकृ) "सर्वव्यापी डिजाइन" से सभी लोगों द्वारा अनुकूलन या विशिष्ट डिजाइन की आवश्यकता के बिना अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किए जाने वाले उत्पादों, वातावरणों, कार्यक्रमों की डिजाइन और सेवाएं अभिप्रेत हैं और जो दिव्यांगजनों के विशिष्ट समूह के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित सहायक युक्तियों पर लागू होंगी।

***

दिव्यांगजनों के साथ बेहतर संवाद हेतु मार्गदर्शिका

जब आप किसी दिव्यांगजन को देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? क्या आप सोचते हैं कि वह क्या नहीं कर सकते बल्कि यह सोचने के बजाय वह क्या कर सकते हैं। क्या विकलांग मनुष्य भगवान के अभागे बच्चे हैं? तो क्यों हम उन्हें भिन्न मानते हैं?

अगली बार जब आप किसी दिव्यांगजन से मिलें तो उनसे समानता का भाव रखें। इसके कुछ तरीके यहां दिए गए हैं:

(i) यदि आप नहीं जानते कि चुप्पी कैसे तोड़नी है और बातचीत कैसे शुरू करनी है, तो शांत रहें और दिव्यांगजन को यह कार्य करने दें।

(ii) विकलांगों के लिए सकारात्मक सोच रखें। उनसे आपसी ताल–मेल बढ़ाएं। आप अवश्य ही कुछ रोचक व्यक्तित्व पाएंगे।

(iii) यदि सहायता की आवश्यकता हो तो ही प्रदान करें, पर अति–उत्साही नहीं बनना चाहिए। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उस व्यक्ति का सम्मान करें।

(iv) व्यक्ति द्वारा दुपहिया कुर्सी (व्हील चेयर) बिना मांगें प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए।

(v) व्यक्ति को व्हील चेयर या बैसाखी या अन्य प्रकार की सहायता बिना मांगे नहीं दें।

(vi) विकलांगता के बारे में चर्चा की शुरूआत ना करें पर स्वतः ही चर्चा हो जाए तो विचार बांट सकते हैं।

(vii) पूर्ण सहयोग करें। दिव्यांगजन को बात करने के लिए ज्यादा समय या स्थान की आवश्यकता हो सकती है।

(viii) दिव्यांगजन जो कार्य कर सकता है, उसकी प्रशंसा करें। उन कष्टों को याद रखें जो व्यक्ति को उसकी विकलांगता से अधिक समाज के व्यवहार के कारण उसके सामने उत्पन्न हो सकते हैं।

(ix) विकलांगता के ऊपर उस व्यक्ति से सीधी बात करें। बातचीत करने के लिए किसी मध्य व्यक्ति की सहायता न लें।

(x) किसी दिव्यांगजन से बात करते समय उसकी बात पर पूरा ध्यान दें। उनके दृष्टिकोण को सम्मान दें। दिव्यांगजन से बात करते समय आपका रवैया उनके दृष्टिकोण में सुधार करने की अपेक्षा उनको प्रोत्साहित करने का होना चाहिए।

(xi) ऐसे व्यक्ति को जिसे बोलने में कठिनाई हो, उससे ऐसे प्रश्न करें जिनके जवाब छोटे रूप में या हाव–भाव के संकेत से दिए जा सकते हैं।

(xii) सुनने की कठिनाई वाले व्यक्ति से आराम से, धीरे और स्पष्ट शब्दों में बात करें।

(xiii) दिव्यांगजन के साथ भोजन करते समय, जरूरत होने पर या अनुमति मांगे जाने पर ही भोजन करने में उनकी मदद करें। अनुमति लेना ज्यादा आरामदेय हो सकता है यदि व्यक्ति अपना भोजन स्वयं ही रसोई में करना चाहता है। यदि आप नेत्रहीन व्यक्ति के साथ भोजन कर रहे हैं तो उसे टेबल पर रखें बर्तनों और पकवानों की स्थिति के बारे में बताएं।

***

दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2018
National Awards for the Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), 2018

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

Design & Printed at : Abir Print Point, 9810216074